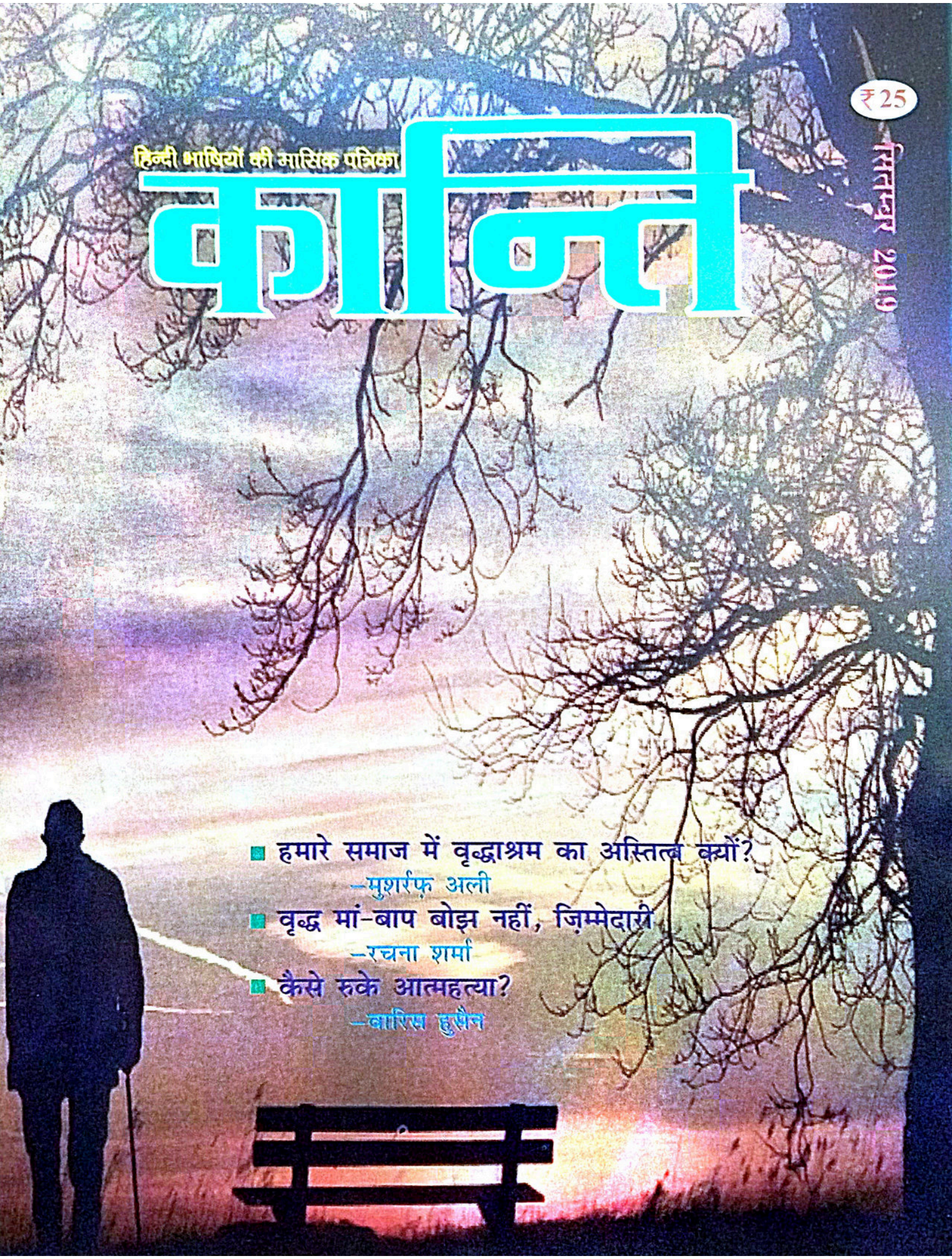
₹25
सितम्बर 2019
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
क्रान्ति
हमारे समाज में वृद्धाश्रम का अस्तित्व क्यों?
–मुशर्रफ़ अली
वृद्ध मां-बाप बोझ नहीं, ज़िम्मेदारी
–रचना शर्मा
कैसे रुके आत्महत्या?
–वारिस हुसैन

With Best Compliment From

Sermad Traders

Agriculture Input Dealer

B.H. Road, Tarikere, Chikkamagalore Distric



जिसको अल्लाह हिदायत देने का फ़ैसला करता है, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है।

(मिश्कात)



आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 29 अंक 03 सितम्बर 2019

क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस भू-भाग पर चले आ रहे हैं और इसकी परिधी को हर ओर से सिकोड़ते चले आते हैं ? अल्लाह शासन कर रहा है, कोई उसके फ़ैसलों का पुनरावलोकन करने वाला नहीं । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ़्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

वैचारिकी

घबराहट कैसी ?

हाल ही में हुआ था इनका विवाह,
चल रहा था घूमने-घुमाने का सिलसिला
वह ले जा रहा था अपनी नयी दुल्हन को
अपनी बुआ के गांव ।
ट्रेन से उतर कर उन्हें पार करनी थी नदी ।
बैठ गये वे एक छोटी-सी नौका में,
जो चल पड़ी एक विशाल नदी के सीने पर ।
बरसात का मौसम और बंगाल की नदी !
नयी दुल्हन के सामने दृश्य था समुद्र-सा ।
सूर्य पहुंच रहा था पश्चिम में
और यात्रा थी लम्बी ।
उस पर तुर्रा यह
कि आ गयी आंधी ।
नौका हिचकोले खाने लगी
केवट था असमर्थ,
उसे संभाल पाने में ।
दुल्हन के होश उड़ गये,
''अब तो अंत निकट है,
बचने की नहीं है कोई आशा''
पुरुष मगर था शांत,
तनिक भी नहीं घबराया वह
पति की शान्ति देखकर पत्नी थी हैरान
''मरने से तुम नहीं घबराते ?''
रोते-रोते किया सवाल
अब पति ने निकाली मियान से तलवार
और लहरा करके उसे पूछा वही सवाल
बोली पत्नी, ''क्यों डरूं मैं देख के यह तलवार,
तुम तो मेरे शुभचिंतक हो नहीं करेंगे वार ।
बोला पति ऐसे ही है
ईश्वर के हाथों में यह तूफ़ान
मां की ममता से बड़ा, है ईश्वर का प्यार
कभी नहीं करता है वह बन्दों का नुक़सान
ईश्वर तो वही करेगा जो हमारे हित में
काहे की चिंता करूं मैं कैसा हाहाकार,
ईश निर्णय के आगे नत मस्तक संसार ।

● मुशर्रफ़ अली



कहां क्या है ?

घबराहट कैसी ? (वैचारिकी)	–मुशर्रफ़ अली	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप (संपादकीय)		7
इस्लाम की जीवन व्यवस्था (आस्था)	–डॉ॰ फ़रहत हुसैन	9
चरित्र नायक : हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ (जीवन आदर्श)	–मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	13
हज़रत अनस बिन मालिक अंसारी रज़ि॰ (नेकी के सिपाही)	–अब्दुर्रहमान राफ़त पाशा	17
कैसे रुके आत्महत्या (विचारार्थ)	–वारिस हुसैन	21
कुछ सोचने की बातें (अभिमत)	–मुहम्मद इक़बाल मुल्ला	23
हमारे समाज में वृद्धाश्रम क़ा अस्तित्व क्यों ? (विशेष आयोजन)	–मुशर्रफ़ अली	26-27
वृद्ध मां-बाप : बोझ या हमारी ज़िम्मेदारी (विशेष आयोजन)	–रचना शर्मा	30
हमारे देश में मानवाधिकारों की व्यवस्था (दृष्टिकोण)	–प्रवीण कुमार सहगत	33
क्या हो अपराध उन्मूलन के अन्य विकल्प ?	–इंजीनियर जेड॰ ए॰ मंसूरी	35
''इस्लाम ने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया'' (चेतना)	–वसीमा वली	37
पपीता स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी (स्वास्थ्य चर्चा)	–डॉ॰ विभा खरे	38
आधा कम्बल (कहानी)	–अबरार मुहसिन	39
एकेश्वरवाद का मानव जीवन पर प्रभाव	–डॉ॰ सैयद शाहिद अली	43
चोर पकड़ा गया (बालवीथी)		49

कुरआन ज्योति

अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यन्त दयावान है ।

(1) अलिफ़-लाम-रा । फ़रमान है,[1] जिसकी आयतें सुदृढ़ और सविस्तार बयान हुई हैं,[2] एक तत्वदर्शी और ख़बर रखने वाली हस्ती की ओर से, (2) कि तुम न बन्दगी करो, मगर केवल अल्लाह की । मैं उसकी ओर से तुमको सचेत करने वाला भी हूं और शुभ-सूचना देने वाला भी । (3) और यह कि तुम अपने रब से क्षमा चाहो और उसकी ओर पलट आओ तो वह एक विशेष अवधि तक तुमको अच्छी जीवन-सामग्री देगा[3] और हर श्रेष्ठता वाले को उसकी श्रेष्ठता प्रदान करेगा[4] । लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो, तो मैं तुम्हारे हक़ में एक बड़े दहला देने वाले दिन के अज़ाब से डरता हूं । (4) तुम सबको अल्लाह की ओर पलटना है और वह सब कुछ कर सकता है ।

–क़ुरआन, 11:1-4

1. 'किताब' का अनुवाद वर्णन-शैली को देखते हुए 'फ़रमान' किया गया है । अरबी भाषा में यह शब्द 'किताब' और 'लेख' ही के अर्थ में नहीं आता, बल्कि 'आदेश और शाही फ़रमान' के अर्थ में भी आता है और स्वयं क़ुरआन में कई अवसरों पर यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

2. अर्थात इस फ़रमान में जो बातें बयान की गयी हैं, वे दृढ़ और अटल हैं, ख़ूब जंची-तुली हैं और इसका एक शब्द भी ऐसा नहीं जो वास्तविकता से कम या अधिक हो । फिर ये आयतें सविस्तार भी हैं । इनमें एक-एक बात खोल-खोलकर स्पष्ट रूप से कही है । बयान (में न कोई उलझाव है न कोई अस्पष्टता ।)

3. अर्थात् संसार में तुम्हारे ठहरने के लिए जो समय तय है, उस समय तक वह तुमको बुरी तरह नहीं बल्कि अच्छी तरह रखेगा, उसकी नेमतें तुम पर बरसेंगी, उसकी बरकतों से लाभान्वित होगे, समृद्ध और सम्पन्न रहोगे । ज़िन्दगी में सुख-चैन नसीब होगा । अपमान व तिरस्कार के साथ नहीं, बल्कि मान-सम्मान के साथ जियोगे । यही विषय (सूरा नह्ल, आयत 97 में भी) आया है । इससे लोगों की उस आम ग़लतफ़हमी को दूर करना अभिप्रेत है जो शैतान ने हर नासमझ दुनियापरस्त आदमी के कान में फूंक रखी है कि ख़ुदातरसी और सच्चाई और ज़िम्मेदारी के एहसास का तरीक़ा अपनाने से आदमी की आख़िरत बनती हो तो बनती हो, मगर दुनिया ज़रूर बिगड़ जाती है । अल्लाह उसके खंडन में फ़रमाता है कि–आख़िरत की तरह इस दुनिया का वास्तविक सम्मान और सफलता भी ऐसे ही लोगों के लिए है, जो सच्ची ख़ुदापरस्ती के साथ भली ज़िन्दगी बिताएं । (मताअे हसन (अच्छी जीवन-सामग्री) क़ुरआन की भाषा में ज़िन्दगी के उस सामान को कहा जाता है) जो मात्र दुनिया के सुख-वैभव ही पर समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि नतीजे में आख़िरत के सुख वैभव का भी साधन बनता है ।

4. अर्थात जो व्यक्ति चरित्र व व्यवहार में जितना भी आगे बढ़ेगा, अल्लाह उसको उतना ही बड़ा पद देगा । जो व्यक्ति भी अपने चरित्र व आचरण से अपने को जिस श्रेष्ठता का हक़दार सिद्ध कर देगा, वह श्रेष्ठता उसको अवश्य दी जाएगी ।

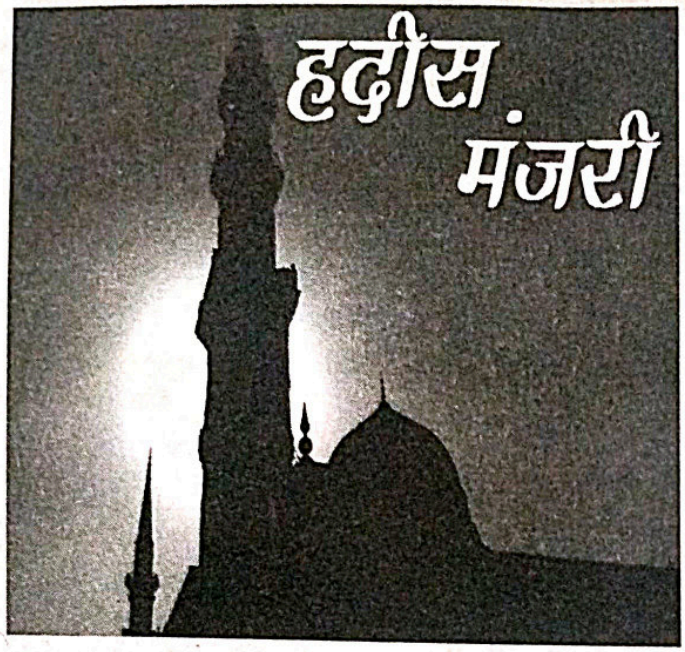

ज्ञान

● हज़रत मुआविया (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह जिस किसी के साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ प्रदान करता है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : ईर्ष्या (आशय है स्पर्धा से) केवल दो आदमियों के सिलसिले में की जा सकती है : एक वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने धन दिया फिर उसको सत्य-मार्ग में लुटाने का दैवयोग प्रदान किया, और दूसरा वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने हिक्मत (तत्वदर्शिता, निर्णय-शक्ति) प्रदान की, तो वह उसके अनुसार निर्णय करता है और उसकी शिक्षा देता है ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू मूसा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "जिस मार्गदर्शन और ज्ञान के साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वर्षा जो धरती पर हुई, तो उस (धरती) का जो भाग अच्छा था उसने जल को ग्रहण कर लिया और हरियाली और हरी-हरी घास उग आयी और उसका जो भाग कठोर था उसने जल को रोक लिया, तो अल्लाह ने उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया । लोगों ने उससे वह जल पिया और जानवरों और खेतों को सिंचित किया और खेती-बाड़ी की और वह वर्षा भूमि के एक ऐसे भाग पर भी हुई जो चटियल है, वह न जल को रोक सकता है और न हरियाली उगा सकता है । यह मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह तआला के (उतारे हुए) दीन में समझ प्राप्त की और उस चीज़ से फ़ायदा उठाया जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो उन्होंने सीखा और सिखाया । और यह उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने न तो इस तरफ़ सिर उठाकर देखा और न अल्लाह के उस मार्गदर्शन को अपनाया जिसके साथ मुझे भेजा गया है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत सह्ल बिन साअद (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने हज़रत अली (रज़ि॰) से कहा : "अल्लाह की क़सम, यदि अल्लाह तुम्हारे द्वारा किसी एक आदमी को सत्य-मार्ग पर लगा दे, तो यह तुम्हारे लिए लाल ऊंटों से बेहतर है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "मेरी ओर से पहुंचाओ यद्यपि एक ही आयत हो और बनी इसराईल (यहूदियों और ईसाइयों) से सुनी हुई रिवायत बयान करो, इसमें कोई दोष नहीं और जो व्यक्ति जान-बूझकर झूठी बात मुझसे जोड़े वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले ।"

–बुख़ारी

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जो व्यक्ति किसी मार्ग में ज्ञान की खोज करता हुआ चला अल्लाह उसके लिए जन्नत का मार्ग सुगम कर देगा ।" –मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिसने सन्मार्ग की तरफ़ बुलाया उसे उन लोगों के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा जो उस पर चले हों और इससे उनके सवाब में कमी नहीं की जाएगी ।" –मुस्लिम

('रियाजुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप

देश के मुसलमानों ने सहज रूप से सरकार द्वारा तीन तलाक़ पर क़ानून बनाए जाने पर नाराज़गी प्रकट की है और इसके प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है । उलमा ने तीन तलाक़ पर क़ानून बनाने के क़दम को मुसलमानों के लोकतांत्रिक अधिकारों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप बताया है । कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ को अवैध क़रार दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि इसे दंडनीय अपराध बनाया जाए । इसके बावजूद सरकार ने इसे दंडनीय और संज्ञेय बना दिया है । सभी दलों ने और मुस्लिम समुदाय ने इस बिल को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के हवाले करने की मांग की थी । मुस्लिम महिलाओं ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया था । ज़ाहिर है, भाजपा नीत सरकार इसमें सियासी फ़ायदा देखती है । वह अपने को समान सिविल कोड की दिशा में जो अग्रसर दिखाती है, जिसका निहितार्थ वोटों के ध्रुवीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ! देश के मुसलमानों की पारिवारिक व्यवस्था ''मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 के अधीन है । यह संवैधानिक प्रावधान मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को निर्देशित करता है, जिसमें शादी, महर, तलाक़, मेंटेनेंस, उपहार, वक़्फ़, चाह और विरासत शामिल है । अत: केन्द्र सरकार का ताज़ा क़दम सहज रूप से विवादकारी है, क्योंकि यह इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है । इस प्रकार यह मुस्लिम पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप है । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि देश में एक ही नागरिक क़ानून होना चाहिए, जिसका भारतीय संविधान समर्थन करता है । इसके अनुच्छेद 44 (नीति निर्देशक तत्व) में समान सिविल कोड की परिकल्पना की गयी है । इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार को पहले सुझाव दे चुकी है कि पूरे देश में समान सिविल कोड लागू करे । संघ परिवार इसके लिए बहुत लालायित दिखता रहा है, जबकि यह सच्चाई सबको पता है कि भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में इसे लागू कर पाना असंभव है । लेकिन यह भी सच है कि वोटों की राजनीति के लिए इस दिशा में दुष्प्रयास भी किये जाते रहे हैं ।

मदनलाल खुराना, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस बाबत एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित तक करवा लिया था । लेकिन यह लागू नहीं हो पाया । मध्य प्रदेश विधानसभा में भी भाजपा के लोगों ने भी ऐसे दुष्प्रयास किये, जो अंतत: नाकाम हो गये । यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों के सर्वथा विपरीत है । संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंत:करण और धर्मानुसार अमल करने की आज़ादी देता है । ऐसी ही बात संविधान की प्रस्तावना में कही गयी है । संविधान में धाराओं 25(1) और 26 के अंतर्गत जो बातें कही गयी है उनका सार यह है कि हर धार्मिक समुदाय को इसका अधिकार प्राप्त होगा कि अपने धर्म पर चले और अपने तौर पर अपने धार्मिक क्रिया-कलाप को अंजाम दे । अत: यह सिर्फ़ मुसलमानों (या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों) का मामला ही नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रावधान का भी तक़ाज़ा

(शेष पृष्ठ 25 पर)

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ धन-सामग्री हमने तुमको प्रदान की है, उसमें से ख़र्च करो इससे पहले कि वह दिन आये, जिसमें न ख़रीद-बिक्री होगी, न दोस्ती काम आएगी और न सिफ़ारिश चलेगी। और ज़ालिम वास्तव में वही हैं, जो कुफ़्र की नीति अपनाते हैं।"

(क़ुरआन, 2:254)

A WELL WISHER

JAIPUR (RAJ.)

"विशेष रूप से सहायता के हक़दार वे निर्धन लोग हैं जो अल्लाह के कार्य में ऐसे घिर गये हैं कि अपने व्यक्तिगत जीविकोपार्जन के लिए धरती में कोई दौड़-धूप नहीं कर सकते। उनका स्वाभिमान देखकर अनजान आदमी समझता है कि ये संपन्न हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी भीतरी हालत पहचान सकते हो। मगर वे ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगें। उनकी सहायता में जो माल तुम ख़र्च करोगे वह अल्लाह से छिपा न रहेगा।"

(क़ुरआन, 2:273)

A WELL WISHER

GOA

इस्लाम की जीवन-व्यवस्था

❖ डॉ॰ फ़रहत हुसैन

इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक पूर्ण जीवन व्यवस्था (Complete System of Life) रखता है । मनुष्य के जीवन के जितने भी अंग और अनुभाग हो सकते हैं उनके संबंध में उचित सिद्धांत नियम, उपनियम बताता है । पवित्र क़ुरआन और फिर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) द्वारा उसकी आधिकारिक व्याख्या और इन दोनों को आधार बनाकर व्यावहारिक क्रियान्वयन इस धरती पर स्वयं हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) द्वारा किया जाना, मानवता के लिए वरदान है । यह जीवन-व्यवस्था मानव स्वभाव के अनुकूल है, अत्यंत संतुलित एवं मध्यमार्गी है । इन्सान की आत्मा और उसके भौतिक जीवन दोनों को एक साथ संतुष्ट करती है और प्रकृति से समंवित होकर कार्य करती है । यहां अत्यंत संक्षेप में उसकी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला जा रहा है ।

1. इस्लाम की नैतिक व्यवस्था

सभी धर्मों और पंथों में नेकी-बदी, अच्छाई-बुराई का विचार पाया जाता है । इस्लाम भी उन्हीं को मान्यता देता है । सत्य, न्याय, वचन पालन, कर्तव्यपरायणता को अच्छे गुणों में सम्मिलित किया गया है । आपसी सहयोग अनुशासन, संयम, धैर्य, बहादुरी, प्रशंसनीय माने गये हैं । झूठ, धोखेबाज़ी, चोरी, डकैती, अत्याचार, व्यभिचार, घूस, दोषारोपण आदि की मनाही की गयी है, मगर नैतिकता के क्षेत्र में इस्लाम का विशिष्ट योगदान चार बिन्दुओं में व्यक्त किया जा सकता है–

1. इस्लाम ने जीवन के प्रत्येक भाग में नैतिकता को अनिवार्य किया । व्यक्तिगत क्रियाकलाप, पारिवारिक गतिविधियां, सामाजिक व्यवस्था, लेन-देन के मामले शासन-प्रशासन और राजनीति यहां तक कि रणभूमि में भी सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और उदारता को हाथ से न जाने देने के निर्देश दिये ।

2. नैतिकता पर चलना आसान कार्य नहीं है । इसके लिए ईश प्रसन्नता और आख़िरत का इनाम या यातना को लोगों के मन-मस्तिष्क में बैठाया । ईशभय और परलोकवाद के कारण ही किसी बाहरी दबाव की अनुपस्थिति में भी मनुष्य नैतिकता के कठिन रास्ते पर चल सकता है । अगर परलोक की जवाबदेही पर ईमान न हो तो आदमी अधिक समय तक सच्चाई के उसूलों व सिद्धांतों पर नहीं चल सकता, किसी न किसी मोड़ पर वह हिम्मत हार जाता है ।

3. मुस्लिम समुदाय पर दायित्व डाला गया कि वे संगठित प्रयास करके नेकी को फैलाएं और बुराई को रोकें, क्योंकि नैतिकता किसी का निजी मामला नहीं है । यह समाज के सामान्य वातावरण के बनने या बिगड़ने से जुड़ा है ।

4. समाज के ऐसे तत्व जो अधिक बिगड़े हुए हों और शराफ़त की भाषा उन पर बेअसर हो तो समाज को उनकी गन्दगी से बचाने के लिए और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए दंड संहिता (Penal Code) मौजूद है, जो अंतिम अस्त्र के रूप में ही इस्तेमाल होगी ।

2. इस्लाम की राजनैतिक व्यवस्था

इस्लाम के अनुसार अस्ल सत्ता अल्लाह की है । मनुष्य धरती पर उसका प्रतिनिधि है, इसलिए ईश-प्रदत्त नियमों के अंतर्गत जनता के विश्वास पात्र ख़लीफ़ा (इस्लामी शासक) जनता ही के विश्वास पात्र सलाहकार परिषद के परामर्श से व्यवस्था देखेंगे । यह व्यवस्था निष्पक्षता से काम करेगी, सभी नागरिक समान होंगे, न्यायपालिका राजनैतिक व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि आज़ाद होगी । एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी । राज्य के कोषागार से ग़रीब, विधवा, अपंग और असहाय की पूरी देखभाल की जाएगी । जनता के अविश्वास मत पर ख़लीफ़ा को हट जाना होगा । ख़लीफ़ा, सलाहकार परिषद और जनता सब ईश्वर के समक्ष जवाबदेह हैं । क़ुरआन और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाओं के विपरीत कोई क़ानून बनाने का अधिकार नहीं है । (उदारणस्वरूप सर्वसम्मति से भी शराब जायज़ करने का क़ानून नहीं बन सकता क्योंकि यह क़ुरआन द्वारा वर्जित है ।) हां वर्तमान नये प्रकरणों में जिनका पहले से प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है इस्लामी स्पिरिट के मद्देनज़र क़ानून बनाए जा सकते हैं । यह व्यवस्था भ्रष्टाचार, पक्षपात, अन्याय, शोषण से पाक होगी । मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण होगा । दूसरे धर्मों के मानने वालों के जान-माल की रक्षा की जाएगी । उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं होगा । इस व्यवस्था का व्यावहारिक आदर्श रूप इतिहास के पन्नों में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और प्रथम चार ख़लीफ़ाओं हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०), हज़रत उमर (रज़ि०), हज़रत उस्मान (रज़ि०) और हज़रत अली (रज़ि०) के काल में देखा जा सकता है ।

3. इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था

इस्लाम परिवार को बहुत महत्व देता है, क्योंकि यह समाज रूपी इमारत की ईंट है । परिवार स्त्री-पुरुष के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रिश्ते अर्थात विधिवत विवाह द्वारा बनेगा । अवैध संबंध या व्यभिचार सिद्ध होने पर कड़ा दंड दिया जाएगा । परिवार का मुखिया पुरुष होगा, क्योंकि यह अनुशासन के लिए ज़रूरी है । स्त्री परिवार में बहुत सम्मानित और आदर योग्य है । संतान का कर्तव्य है कि वे मां-बाप का आज्ञापालन करें, उनकी सेवा करें । सेवा में माता को वरीयता दी गयी है, क्योंकि वह बच्चों को पैदा करने और उनका पालन-पोषण करने में कष्ट सहती है । बेटों को बेटियों पर वरीयता नहीं दी जाएगी । बेटियों के पालन-पोषण पर उसे जन्नत की ख़ुशख़बरी है । निकाह के समय लड़की की सहमति ली जाएगी । उसे मह्र की रक़म प्राप्त करने का अधिकार होगा । माता-पिता पर संतान में अच्छे संस्कार डालने और उनकी शिक्षा-दीक्षा के प्रबंध का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छे समाज का निर्माण कर सके । वे अच्छे नागरिक, अच्छे इन्सान और अच्छे मुसलमान बनकर जीवन व्यतीत करें । पति-पत्नी के संबंध इतने बिगड़ जाएं कि समझौते के सभी प्रयास असफल हो जाए तो तलाक़ की इजाज़त दी गयी है ।

4. इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था

इन्सान सामूहिक जीवन बिताने पर विवश है, इसलिए समाज में हमदर्दी, भाईचारा, एक-दूसरे पर विश्वास, अमन-चैन का वातावरण ज़रूरी है । इस्लाम के अनुसार सभी इन्सान आपस में भाई-भाई हैं, क्योंकि वे एक ही जोड़े की संतान हैं । उनमें रंग, नस्ल, भाषा, जाति और धन-संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता । इसलिए नमाज़ में सबको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के निर्देश हैं । हज में सब एक समान वस्त्र में पूरी दुनिया के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं । स्त्री-पुरुष का रिश्ता केवल विवाह से माना गया है । आज़ाद यौन संबंधों के कारण परिवार टूटते हैं समाज दूषित होता है, इसलिए इस्लाम में इन पर कड़े दंड का प्रावधान है चाहे ये संबंध आपसी रज़ामन्दी से ही क्यों न हों । पड़ोसी से चाहे वह जिस वर्ग या धर्म का हो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना अनिवार्य है । समाज के अच्छे कामों में मुसलमान को सहयोग पर उभारा गया । जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना तथा न्याय-स्थापना का प्रयास करना ज़रूरी है । अपना समुदाय यदि अन्याय पर हो तो उसका साथ देने से रोका गया है । इस्लाम सभी नैतिक सिद्धांतों को समाज में प्रचलित देखना चाहता है ।

5. इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था

इस्लाम आर्थिक जगत में भी नैतिकता का पक्षधर है । अर्थव्यवस्था के अच्छे होने का मापदंड उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय नहीं, बल्कि यह है कि समाज के आख़िरी आदमी (Marginal Citizen) की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों । इस व्यवस्था में हर प्रकार का ब्याज वर्जित है क्योंकि यह मानवता विरोधी और अन्यायपूर्ण है । जो लोग अपने धन का निवेश (Invesment) चाहते हैं वे लाभ और हानि दोनों में सम्मिलित हों अर्थात जोखिम वहन करें । जब संसार में किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान शत-प्रतिशत संभव नहीं तो पूंजीपति के धन पर ब्याज दर के पूर्व निर्धारण का क्या औचित्य है । यह और कई अन्य कारणों से इस्लाम ब्याज को पूर्णरूपेण वर्जित घोषित करता है । जुआ, लॉटरी, सट्टा और समाज को बिगाड़ने वाले सभी कारोबार जैसे शराब, अश्लीलता फैलाने वाले मनोरंजन प्रतिबंधित हैं । मालदार से उनके जमा धन पर ढाई प्रतिशत ज़कात (अनिवार्य दान) वसूल करके उससे ग़रीब की आवश्यकता पूरी करने का अनुपम प्रबंध किया गया है । अनिवार्य योगदान (ज़कात) के अतिरिक्त धनवान मुसलमानों को प्रेरित किया गया है कि वे स्वेच्छा से दान-पुण्य के द्वारा समाज में कमज़ोर वर्ग की सहायता में सतत प्रयत्नशील रहें । फ़ज़ूलख़र्ची और अनावश्यक दिखावे पर पाबन्दी है ताकि धन के अपव्यय को रोककर समाज के वंचित वर्ग की मदद की जाए । आर्थिक अपराध जैसे जमाख़ोरी, ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाज़ारी), मिलावट, नाप-तौल में हेराफेरी पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है । मरने

के बाद जायदाद पुत्र, पुत्रियों तथा अन्य उत्तराधिकारियों में वितरित की जाएगी जिससे धन के केन्द्रीयकरण में कमी आएगी । इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार मज़दूर की मज़दूरी और कर्मचारी का वेतन पहले तय करके समय से भुगतान करना होगा ।

6. इस्लाम की क़ानूनी व्यवस्था

इस्लाम ने हर क्षेत्र के क़ानून की रूप-रेखाएं निर्धारित की हैं जो क़ुरआन और ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षा और व्यवहार से उद्धृत हैं । इन सीमाओं के अंतर्गत नयी चुनौतियों के प्रस्तुत होने पर विस्तृत नियम बनाए जा सकते हैं । यह नियम, क़ानून सदा के लिए और हर स्थान के लिए प्रासंगिक हैं । इस क़ानून का लोगों के मन में सम्मान होता है, क्योंकि यह ईश प्रदत्त प्रणाली का अंग है। इस क़ानून के मुख्य प्रकार ये हैं ।

दंड संहिता : चोरी, व्यभिचार, दोषारोपण, झूठी गवाही, शराब, रिश्वत पर कड़े दंड का प्रावधान, जिससे बिगड़े हुए लोग भी अपराध करते हुए डरें ।

पारिवारिक : निकाह, तलाक़, विरासत संबंधी नियम ।

नागरिक : माल, इज़्ज़त आबरू की रक्षा, किसी को हीन समझ कर मज़ाक़ न उड़ाना, किसी को बुरे नाम से न पुकारना, पीठ पीछे किसी की बुराई न करना, बदगुमानी (कुधारणा) न करना आदि के नियम ।

श्रम : मज़दूरी पहले तय करना, पसीना सूखने से पहले (अर्थात शीघ्र) मज़दूरी देना, मज़दूर पर उसके सामर्थ्य से अधिक काम न डालना, मज़दूर तथा कर्मचारी अमानत में ख़यानत नहीं करेगा और काम चोरी नहीं करेगा ।

आर्थिक : सभी अनुबंध लिखित या गवाही से होंगे । ब्याज की मनाही, जुआ, सट्टा, लॉटरी भी प्रतिबंधित। मिलावट, जमाख़ोरी, नाप-तौल में हेरा-फेरी पर सज़ा । क्रय-विक्रय संबंधी नियम, कृषि भूमि के उपज की बटाई, साझेदारी के सिद्धांत, उधार लेन-देन के तरीक़े आदि ।

इसके अतिरिक्त युद्ध, संधि और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के नियम-क़ानून भी उपलब्ध हैं ।

7. इस्लाम की आध्यात्मिक व्यवस्था

इस्लाम जीवन को आध्यात्मिक और सांसारिक विभागों में नहीं बांटता, बल्कि उसके अनुसार इन्सान की रूहानी (आध्यात्मिक) उन्नति का मार्ग संसार से होकर गुज़रता है, इसलिए संसार त्यागने की अनुमति नहीं । पालनहार की दासता स्वीकारना आत्मा की मांग है । इसके लिए नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज इबादत व उपासनाएं हैं । मगर अस्ल काम तो यह परीक्षा पास करना है कि बाज़ार में, आफ़िस में, घर परिवार में, अदालत में आप ईश्वर के आज्ञापालक हैं, वहां ईमानदारी, कर्तव्य परायणता से कार्य करते हैं ? यदि हां तो आप आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं अन्यथा नहीं । मस्जिद में आज्ञाकारी और बाहर आकर अवज्ञा, इस दोग़लेपन की इजाज़त इस्लाम नहीं देता । आप ईश्वर के प्रति आस्थावान हों उसके बताए मार्ग पर व्यावहारत: चलें । अपने आपको ईश्वर के समक्ष विचार में भी और आचरण में भी जितना अधिक समर्पित करते चले जाएंगे उतने ही आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे ।

उपरोक्त संक्षिप्त चर्चा से स्पष्ट है कि इस्लाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए नियम-क़ानून रखता है । मूलाधारों को अपरिवर्तित रखते हुए नयी चुनौतियों के लिए उनमें पर्याप्त लचीलापन (Flexibility) पाया जाता है । दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अन्य जीवन व्यवस्थाओं के नियम-क़ानूनों की तुलना में इस्लामी व्यवस्था का आधार अत्यंत मज़बूत है । अन्य क़ानूनों के पीछे सामाजिक दबाव या शासन, प्रशासन के भय के अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं होती, जबकि इस्लाम इन नियमों के पालन पर ईश-प्रसन्नता और पारलौकिक पुरस्कार तथा इन्हें तोड़ने पर आख़िरत (परलोक) की पकड़ के विश्वास द्वारा एक सुदृढ़ क्रियान्वयन शक्ति प्रदान करता है जो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है ।

ANSARI STONE KOTA

Deals in :
ALL TYPES OF SAND STONE
(RED, BLUE, BROWN ETC.)

MACHINE CUT & HAND CUT SAND STONE




KOTA STONE

Address :
RAM NAGAR NEW STONE MANDI
KOTA RAJASTHAN

Mobile : 9829039190, WhatsApp : 9660853702

हज़रत उसामा इब्ने-ज़ैद (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–"हश्र के दिन एक व्यक्ति दोज़ख़ में फेंक दिया जाएगा, उसकी आंतें बाहर आ जाएंगी और वह जहन्नम में गधे की तरह घूमता फिरेगा। जहन्नम के लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर पूछेंगे कि क्या हुआ तुम तो हमें अच्छाइयों की हिदायत देते थे और बुराइयों से रोकते थे ? वह कहेगा कि मैं आप सबको हिदायतें ज़रूर देता था कि भले काम करो और बुराई से बचो पर मैं ख़ुद उस पर अमल नहीं करता था।"

(बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER

NAGPUR

हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "उस पर अल्लाह की रहमत हो जो बेचने, ख़रीदने और दावा करने में दयालुता से काम लेता है।"

(बुख़ारी)

A WELL WISHER

NAGPUR

चरित नायक : हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)

■ मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

जगत और जीवन

ईश्वर के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कामों के सर्वेक्षण से पहले एक बार हम फिर जगत और जीवन पर विहंगम दृष्टि डाल लें । विज्ञान यह बताने की कोशिश करता है कि यह जगत कैसे चल रहा है और इसमें कौन-से प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं । विज्ञान बताता है कि हम धरती की चीज़ों को किस प्रकार उपयोगी बना सकते हैं और आदमी अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार ठीक रख सकता है ।

रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है । वायुमंडल को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है । अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए कैसे अस्त्र-शस्त्र का अन्वेषण किया जा सकता है । सुदूर के लोगों तक शीघ्र से शीघ्र सूचनाएं कैसे भेजी जा सकती हैं । दूरगामी स्थानों तक कैसे जल्द-से-जल्द पहुंच सकते हैं ? इन समस्याओं को हल करने के लिए उसने टेलीग्राफ़, फ़ैक्स, इंटरनेट का अन्वेषण किया । वायुयान बनाए, तरह-तरह के हथियार, यहां तक कि एटम बम और हाईड्रोजन बम तक उसने बना लिए ।

इस सबके बावजूद इन प्रश्नों के उत्तर देने में वह असफल है कि इस जीवन और जगत का वास्तविक उद्देश्य क्या है ? हम इस धरती पर किस लिए पैदा होते हैं ? इस जीवन-यात्रा की मंज़िल क्या है ? क्या मानव की नियती मात्र मृत्यु है ? जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है जिसके पा लेने के प्रयास को परम कर्तव्य कहा जा सके ? मानव-जीवन और जगत को मनुष्य किस दृष्टि से देखे ? क्या भौतिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त कोई दृष्टिकोण और भी संभव है ?

इन प्रश्नों के उत्तर देने में विज्ञान असफल दिखायी देता है । ये मौलिक प्रश्न विज्ञान की परिधि के बाहर समझे जाते हैं । इन मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाने की आशा जिससे की जा सकती है वह धर्म है। लेकिन हम देखते हैं कि धर्म आज इन मौलिक प्रश्नों को हल करने के बजाय दूसरी चीज़ों में उलझकर रह गया है । सूत्र को सुलझाने के बजाय उसे और अधिक उलझा दिया है । धर्म सिर्फ़ एक होना चाहिए था, वह भिन्न धर्मों और सेप्रदायों में विभक्त होकर रह गया है । हालांकि कई धर्मों का होना स्वयं अधर्म है । मौलिक प्रश्नों के कई उत्तर नहीं हो सकते । सही उत्तर तो एक ही होगा और वह मानव की प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा, वह न्याय और सत्य पर आधारित होगा । वह उत्तर ऐसा होगा जो सबके लिए स्वीकार्य को सके । मानव-प्रकृति मूलत: एक है, मानवता के प्रश्न समान हैं । फिर उनके उत्तर अनेक कैसे हो सकते हैं ?

ईश्वर ने हमारे लिए जीवन की संमस्त सामग्री जुटाई है । धरती में मानव रह सके इसके लिए कितनी व्यापक व्यवस्था की गयी है : धरती ग़ल्ला उगाती है, वर्षा से खेतों की सिंचाई होती है । सूर्य से हमें रात के बाद दिन ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी गर्मी से हमारी फ़स्लें तैयार होती हैं । पृथ्वी की आकर्षण शक्ति हमें धरती में थामे रखती है । धरती की गतिशीलता से रात-दिन बनते हैं । रातें हमारे विश्राम के लिए और दिन काम के लिए होता है । इस प्रकार हम जगत में ऐसी व्यापक व्यवस्था पाते हैं जिसके कारण ध रती पर जीना संभव होता है ।

प्रश्न यह है कि जिस ईश्वर ने हमें जीवित रहने के लिए इतना सुनियोजित और सुव्यवस्थित प्रबंध किया है, क्या वह हमें यह बताए बिना छोड़ देगा कि उसने हमें यह जीवन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदान किया है ? हमें इस जीवन में किस भूमिका का निर्वाह करना है ? हमारे जीवन की संभावनाएं क्या हैं ? जीवित रहने से अधिक महत्व जीवन-लक्ष्य का होता है । आख़िर ईश्वर इस संबंध में हमारे मार्गदर्शन की व्यवस्था क्यों नहीं करेगा ?

ईश्वरीय मार्गदर्शन

धरती पर मनुष्य एक बहुत बड़ी और रहस्यमय घटना है । जब ऐसी घटना संभव हो सकी तो फिर यह असंभव कैसे हो सकता है कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन भी करता चला आ रहा है । मनुष्य के मार्गदर्शन ही के लिए आरंभकाल से

ईश्वर अपने संदेशवाहक भेजता रहा है जिनको हम नबी, पैग़म्बर या रसूल के नाम से जानते हैं । दुनिया में अनगिनत पैग़म्बर आये और उन्होंने अपने-अपने समय में मनुष्यों का मार्गदर्शन किया । पैग़म्बरों के द्वारा यह मार्गदर्शन चेतना के स्तर पर किया गया । इसके लिए ईश्वर ने वाणी अवतरित की और अपनी किताबें उतारीं । ईश्वर ने अपना संदेश मानवों ही की भाषा में मानवों तक पहुंचाया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पहले की दुनिया

पैग़म्बरों में सबसे अंत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का पदार्पण हुआ । आपका पदार्पण ऐसे युग में हुआ जब धर्म एक पहेली बनकर रह गया था और नाना प्रकार की विकृतियां थीं जो धर्म के नाम से प्रचलित थीं । धर्म का अपना वास्तविक स्वरूप नष्ट हो चुका था । परस्पर विरोधी बातों के अतिरिक्त धर्म मात्र एक खेल-तमाशे की चीज़ बनकर रह गया था । तरह-तरह की कुरीतियों ने जन्म ले लिया था । कुछ ने तो ईश्वर के अस्तित्व और आत्मा ही का इन्कार कर दिया था । कुछ की दृष्टि में धार्मिक एवं आध्यात्मिक उच्चता का अधिकार केवल उच्च कुल में जन्मे लोगों को प्राप्त था ।

कुछ लोग एकेश्वर के स्थान पर त्रिवाद में पड़ गये थे और पूजा और उपासना एक ईश्वर के अतिरिक्त अगणित देवी-देवताओं की होने लगी थी । बहुदेववाद ने अपनी जड़ें मज़बूत बना ली थीं । ईश्वर के अधिकार और उसके हक़ क्या होते हैं और इस सिलसिले में हमारा नैतिक कर्तव्य क्या होता है इसे विस्मृत कर दिया गया था । मानव-मानव के मध्य भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी गयी थीं । स्त्रियों के साथ न्याय और सद्व्यवहार हो इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी, बल्कि स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा ही नहीं जाता था । धर्म में पुरोहितवाद ने जन्म ले लिया था और एक वर्ग-विशेष धर्म का ठेकेदार बन गया था और यह धारणा बना ली गयी थी कि पुरोहित के माध्यम के बिना ईश्वर को पाना संभव नहीं ।

मुक्ति की धारणा भी स्पष्ट न थी । मानवों में एक समुदाय यह समझने लगा था कि मुक्ति और नजात केवल उसी के लिए है । धर्म अपनी सहजता और पवित्रता खो चुका था । धर्म में धर्म का वास्तविक भाव अर्थात धार्मिकता शेष नहीं रह गयी थी । बस कुछ भली-बुरी रीतियां थीं जिनके पालन का नाम धर्म रख लिया गया था । धार्मिक पेशवा सबसे बढ़कर अधर्म के कार्य में रत थे । दान के अधिकारी वही समझे जाते थे ।

पारलौकिक जीवन के विषय में नाना प्रकार की धारणाएं प्रचलित थीं जिनके उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं । धर्म ने पूर्ण रूप से ऐच्छिकवाद, स्वार्थपरता और भौतिकता का रूप धारण कर रखा था । न उसमें सहज तर्क और विवेक की गुंजाइश थी और न उसमें सच्ची आध्यात्मिकता ही शेष रह गयी थी । धर्म-मार्ग को जटिल से जटिल बना दिया गया था । शुष्कता ने पूर्ण रूप से धर्म को नितांत नीरस बनाकर रख दिया था । मन के कोमल और मधुर भाव खो गये थे । ईश-समर्पण और भक्ति के शब्द केवल किताबों के पन्नों में पाये जाते थे । व्यवहार से उनका संबंध शेष न था ।

धर्मगुरु और महान संत भी धर्म की वास्तविकता से नितांत अनभिज्ञ थे । इससे इन्कार नहीं कि कुछ लोग धर्म के पारिभाषिक शब्दों के ज्ञाता अवश्य थे, किन्तु उन्हें धर्म की वास्तविकता का कुछ भी पता न था । जैसे अंधे को प्रकाश शब्द का ज्ञान तो हो किन्तु प्रकाश का उसे कभी अनुभव न हुआ हो । फिर कोई भी धर्म प्रामाणिक स्थिति में नहीं पाया जाता था । धर्मों में अनुचित मिश्रण और प्रक्षिप्त अंशों की भरमार थी, जिसमें सत्य गुम होकर रह गया था । ऐसा था वह अंधकारमय वातावरण जिसमें ईश्वर ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अपना पैग़म्बर बनाकर भेजा, और आपकी ज़िम्मेदारी यह ठहराई कि आप केवल किसी जाति विशेष का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवजाति का मार्गदर्शन करें । उन्हें बताएं कि जीवन का अस्ल उद्देश्य और लक्ष्य क्या है ? ईश्वर का उनके लिए क्या संदेश है ? वे अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं ? ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ?

व्यक्तित्व एवं कृतित्व की एक झलक

पैग़म्बरी के दायित्व के निर्वाह में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । लोग आपके शत्रु हो गये । आप (सल्ल०) पर ईमान लाने वालों को भी सताया गया । यहां तक कि आप (सल्ल०) को मक्का, जो आपका जन्म स्थान था, छोड़कर मदीना में शरण लेनी पड़ी, किन्तु आप अपने कर्तव्य के पालन में निरंतर लगे रहे । इसमें संदेह नहीं कि आपको ईश्वर की ओर से महानता प्राप्त थी । आपका हृदय अत्यंत

विशाल था । आप निर्मल और कोमल स्वभाव के थे । करुणा से आपका हृदय भरा हुआ था । ईश्वर आपका सहायक था । आपने जो महान कार्य किया, वह किसी आश्चर्य से कम नहीं ।

किसी की महानता और उच्चता का अनुमान दो चीज़ों से किया जा सकता है; उनमें से एक है दानशीलता । आप (सल्ल॰) कहते हैं कि यदि उहुद पर्वत मेरे लिए सोना हो जाए तो भी मैं कभी यह पसंद नहीं करूंगा कि तीन दिन गुज़र जाएं और एक दीनार (के बराबर क़ीमत का सोना) भी मेरे पास रहे, सिवाय उस दीनार के जिसे ऋण चुकाने के लिए मैं छोड़ दूं ।

संसार के प्रस्थान करने के समय की बात है कि घर में सोने का एक टुकड़ा था, आप (सल्ल॰) ने कहा, "उसको सदक़ा (दान) कर दो ।" होश आता तो पूछते, "सदक़ा (दान) किया कि नहीं ? मैं नहीं चाहता कि ईश्वर से इस दशा में मिलूं कि मेरे घर में दुनिया पड़ी हो ।"

आपकी सादगी का हाल यह था कि आपके पास एक ही जोड़ा कपड़ा था, और जिन कपड़ों में आपकी मृत्यु हुई उनमें ऊपर तले पैवन्द लगे हुए थे । घर में एक साधारण-सी चारपाई, चमड़े का मशक़ीज़ा (छोटा मशक) और थोड़े-से जौ के सिवा और कुछ न था । हालांकि उस समय 10 लाख वर्ग मील पर आपको शासनाधिकार प्राप्त था और यमन से सीरिया तक फैले इस्लामी राज्य के आप शासक थे ।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने अपनी पत्नियों के लिए जो कमरे बनवाए थे, वे कच्चे थे और ऊंचे इतने कि खड़ा होकर आदमी छत को छू सकता था । आगे चलकर उमवी वंश के ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक ने जब चाहा कि आपकी मस्जिद का विस्तार करे तो इसके लिए इन कमरों का गिराना ज़रूरी था तो मदीनावासी रो पड़े । वे चाहते थे कि इन्हें बाक़ी रखा जाए; ताकि लोग देख सकें कि 10 लाख वर्ग मील के अधिक्षेत्र का शासक कैसा सादा जीवन गुज़ार गया । आपने कहा भी था कि "मैं तो बांटने वाला हूं, देता अल्लाह है ।"

दूसरी चीज़ जिससे किसी की महानता का अनुमान किया जा सकता है, वह है क्षमाशीलता का गुण । इस गुण से भी ईश्वर ने आपको पूर्णतः संपन्न किया था । ताइफ़ के लोगों ने आपका निरादर किया, आप (सल्ल॰) पर पत्थर फेंके, आप (सल्ल॰) रक्तरंजित हो गये और ख़ून से आपके जूते भर गये, किन्तु आपने ताइफ़ के निवासियों के लिए प्रार्थना की तो यह कि "ऐ अल्लाह ! इन्हें क्षमा कर दे, ये नादान हैं ।"

आपकी क्षमाशीलता का प्रदर्शन विशेष रूप से उस समय भी देखने को मिलता है जब मक्का पर आप (सल्ल॰) को विजय प्राप्त होती है । आपने मक्का वालों को क्षमा कर दिया और कहा कि जाओ, तुम स्वतंत्र हो । हालांकि ये वे लोग थे जिन्होंने आपको और आपके साथियों को सताने में कोई कमी नहीं की थी । यही लोग थे जिन्होंने आपको क़त्ल कर देने की पूरी तैयारी कर ली थी और आपकी हत्या करने के लिए आपके घर का घिराव कर लिया था । आपने अपनी जान के शत्रुओं को न केवल यह कि क्षमा कर दिया, बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने हज के अवसर पर अरफ़ात के मैदान में जो भाषण दिया था, उसमें आपने कहा था–

"लोगो ! मेरा ख़याल है, मैं और तुम फिर कभी इस सभा में एकत्रित न हो सकेंगे । लोगो ! तुम्हारे ख़ून, तुम्हारे माल और तुम्हारी प्रतिष्ठाएं एक-दूसरे के लिए ऐसी ही आदरणीय हैं जैसे तुम आज के दिन का और इस नगर का आदर करते हो । लोगो ! तुम्हें शीघ्र ही अपने प्रभु के समक्ष उपस्थित होना है और वह तुम से तुम्हारे कर्मों के बारे में प्रश्न करेगा । सावधान ! मेरे बाद पथ-भ्रष्ट न हो जाना कि एक-दूसरे की गर्दनें काटने लगो ।

सुन लो ! अज्ञानकाल की हर बात मैं अपने पैरों तले डालता हूं । अज्ञानकाल के ख़ून के झगड़ों को निरस्त करता हूं । पहला ख़ून जो मेरे ख़ानदान का है, इब्ने-रबिआ बिन-हारिस का ख़ून है जो बनी साद में दूध पीता था और उसे हुज़ैल ने क़त्ल कर दिया था, मैं माफ़ करता हूं ।

अज्ञानकाल का ब्याज समाप्त कर दिया गया । पहला ब्याज अपने कुटुम्ब का मैं मिटाता हूं । वह अब्बास बिन-अब्दुल मुत्तलिब का ब्याज है, वह सब-का-सब छोड़ दिया गया ।

लोगो ! अपनी पत्नियों के विषय में ईश्वर का डर रखो । ईश्वर के संरक्षण में तुमने उन्हें अपनी पत्नी बनाया है और ईश्वर के शब्द द्वारा तुमने उनसे शारीरिक संबंध को अपने लिए वैध किया है । तुम्हारा अधिकार स्त्रियों पर इतना है कि वे तुम्हारे बिस्तर पर ग़ैर को न आने दें । किन्तु वे एसा

(शेष पृष्ठ 19 पर)



"अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करो और अपने हाथों अपने आपको तबाही में न डालो । अच्छे से अच्छा तरीक़ा अपनाओ कि अल्लाह अच्छे से अच्छा तरीक़ा अपनाने वालों को पसन्द करता है ।"

(क़ुरआन, 2:195)

A Well Wisher

KOTA (RAJ.)

हज़रत अनस बिन मालिक अंसारी (रज़ि॰)

❖ अब्दुर्रहमान राफ़त पाशा

अनस बिन मालिक (रज़ि॰) को उनकी मां गुमैसा ने उसी वक़्त कलिमा-ए-हक़ अर्थात "मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद (सल्ल॰) अल्लाह के रसूल हैं", पढ़वा दिया था जब उन्होंने लुंगी बांधना भी नहीं सीखा था। गुमैसा ने आप (सल्ल॰) की बातें अपने नन्हे बेटे को सुना-सुनाकर उसके दिल को आप (सल्ल॰) के प्रेम से भर दिया था। अनस भी आप (सल्ल॰) का नाम सुन-सुनकर ही आपसे प्रेम करने लगे थे। इसमें ताज्जुब की कोई बात है भी नहीं क्योंकि कभी-कभी आंखों से पहले कानों को किसी से प्यार हो जाता है। अनस हमेशा सोचा करते थे कि मक्का जाकर आपके दर्शन कर आएं या फिर ख़ुद आप (सल्ल॰) मदीना आ जाएं तो आपके दीदार से अपनी आंखों को प्रकाशमान कर लें।

ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था कि यसरिब में यह ख़बर फैल गयी कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) अबू बक्र (रज़ि॰) के साथ बहुत जल्द यसरिब पहुंच रहे हैं। इस ख़बर से हर घर ख़ुशियों का चमन और हर दिल ख़ुशियों का गुलशन बन गया। आंखों और मन के पंछी उस रास्ते पर बैठ गये जिस रास्ते से नबी (सल्ल॰) और उनके दोस्त आ रहे थे।

यसरिब के बच्चों में भी नबी (सल्ल॰) के दर्शन पाने की मासूम चाहत समुद्र की लहरों की भांति हिचकोले खा रही थी। हर सुबह कोई कह देता कि रसूलुल्लाह (सल्ल॰) आ गये, और बच्चे उस रास्ते पर दौड़ लगा देते। अनस भी उन बच्चों में एक होते, लेकिन जब पता चलता कि आप (सल्ल॰) अभी नहीं आये हैं, तो अनस का मासूम दिल टूट जाता और वे दुखी होकर वापस लौट आते।

एक सुबह, जो बहुत सुनहरी थी, यसरिब की गलियों में कुछ लोगों ने एलान किया कि मुहम्मद (सल्ल॰)' और उनके साथी यसरिब के बहुत क़रीब आ गये हैं। एलान सुनकर सारे लोग उस रास्ते की ओर दौड़ पड़े जिस पर चलकर आप (सल्ल॰) आने वाले थे। उनके साथ बहुत से बच्चे भी थे जिनके दिल में नबी (सल्ल॰) को देखने की तमन्ना ख़ुशी बनकर उनके मुखड़े से ज़ाहिर हो रही थी। अनस बिन मालिक अंसारी उन बच्चों में सबसे आगे-आगे थे।

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) और हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) यसरिब पहुंच चुके थे और रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े लोगों और बच्चों की पंक्तियों के बीच से गुज़र रहे थे। उधर औरतें और बच्चियां अपने-अपने घर की छतों पर चढ़कर आप (सल्ल॰) को देखने का प्रयास कर रही थीं और एक-दूसरे से पूछ रही थीं : उनमें नबी (सल्ल॰) कौन हैं ? वह एक ऐसा पावन दिन था जिसे अनस बिन मालिक (रज़ि॰) जीवन भर याद करते रहे।

जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) मदीने आकर रहने लगे तो एक दिन गुमैसा (रज़ि॰) अपने बेटे अनस को आपके पास ले आयीं और आपको सलाम करने के बाद कहने लगीं : "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मदीने का कोई पुरुष या महिला ऐसी बाक़ी नहीं जिसने आपको कुछ न कुछ तोहफ़ा पेश न किया हो। बस मैं ही एक ऐसी अभागिन हूं जिसके पास आपको भेंट करने के लिए इस बेटे के सिवा कुछ भी नहीं। आप इसे अपने पास रख लें, यह आपकी सेवा करेगा।

आप (सल्ल॰) ने मुस्कराते हुए अनस (रज़ि॰) को देखा, उनके माथे पर अपना मुबारक हाथ फेरा, उनके बालों की चोटियों को अपनी उंगुलियों से छुआ और उनको अपने घर का एक सदस्य बना लिया।

जिस वक़्त अनस (रज़ि॰) ने अपने आपको नबी (सल्ल॰) की सेवा में समर्पित किया उस वक़्त उनकी आयु दस साल थी। वे उस समय तक आपके सेवक रहे जब तक आप जीवित रहे। इस प्रकार उनको पूरे दस साल तक आप (सल्ल॰) की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त रहा। इस अवधि में उन्होंने आपके सद्गुणों के समुद्र से ज्ञान तथा आचरण के अनगिनत मोती चुने, आपकी हदीसों को याद किया और आपके उन परिस्थितियों एवं राज़ों से वाक़िफ़

हुए जिन्हें उनके अलावा कोई और नहीं जान सका ।

अनस बिन मालिक (रज़ि॰) से आप (सल्ल॰) का ऐसा गहरा एवं स्नेहपूर्ण मामला रहा जैसा बाप और बेटे में भी नहीं होता । आपके उन सद्गुणों का समावेश अनस (रज़ि॰) ने अपने अन्दर किया जिन पर एक दुनिया रश्क कर सकती है । आइए इस बाबत हम खुद अनस (रज़ि॰) की ज़ुबानी कुछ सुनते हैं, क्योंकि वही इसको अच्छी तरह बयान कर सकते हैं । वे कहते हैं–

''अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) तमाम लोगों में सबसे अधिक सदाचरण वाले, सबसे ज़्यादा उदार दिल और सबसे ज़्यादा कृपालु थे । एक दिन आपने मुझे किसी काम से भेजा । मैं रास्ते में बच्चों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि आपका काम भूल गया । बहुत देर बाद अचानक मुझे आभास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरा कपड़ा हौले से खींच रहा है । मैंने मुड़ कर देखा तो पाया कि आप (सल्ल॰) खड़े-खड़े मुस्करा रहे हैं । फिर आपने मुझ से कहा–''उनैस ! मैंने जो काम तुम्हें दिया था, कर लिया ?''

मैंने हकलाते हुए कहा : ''हां, अभी जा रहा हूं ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)!''

अल्लाह की क़सम ! मैंने आपकी दस साल तक सेवा की । इस लंबी अवधि में आपने कभी यह नहीं कहा कि अनस ! यह तुमने क्यों किया या तुमने ऐसा क्यों नहीं किया ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) हज़रत अनस (रज़ि॰) को कभी प्यार से ''उनैस'' या कभी "ऐ मेरे बेटे" कहकर पुकारा करते थे । आप (सल्ल॰) उन्हें अच्छे-अच्छे उपदेश भी दिया करते थे । उन्हीं उपदेशों में से कुछ निम्नलिखित हैं–

- "ऐ बेटे ! तुम्हारी सुबह और शाम अगर इस हाल में हो कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए जलन तथा धोखा न हो तो ऐसा अवश्य करो ।''
- "बेटे ! यह मेरी सुन्नत है । जो मेरी सुन्नत को ज़िन्दा करेगा तो इसके मायने यह हैं कि वह मुझसे प्रेम करता है और जो मुझसे प्रेम करेगा वह जन्नत में मेरे साथ होगा ।"
- "बेटे ! जब तुम अपने घर में प्रवेश करो तो घर के लोगों को सलाम करो, इससे तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बरकत हासिल होगी ।"

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि॰) आप (सल्ल॰) के निधन के बाद अस्सी साल से अधिक ज़िन्दा रहे । इस अवधि में अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के ज्ञान को पूरी लगन के साथ दुनिया में फैलाया, आपकी सुन्नतों का प्रचार-प्रसार किया और आपकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया । वे जीवन भर ज्ञान के क्षेत्र में मुसलमानों के पेशवा रहे । जब भी कोई धार्मिक मसला पेश आता या लोग किसी दीनी मसले को समझ नहीं पाते, तो अनस (रज़ि॰) के पास ले आते थे और अनस (रज़ि॰) उसे आसानी से हल कर देते थे ।

एक बार की बात है, दीन के सिलसिले में अपने दिल में संदेह रखने वाले कुछ लोगों के बीच इस बात पर बहस होने लगी कि प्रलय के दिन आप (सल्ल॰) का हौज़ महशर में होगा या नहीं ? आख़िर उन्होंने अनस (रज़ि॰) के सामने इस मसले को पेश किया । आपने फ़रमाया : मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस समय तक जीवित रहूंगा जब तुम जैसे लोग हौज़ के होने न होने पर बहस करने लगेंगे । मैंने बहुत-सी ऐसी बूढ़ी औरतों को देखा है जिनमें से हरेक अपनी हर नमाज़ में अल्लाह से यह दुआ अवश्य करती थी कि अल्लाह उसे नबी (सल्ल॰) के हौज़ (हौज़-ए-कौसर) का पानी पिलाए ।

अनस (रज़ि॰) ने अपना पूरा जीवन अपने स्वामी हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की यादों में गुज़ारा । जिस दिन वे आप (सल्ल॰) से पहली बार मिले थे तो बहुत ख़ुश हुए थे और जिस दिन आपका देहांत हुआ था, उस दिन वे बहुत रोये भी थे । वे आप (सल्ल॰) की कथनी एवं करनी पर अमल करने को अपने जीवन का सार समझते थे । आप (सल्ल॰) ने जिस चीज़ को पसन्द किया उन्होंने भी पसन्द किया और जिस चीज़ को नापसन्द किया उन्होंने भी नापसन्द किया । वे आप (सल्ल॰) के जीवन के दो पलों को बहुत ज़्यादा याद किया करते थे ।

एक आपसे पहली बार मिलने के दिन को, दूसरा आपके निधन के दिन को । जब पहला दिन उन्हें याद आता तो ख़ुशी से झूम जाते और जब दूसरा दिन याद आता तो खुद भी रोते और दूसरों को भी रुलाते थे ।

हज़रत अनस (रज़ि॰) यह बात बार-बार कहा करते थे कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को उस दिन भी देखा जब आप हमारे यहां आये थे और उस दिन भी देखा जब आपका हमारे सामने निधन हुआ था । इन दो दिनों की तरह

मैंने कोई तीसरा दिन नहीं देखा । जिस दिन आप हमारे यहां आये थे, उस दिन ऐसा लगा था जैसे सब कुछ रौशन हो उठा है और जिस दिन आपका निधन हुआ उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हर ओर अंधेरा छा गया हो । आप (सल्ल॰) पर मेरी अंतिम नज़र सोमवार के दिन पड़ी थी जब आपके कमरे का परदा हटा दिया गया था । मैंने आपका चेहरा देखा तो ऐसा लगा था जैसे कुरआन का एक पन्ना हो । लोग उस दिन अबू बक्र (रज़ि॰) के पीछे खड़े थे और आप (सल्ल॰) को देख रहे थे । क़रीब था कि लोग अपनी जानें त्याग दें लेकिन अबू बक्र (रज़ि॰) ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया । उसी दिन आख़िरी पहर में आप (सल्ल॰) अपने रब से जा मिले । हमारी नज़रों ने आपके चेहरे से ज़्यादा अजीब दृश्य नहीं देखा था जब हम आप (सल्ल॰) पर मिट्टी डाल रहे थे ।

रसूलुल्लाह (सल्ल॰) ने कई बार अनस (रज़ि॰) के लिए दुआ की थी कि ऐ अल्लाह ! तू अनस के माल और संतान में बरकत प्रदान कर तथा उसे लंबी आयु दे ।

अल्लाह ने आप (सल्ल॰) की यह दुआ क़बूल कर ली । अनस (रज़ि॰) अंसारियों के सबसे ज़्यादा धनवान और सबसे ज़्यादा संतान वाले व्यक्ति बन गये । उनकी संतानों की तादाद (पोते-पोतियों को मिलाकर) सौ से ज़्यादा थी । आयु भी उन्होंने एक सौ तीन साल की पायी ।

अनस (रज़ि॰) की बहुत इच्छा थी कि उन्हें प्रलय के दिन आप (सल्ल॰) की शिफ़ाअत (सिफ़ारिश, जन्नत के लिए) प्राप्त हो जाए । वे बार-बार कहा करते थे कि मुझे आशा है कि जब मैं प्रलय के दिन आप (सल्ल॰) से मिलूंगा तो कहूंगा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! यह है आपका छोटा-सा सेवक उनैस !

जब अनस (रज़ि॰) मृत्युशैया पर आ गये तो अपने घर के लोगों को ताकीद कर दी कि मुझे "लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" अर्थात "अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं", पढ़ाते रहो । उन्होंने यह भी वसीयत कर दी कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की छोटी-सी लाठी जो उनके पास थी, को भी मेरे साथ क़ब्र में रख दिया जाए । वसीयत के अनुसार वह लाठी उनके पहलू में रख दी गयी ।

हज़रत अनस बिन मालिक अंसारी (रज़ि॰) को अल्लाह की नेमतें मुबारक हों । उन्हें दस साल अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा करना भी मुबारक हो । अल्लाह उन पर कृपा की बारिश करे कि वे आप (सल्ल॰) की हदीसों को रिवायत (वर्णन) करने वाले तीन सबसे बड़े रावियों (वर्णनकर्ता) में से एक हैं । शेष दो अबू हुरैरा (रज़ि॰) और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰) हैं । अल्लाह उनकी मां गुमैसा (रज़ि॰) और ख़ुद उनको इस्लाम और मुसलमानों की तरफ़ से सर्वश्रेष्ठ बदला प्रदान करे !

(पृष्ठ 15 का शेष)

करें तो उनको बस ऐसी हलकी मार मार सकते हो जो स्पष्ट न हो । औरतों का हक़ तुम पर यह है कि तुम उन्हें रीति के अनुसार खिलाओ और कपड़े पहनाओ । लोगो ! मैं तुममें वह चीज़ छोड़कर जा रहा हूं, जिसे यदि तुम मज़बूती से पकड़े रहोगे तो कदापि पथ-भ्रष्ट न होगे । वह है–अल्लाह की किताब (अर्थात क़ुरआन)।

ऐ लोगो ! न तो मेरे पश्चात कोई पैग़म्बर है और न तुम्हारे पश्चात कोई उम्मत । सुन लो ! अपने रब की बन्दगी करो । पांचों समय की नमाज़ अदा करते रहो और एक महीने (रमज़ान) के रोज़े रखो । अपने माल की ज़कात स्वेच्छापूर्वक दिया करो और अपने अधिकारियों का आज्ञापालन करो और अपने रब की जन्नत में प्रवेश करो ।

लोगो ! क़ियामत के दिन तुम से मेरे विषय में पूछा जाएगा, तो तुम क्या कहोगे ?

लोगों ने कहा, हम इसकी गवाही देते हैं कि आपने ईश्वर के आदेश हम तक पहुंचा दिया है । आपने पैग़म्बरी का हक़ अदा कर दिया और आपने हितैषिता का हक़ पूरा अदा कर दिया । (अर्थात आपने हमें खरा-खोटा सब कुछ बता दिया ।)

आप (सल्ल॰) ने अपनी शहादत की उंगली (तर्जनी उंगली) को उठाया । इसके बाद आप (सल्ल॰) आकाश की ओर उंगली को उठाते, फिर लोगों की ओर झुकाते और कहते थे, ऐ अल्लाह ! गवाह रहना, ऐ अल्लाह ! गवाह रहना, ऐ अल्लाह ! गवाह रहना । ऐसा आपने तीन बार किया ।

देखो, जो लोग उपस्थित हैं, वे उन लोगों तक जो उपस्थित नहीं हैं, संदेश पहुंचा दें । संभव है कि तुममें से कितने ही सुनने वालों से कतिपय वे लोग इस बात के अधिक संरक्षक सिद्ध हों जिन तक यह संदेश पहुंचाया जाए ।''



''अल्लाह किसी जान पर उसकी सहन-शक्ति से बढ़कर ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं डालता । हर आदमी ने जो कमाई की है, उसका फल उसी के लिए है और जो बुराई समेटी है, उसका वबाल उसी पर है ।''

(क़ुरआन, 2:286)

A Well Wisher

BHATKAL

कैसे रुके आत्महत्या ?

❖ वारिस हुसैन

गत दिनों अख़बार में एक ऐसी ख़बर पढ़ी जिसने मुझे पूरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया । एक अत्यंत संपन्न व्यक्ति, जो गुरुग्राम की एक बड़ी कंपनी में डॉक्टर था, ने आत्महत्या कर ली और इतना ही नहीं, आत्महत्या करने से पहले उसने अपने पूरे परिवार की भी हत्या भी कर दी । उस परिवार की आर्थिक संपन्नता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है । पत्नी एक स्कूल चलाती थीं, बेटी दिल्ली की एक यूनीवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और बेटा स्कूल में पढ़ रहा था । मृत डॉक्टर की जेब से एक सुसाइड नोट मिला जिस पर आत्महत्या का कारण बताते हुए लिखा था कि, ''मैं अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पाया, जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं स्वयं ज़िम्मेदार हूं ।''

आत्महत्या की यह एकमात्र घटना नहीं है, लगभग रोज़ ही अख़बारों में इस प्रकार की घटनाओं की ख़बरें आती रहती हैं । जुलाई 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में हुई सामूहिक आत्महत्या की घटना ने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने योजनाबद्ध तरीक़े से आत्महत्या की और कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा । इससे पूर्व 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने भी पूरे देश को हिला कर रख दिया था ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू॰एच॰ओ॰) के आंकड़ों पर आधारित इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 15-19 वर्ष के आयु वर्ग में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है और विश्व में प्रतिवर्ष आत्महत्या करने वालों की संख्या 8 लाख तक पहुंचती है अर्थात हर 40 सेकेंड में विश्व में कहीं न कहीं एक व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है । भारत में आत्महत्या की प्रवृत्ति कितना भयानक रूप ले चुकी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व में महिलाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की 1/3 (एक तिहाई) घटनाएं और पुरुषों की 1/4 (एक चौथाई) घटनाएं भारत में ही होती हैं । एन॰सी॰आर॰बी॰ के आंकड़ों के अनुसार छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और देश में प्रति घंटा एक छात्र अपने हाथों अपना जीवन समाप्त कर लेता है । इसी प्रकार किसानों में इस प्रवृत्ति ने अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया है और अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष 15000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं । 2018 में सरकार की ओर से क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा के बाद भी इसमें कमी देखने में नहीं आयी है ।

क्यों करते हैं लोग आत्महत्या ? क्या होती है उनकी मानसिक दशा जो उन्हें इसके लिए प्रेरित करती है ? किस प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक दबाव होते हैं जो एक व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने पर बाध्य कर देते हैं ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सरलता से प्राप्त हो सकते थे यदि आत्महत्या के बाद मृर्तकों से संपर्क का कोई रास्ता होता । चूंकि यह असंभव है इसलिए इस संबंध में मनोविज्ञानिक, समाजशास्त्री व अन्य शोधकर्ताओं के समस्त उत्तर एवं निष्कर्ष मात्र अनुमान पर आधारित होते हैं या आत्महत्या करने वालों द्वारा छोड़े गये सुसाइड नोट पर । प्रसिद्ध मनोविज्ञानिक जैसी बेरिंग 2018 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ''आत्मघाती : हम ख़ुद को क्यों मारते हैं'' में इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं, ''किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाने वाले विशिष्ट मुद्दे निश्चित रूप से उतने ही अलग-अलग होते हैं जितने की उनके डी॰एन॰ए॰ ।'' यानी हर व्यक्ति का आत्महत्या करने का कारण दूसरे से भिन्न होता है । फिर भी मनोविज्ञानिकों ने जो कारण बताए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं–

1. भौतिक संपदा एवं संपन्नता को बढ़ाने में असफलता, 2. वित्तीय समस्याएं, 3. अकेलापन, 4. डिप्रेशन, 5. बीमारी, 6. काम पर उत्पादक होने में असमर्थता, 7. किसी प्रियजन की मृत्यु, 8. साथियों द्वारा लगातार चिढ़ाया जाना, 9. मानसिक या शारीरिक शोषण, 10. तलाक़ अथवा परिवार में कलह ।

कारण इनमें से कोई भी हो, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति निराशा की ऐसी चरम सीमा तक पहुंच जाता है कि उसे अपने जीवन का अंत कर लेने के अतिरिक्त अपनी

समस्याओं का कोई और समाधान नज़र नहीं आता । निराशा की यह अति उसमें सकारात्मक सोच की समस्त शक्ति को समाप्त कर देती है और नकारात्मकता उस पर ऐसी हावी हो जाती है कि वह अपने जीवन के सुनहरे पलों को भी भुला बैठता है । जिन घटनाओं में दूसरों को आशा की किरण नज़र आ जाती है इसे निराशा और असफलता के अतिरिक्त कुछ नज़र नहीं आता ।

विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी आत्महत्या के प्रयत्न को एक अपराध माना जाता था । आई॰पी॰सी॰ की धारा 309 के अनुसार "जो भी कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।"

परन्तु 2017 में इसे क़ानूनी अपराध के बजाए मानसिक रोग मानते हुए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया और आत्महत्या को अपराध मुक्त कर दिया गया ।

यहूदी धर्म में आत्महत्या करने वालों को वैसे तो तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनका अंतिम संस्कार यहूदी क़ब्रिस्तान में नहीं किया जाना चाहिए परन्तु यहूदी इतिहास में कुछ सामूहिक आत्महत्या की ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिन्हें उनका समाज अनुसरणीय और बड़े आदर और सम्मान का स्थान देता है ।

ईसाई धर्म में भी आत्महत्या को एक पाप के रूप में देखा जाता है पर इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं ।

बौद्ध धर्म में हर प्रकार की हत्या को बुराई माना गया है इसलिए आत्महत्या को भी एक अस्वीकार्य कर्म के रूप में देखा जाता है । हालांकि कुछ विशेष घटनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की बात भी पढ़ने को मिलती है । जैन धर्म पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित है इसलिए इसमें भी आत्महत्या को हत्या का ही एक रूप माना जाता है ।

हिन्दू धर्म में आत्महत्या को अहिंसा के आदर्शों का उल्लंघन माना जाता है और कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु का समय नहीं आ जाता ।

इस्लाम में आत्महत्या को एक अक्षम्य पाप माना गया है । इस्लाम का मानना है कि यह जीवन अल्लाह की अमानत है और इसे स्वयं समाप्त करने का अधिकार किसी इन्सान को नहीं है । इस्लाम मृत्यु पश्चात एक अनंतकालीन जीवन की धारणा प्रस्तुत करता है जिसमें हर व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा इसलिए आत्महत्या करने से किसी की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि सज़ा उसका इन्तिज़ार कर रही होगी ।

इस्लाम इस सांसारिक जीवन को एक परीक्षा के रूप में देखता है और मानता है कि यह परीक्षा किसी भी रूप में हो सकती है–निराशा और असफलता के रूप में अथवा प्रसन्नता और सफलता के रूप में । इसलिए कठिन परिस्थितिओं में इन्सान हताश व निराश होने के बजाय बहादुरी और दृढ़ता से उसका मुक़ाबला करे । इस्लाम उसे प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि "अल्लाह किसी इन्सान पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता" और यह कि "हर कठिनाई के बाद आसानी है"। यही कारण है कि अत्यंत कठिन परिस्तिथियों में भी एक मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक ओर जहां उससे सहायता की प्रार्थना करता है वहीं दूसरी ओर धैर्य के साथ उसका मुक़ाबला भी करता है । उसे पूर्ण विश्वास होता है कि परीक्षा की यह घड़ी एक दिन अवश्य समाप्त होगी और सफलता उसके क़दम चूमेगी । और यदि उसे पूरा जीवन भी कठिनाइयों से जूझते हुए व्यतीत करना पड़ता है तो इसका अच्छा फल उसे उस अनंतकालीन जीवन में अवश्य प्राप्त होगा जो उसका वास्तविक गंतव्य है ।

यही कारण है कि मुसलमानों में आत्महत्या की दर दूसरों की तुलना में काफ़ी कम है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां आत्महत्या की अधिकतम दर 30.2 प्रति एक लाख है वहीं मुस्लिम देशों जैसे कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, मोरक्को, अल्जीरिया आदि में यह दर 2-4 प्रति एक लाख के लगभग है । शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका कारण इस्लाम की शिक्षाएं हैं । अभी कुछ समय पूर्व जर्मनी की मैनहेम विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक सर्वे में पाया गया की मुसलमानों के जीवन में संतोष का स्तर दूसरों की तुलना में काफ़ी अधिक है, इसका श्रेय भी इस्लाम की शिक्षाओं को ही जाता है ।

तेज़ी से बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगाने के सारे प्रयत्न जब असफल होते प्रतीत हो रहे हैं तो मानवता की रक्षा और उसकी भलाई के लिए इस्लाम और उसकी शिक्षाओं का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए ।

कुछ सोचने की बातें

मानव जाति को एक ऐसे मार्गदर्शन और सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिससे कि वह अपने व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन का निर्माण कर सके और अपना जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्वक व्यतीत करे और साथ ही साथ उसका इस प्रकार सर्वांगीण विकास हो कि उसके भौतिक एवं आर्थिक जीवन और आध्यात्मिक एवं नैतिक पहलुओं के बीच आपसी टकराव न हो और न ही संतुलन बिगड़े ।

विचार करने से पता चलता है कि मानव जीवन से संबंधित मूल प्रश्न ये हो सकते हैं कि उसे पैदा करने वाला और इस पूरे ब्रह्माण्ड का निर्माता कौन है ? मानव और 'उसके' बीच का संबंध किस प्रकार का है ? जीवनदाता के निकट मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है ? संसार के रचयिता एवं निर्माता की इच्छा क्या है ? इस जीवन का अंत मृत्यु है, या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, अगर है तो 'दूसरा' जीवन कैसे सफल हो सकता है ?

ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मानव इतिहास के बुद्धिजीवी और शुभचिंतक समय-समय पर देने का प्रयास करते रहे हैं । उन्होंने ख़ुदा और Ultimate Reality (यथार्थ) का भी पता लगाने का प्रयास किया, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । क्योंकि, प्रथमत: उनके ये विचार अपनी-अपनी कल्पनाओं पर आधारित थे, जिससे उनके विचारों में समन्वय नहीं था, दूसरी बात यह कि मानव का ज्ञान एवं विचार संकुचित और सीमित होता है । फिर भी, अगर उनके इन काल्पनिक विचारों से विकास संभव भी हुआ, तो इस विकास का लाभ एक विशेष वर्ग को जाएगा, जिसमें नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का सतत् अभाव होगा और विकसित वर्गों का वर्चस्व रहेगा । ऐसे समाज में मानव को सुख-चैन कहां से मिल पाएगा ?

प्रसिद्ध इतिहासकार टाइन बी॰ के शब्दों में–

Most of the world civilizations were destroyed on the rock of material progress. (by Toyn Be)

जब से मानवजाति का इतिहास रहा है इन प्रश्नों का उत्तर समय-समय पर ईश्वर अपने संदेष्टाओं और 'आदेशों' द्वारा देता रहा है । अंतत: 'उसने' अपना अंतिम आदेश अपने अंतिम संदेष्टा द्वारा भेजकर इस प्रकार की सभी संभावना को समाप्त कर दिया और वह आदेश 'धर्म' है । जो व्यक्ति ईश्वर के इस निर्दिष्ट धर्म का अनुपालन करेगा, वही दोनों लोकों में सफल होगा ।

यह बात समझ में नहीं आती कि अपनी सृष्टियों में से उसने पक्षियों को उड़ना और मछलियों को तैरना सिखाया है, लेकिन इन्सान के मार्गदर्शन के लिए कुछ नहीं किया । क्या मानव के साथ ख़ुदा की दुश्मनी है कि उसे मार्गदर्शन की खोज में भटकता छोड़ दे ?

ईश्वर मानव को अपनी अनुपम सृष्टि कहता है । वह हमसे अत्यधिक प्रेम करता है । वह इतना महान, सर्वज्ञ और न्यायप्रिय है कि मानव के प्रत्यक्ष और परोक्ष की सारी आवश्यकताओं को जानता है और उसकी पूर्ति भी करता है । उसने हमारे लिए सारी चीज़ों को पैदा किया । उसकी नेमतों में केवल वे ही चीज़ें शामिल नहीं हैं, जो हमें आंखों से नज़र आती हैं, बल्कि अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो दिन-रात हमारी सेवा में लगी रहती हैं, परन्तु वे हमें नज़र नहीं आतीं ।

एक इंजीनियर या किसी चीज़ का बनाने वाला अपने उत्पादक का Manual भी पेश करता है । उत्पादन में अगर कोई ख़राबी होगी तो उसे उसी Manual के ज़रीए से पता करके दूर किया जा सकता है । इसी तरह ईश्वर ने अपनी सारी सृष्टि के लिए क़ानून और जीने का तरीक़ा प्रदान किया है ।

ईश्वर ने इन्सान की सभी आवश्यकताओं को बहुत अच्छे रूप से पूरा किया है । अर्थात उसने इन्सानों में से सबसे विशिष्ट व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके संदेष्टा या संदेशवाहक बनाया । उन पर वह्य के द्वारा अपना संदेश और मार्गदर्शन भेजता रहा है । संदेशवाहक या संदेष्टा (Prophets, Messengers) बहुत ही नेक, सच्चे, नि:स्वार्थ

और बेहतरीन इन्सान होते थे । वे केवल रहनुमाई और मार्गदर्शन पेश करने वाले नहीं होते थे, बल्कि सबसे पहले उन पर अमल करने वाले होते थे । ज़मीन पर खुदा का प्रतिनिधित्व करते थे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे । वे स्पष्ट रूप से बताते थे कि उनको वह्य (Divine Revealation) के द्वारा यह सब ज्ञान अल्लाह की ओर से प्राप्त हो रहा है । वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की ओर से कहते थे । उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होता था । वह अल्लाह का संदेश, मार्गदर्शन, आदेश और निर्देश किसी वर्ग और जाति के लिए नहीं लाते थे, बल्कि उनके सामने समस्त मानवजाति होती थी । संदेशवाहकों ने कभी मानव को जन्म, भाषा, वंश और प्रांत के आधार पर बांटा नहीं । उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए और उनके बताए गये मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना, वास्तव में ईश्वर को मानना और उसके आदेश व निर्देश का पालन करना है और संदेशवाहक को नकारना तथा उसके मार्गदर्शन को अस्वीकार करना केवल संदेशवाहक का इन्कार नहीं, बल्कि अल्लाह का इन्कार है । इतिहास में एक लाख से अधिक संदेशवाहक संसार के अन्य भागों में अलग-अलग समय और काल में आते रहे, केवल कुछ के नाम कुरआन और बाइबल में आये हैं । आदम (अलैहि०), नूह (अलैहि०), इबराहीम (अलैहि०), इस्माईल (अलैहि०), इसहाक़ (अलैहि०), याक़ूब (अलैहि०), यूसुफ़ (अलैहि०), मूसा (अलैहि०), ईसा (अलैहि०) और अन्तिम समय में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) आये ।

जीवन के जिन मूल प्रश्नों की चर्चा ऊपर की गयी है, उसके उत्तर में संदेशवाहकों ने केवल एक ही बात कही । उनके उत्तरों में कोई विरोधाभास नहीं है । क्योंकि संदेशवाहकों ने कोई बात अपनी तरफ़ से नहीं कही, बल्कि उन्होंने जो बातें कहीं वे ईश्वर की ओर से कहीं । अंत में मुहम्मद (सल्ल०) ने भी बताया कि वे उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो ज्ञान दे रहे हैं, वह कोई नयी बात नहीं है, कोई नया संदेश नहीं है, बल्कि पिछले संदेशवाहकों ने जो कुछ बताया था हम वही बात पेश कर रहे हैं ।

1. इस सृष्टि, मानव और ब्रह्माण्ड सबको पैदा करने वाला ईश्वर है । वही सबका मालिक है । ईश्वर का इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

2. इन्सान अनुपम सृष्टि है । उसका जीवन एक परीक्षा है । मानव ईश्वर के आगे उत्तरदायी है । उसके जीवन की सफलता, विकास और मुक्ति के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है । ईश्वर ने उनका मार्गदर्शन अपने संदेष्टाओं के द्वारा पहले ही दिन से करना प्रारंभ कर दिया है ।

3. संदेष्टाओं के संदेश और उनकी शिक्षाओं को मानकर जिन्होंने पारलौकिक जीवन में पेश आने वाले कर्म की पूछताछ पर विश्वास करके अपना जीवन व्यतीत किया, वे ही लोग इस लोक और परलोक दोनों में सफल होंगे और स्वर्ग का आनंद भोगेंगे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे लोग असफल होकर नरक की यातना भोगेंगे । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अंतिम संदेष्टा हैं और कुरआन अंतिम ईशग्रंथ । यह दोनों अर्थात हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पवित्र जीवनी, आपकी कही हुई बातें (हदीस) और कुरआन सुरक्षित हैं । इसी तरह इस्लाम सुरक्षित और प्रमाणिक धर्म है । यह विशेषता केवल इस्लाम को ही प्राप्त है ।

ईश्वर के अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और अन्तिम ईशग्रंथ कुरआन होने का अर्थ यह है कि हम सारे संदेष्टाओं को (उनका नाम ज्ञात हो या न हो) मानें और उनका आदर करें । सारे ईश्वरीय ग्रंथों को मानें । आइए, अब ईशदूत मुहम्मद (सल्ल०) के संदेश और उनकी शिक्षाओं पर ग़ौर करें, क्योंकि जिस काल व जिस समय के लिए पिछले संदेष्टाओं और ग्रंथों को भेजा गया था, अब वे परिस्थितियां नहीं रहीं । पिछले संदेष्टाओं का जीवन और उन पर अवतरित ईशग्रंथ सुरक्षित नहीं रहे । वे एक विशेष काल और समुदाय के लिए थे ।

दूसरी बात यह है कि पिछले संदेष्टाओं और ईशग्रंथों की शिक्षाओं को कुरआन ने अपने अन्दर समाहित कर लिया है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अन्तिम संदेष्टा और कुरआन को अन्तिम ईशग्रंथ मानने का अर्थ यह है कि हम सारे संदेष्टाओं को मानते हैं । अगर अस्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि हम किसी भी ईशग्रंथ और संदेष्टा को नहीं मानते, यहां तक कि हम ईश्वर को भी नहीं मानते ।

प्रश्न यह उठता है कि संदेष्टाओं और अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अल्लाह की ओर से संदेश और शिक्षाओं के पहुंचने का माध्यम क्या था ? यह माध्यम वह्य (Divine Revealation) कहलाती है ।

वह्य क्या है ?

कहा जा सकता है कि वह्य God's own way of

communication है । अर्थात ईश्वर अपने बन्दे को संदेश भेजता है, संदेश लाने वाले फ़रिश्ते जिबरील (अलैहि॰) थे। उपर्युक्त सच्चाइयों के बारे में हमें जानकारी ईश्वर से ही मिल सकती है । क्योंकि ईश्वर ने मानव और उसके मस्तिष्क को बनाया है और वह उसकी नफ़सीयात (Psychology) को अच्छी तरह जानता है । मानव जीवन के लिए सही या ग़लत, वैध या अवैध और लाभदायक और हानिकारक क्या है ? इस प्रकार की सभी सच्चाइयों को ईश्वर ही बता सकता है ।

हमारे पास बुद्धि है, परन्तु उसकी कुछ सीमाएं हैं, इससे ज़्यादा वह बढ़ नहीं सकती । उदाहरण के रूप में देखें, ब्याज, जुआ और लॉटरी । बुद्धि तो कहती है कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इससे लाभ उठाना चाहिए । परन्तु यह ईश्वर की वह्य है कि जो बताती है कि यह हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए । यह केवल एक उदाहरण है, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे उदाहरण हैं, जिन पर चिंतन-मनन करने पर विश्वास हो जाता है कि जीवन की कुछ ऐसी ही सच्चाइयां हैं, जिनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है । यह ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा ही नहीं बल्कि इसके लिए बुद्धि और ज्ञान से बढ़कर वह्य से मार्गदर्शन लेना अनिवार्य है । वह्य और बुद्धि में कोई टकराव नहीं है । दोनों एक-दूसरे के बैरी नहीं हैं । वह्य बुद्धि की सहायता करती है । जहां बुद्धि काम नहीं करती, वहां वह्य काम आती है । वह्य बुद्धि को आगे बढ़ाती है ।

हमने किसी संदेष्टा पर वह्य आते देखी नहीं है । हम किस तरह मान लें कि वह्य और संदेष्टा सत्य हैं ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें संदेष्टाओं के जीवन, उनके संदेश और उनकी दी गयी शिक्षाओं का अध्ययन करना होगा, उनकी बातों में जो सत्य है, जो मार्गदर्शन और रहनुमाई है उसको परखना होगा ।

अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, परन्तु उनकी शिक्षाएं और मार्गदर्शन और उनका विशुद्ध जीवन सब मौजूद है । उन्होंने मानव-समाज को जिस तरह बदला और वे जो सामाजिक परिवर्तन लाए, यह नमूना भी विश्व के सामने है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) इतिहास के पूरे प्रकाश में आये, इसलिए इनकी पूरी शिक्षा सुरक्षित है ।

◆ मुहम्मद इक़बाल मुल्ला

(पृष्ठ 7 का शेष)

है कि उसके अंतर्गत देश में समान सिविल कोड लागू न हो । यही आदर्श बात भी है । मुसलमानों ने भी समान सिविल कोड को लागू नहीं किया । जब वे लगभग नौ सौ वर्ष देश के शासक रहे, कभी भी उन्होंने हिन्दू या अन्य धर्मानुयायी जनता पर अपना क़ानून नहीं थोपा । अंग्रेज़ों ने लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में समिति बनकर भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय व्यवहार प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि बहुत-से क़ानून लागू कर दिये, लेकिन समान सिविल कोड की ओर नहीं बढ़े, क्योंकि वे ज़ालिम होने के बावजूद यह जानते थे कि यह किसी भी क़ीमत पर लागू नहीं हो सकता । उन्होंने मुसलमानों के लिए पारिवारिक क़ानून 1937 और अलग से मुस्लिम मैरिज डिजुलेशन एक्ट 1939 बनाया । देश के किसी भी ख्यातलब्ध विचारक एवं विद्वान ने समान सिविल कोड का समर्थन नहीं किया है । संविधान निर्माता डॉ॰ अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में नीति निर्देशक तत्व की धारा 44 में इस बाबत रखे गये प्रावधान पर दक्षिण के कुछ मुस्लिम सदस्यों की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा था कि जब तक सब देशवासी इसके लिए राज़ी नहीं होंगे, इसे कदापि लागू नहीं किया जाएगा । देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने कई बार इसी आशय का मत प्रकट किया था ।

तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने भी इसकी आवश्यकता को सिरे से ख़ारिज किया है । 20 अगस्त 1972 को दिल्ली स्थित दीनदयाल शोध संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने साफ़ कहा था कि देश में समान सिविल कोड अवांछित है । उन्होंने कहा था कि जो लोग समान सिविल कोड की बात करते हैं, वे भारत की ज़रूरत समझते ही नहीं हैं । गुरु जी ने इस आशय का उद्गार एक इंटरव्यू में व्यक्त किया था, जो 26 अगस्त 1972 को 'मदरलैंड' में छपा था । आश्चर्य की बात है कि संघ परिवारी अपने गुरु जी की बात का बार-बार अनादर करते हैं । संघ और भाजपा नेताओं द्वारा इसकी ज़रूरत बार-बार बताकर गुरु जी के विचार-विरुद्ध बात की जाती है । अतः ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रकार के क़दमों की दिशा में आगे न बढ़कर संविधान के कल्याणकारी राज्य के सपने को साकार किया जाए ।

हमारे समाज में वृद्धाश्रम का अस्तित्व क्यों?

■ मुशर्रफ़ अली

हमारे देश के एक महानगर की बात है, कई वर्षों से वृद्धाश्रम में रह रही एक महिला बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गयी और उसके स्वस्थ होने की कोई उम्मीद नहीं रही। उसने उसी नगर में रहने वाले अपने बेटे को फ़ोन करवाया, जो कई महीनों से उससे मिलने नहीं आया था। मां के अंतिम समय की सूचना मिलने के बाद बेटा किसी तरह समय निकाल कर वहां आया। मां ने बेटे को ढेर सारी दुआएं दीं और कपकपाते स्वर में बोली, "अच्छा किया बेटे तू आ गया, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं तुझ से एक विनती करना चाहती हूं।"

बेटे ने कहा, "हां मां जी ! बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं।"

मां ने कहा, "बेटे इस आश्रम में कुछ पंखे लगवा दे।"

बेटा यह सुनकर हैरान हुआ कि मां अपने अंतिम समय में पंखों के लिए क्यों कह रही है। उसने कहा, "हां-हां मां जी, ज़रूर लगवा दूंगा, मगर तुम इतने वर्षों से यहां हो पहले क्यों नहीं कहा।"

अपनी सांसों पर क़ाबू पाते हुए मां ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, "नहीं ! बेटे यह बात नहीं है, हमने तो अपना समय किसी न किसी तरह निकाल लिया, लेकिन कल जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहां लाकर रखेंगे तो तुमसे यहां की गर्मी सहन नहीं की जाएगी। हमने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है और तुम्हें हर तरह की सुख-सुविधा दी है। तुम्हें परेशानी सहन करने की आदत नहीं है।"

यह एक मां की कहानी नहीं है वृद्धाश्रम में रहने वाली सभी माओं और सभी पिताओं की न्यूनाधिक यही कहानी है। हमारे देश में जहां लोग श्रवण कुमार को आदर्श मानते हैं, और जहां माता-पिता को ही संसार समझने और उनकी परिक्रमा को संसार की परिक्रमा समझने की परंपरा रही है, वृद्धाश्रमों का अस्तित्व समाज के माथे पर कलंक से कम नहीं है। न केवल धार्मिक पुस्तकों में बल्कि लोक कथाओं, लोक-गीतों और लोकोक्तियों में भी माता-पिता की सेवा को मानव का धर्म बताया गया है। इतिहास के हर दौर में माता-पिता की सेवा को महान नैतिक कार्य और ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम बताया गया है। आज भी जब हिन्दी के शिक्षक स्कूल में छात्रों को पत्र लेखन सिखाते हैं तो 'आदर्णीय/सम्माननीय माता जी' और 'आदर्णीय/सम्माननीय पिताजी' जैसे संबोधनों से पत्र की शुरुआत होती है। कई बार तो अतिश्योक्ति कर 'पूज्य माता जी' जैसे संबोधन भी अपनाये जाते हैं। ऐसे में यह बात समझ से परे है कि वही संतान अपने माता-पिता को उनके ही घर से निकाल रही है और वृद्ध और कमज़ोर माता- पिताओं को वृद्धाश्रमों में शरण लेनी पड़ रही है।

ईश्वर के बाद मनुष्य पर सबसे ज़्यादा उपकार उसके माता पिता का है। एक अपवित्र बूंद को एक सुंदर और युवा अस्तित्व तक पहुंचाने की प्रक्रिया माता-पिता के माध्यम से ही पूरी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में माता-पिता अपना सब कुछ त्याग कर संतान का पोषण करते हैं। संतान पर माता-पिता के उपकार इतने अधिक हैं कि पूरा जीवन उनकी सेवा में लगाकर भी वह अपने पालन-पोषण के एक दिन का बदला भी नहीं चुका सकता है।

सभी ईश्वरीय किताबों में माता-पिता की सेवा पर बहुत बल दिया गया है और उनके अधिकारों को सभी अधिकारों से ऊपर बताया गया है। अपने अंतिम ग्रंथ में ईश्वर ने अपने अधिकारों का उल्लेख करने के साथ ही माता-पिता के अधिकारों का उल्लेख किया है।

"और तेरे पालनहार ने फ़ैसला कर दिया है उसके सिवा किसी की उपासना न करो और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो अगर वे दोनों या दोनों में से कोई एक तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें "उंह" तक न कहो और न उन्हें झिड़को, हमेशा उन्हें सुख पहुंचाने वाले काम करो और हर पल उनकी सेवा के लिए तैयार रहो। (कुरआन)

अंतिम ईशदूत ने भी यही शिक्षा दी है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माता-पिता ही स्वर्ग भी हैं और नरक भी, अर्थात उनकी सेवा करके तुम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो और उनके साथ दुर्व्यवहार करके तुम नरक के भागी हो जाओगे।

नबी (सल्ल॰) ने सभी लोगों से ज़ोर देकर कहा है कि अपने माता-पिता की सेवा में कोई कमी न रहने पाए। आपने चेतावनी दी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसके बूढ़े माता-पिता हों या उनमें से एक भी हो और वह उनकी सेवा करके स्वर्ग में प्रवेश करने की व्यवस्था नहीं करता है, तो वह अभागा है।

पश्चिमी जगत के अंधानुकरण ने हमें अपनी बुनियादों से हिला दिया है, अपनी परंपराओं से दूर कर दिया है और धर्म विमुख बना दिया है। इसके नतीजे में कुछ भौतिक विकास के साथ-साथ हमारे समाज में बहुत-सी बुराइयां

'मां' एक अनोखा मुक़दमा

बात 2014 ई॰ की है। सऊदी अरब के शहर बरीदा की अदालत में एक मुक़दमा आया। सामान्यत: वहां मुक़दमों का फ़ैसला अविलम्ब कर दिया जाता है। तारीख़ों पर तारीख़ें देकर उन्हें लम्बा नहीं खींचा जाता। अदालतों में जायदादों के विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के मामले आते ही रहते हैं। मगर यह मामला बहुत ही अलग था।

एक 65 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति ने, अपने 70 वर्ष के बूढ़े भाई पर मुक़दमा किया था कि मेरा बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपनी देख-भाल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 90 वर्ष की मां की देखभाल कर रहा है। मैं अभी शारीरिक रूप से ठीक हूं, इसलिए अब मुझे मां की सेवा करने का मौक़ा दिया जाए और मां की ज़िम्मेदारी मुझे सौंप दी जाए।

माननीय न्यायाधीश ने पहले दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि दोनों मिल-जुलकर मां की सेवा कर लें और 15-15 दिनों पर समझौता कर लें। मगर कोई भी अपना अधिकार छोड़ने को तैयार न था। बड़े भाई हैज़ान अल-हरबी का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं। अगर मां कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता हूं, तो वह अवश्य छोटे भाई के साथ रहे।

छोटा भाई कहता है कि पिछले 30 साल से अकेले ये सेवा किये जा रहा है, आख़िर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा।

परेशान होकर जज ने मां की राय जानने के लिए उसको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है।

90 वर्ष की मां एक दुबली-पतली और कमज़ोर-सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आयी थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फ़ैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप जज हैं, फ़ैसला करना आपका काम है। जो आपका फ़ैसला होगा मैं उसको ही मान लूंगी।

आख़िर जज ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाक़ई बूढ़ा और कमज़ोर है और यह कि वह लम्बे समय से मां की सेवा भी करता रहा है, ऐसे में मां की सेवा की ज़िम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है।

फ़ैसला सुनकर बड़ा भाई फूट-फूटकर रोने लगा कि इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर्ग को मुझ से छीन लिया। वह इतना रोया कि उसकी लम्बी दाढ़ी भीग गयी। यह दृश्य देखकर अदालत में मौजूद जज सहित सभी लोग रोने लगे। उस समय सऊदी अरब के सभी अख़बारों ने इस घटना को विषय बनाया। (फ़ैसला सुनकर रोने वाले बड़े भाई हैज़ान अल-हरबी की 5 मई 2019 को मौत हो गयी।)

घुस आयी हैं, जिनमें से एक माता-पिता का अधिकार हनन और वृद्धाश्रम कल्चर भी है । इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम ने अर्जित ज्ञान के आधार पर बहुत तरक़्क़ी की है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि उसने नैसर्गिक ज्ञान को बिल्कुल ही त्याग दिया, जबकि सफलता इन दोनों के संतुलन में है । कुरआन भी मनुष्य को अर्जित ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन साथ ही उसे नैसर्गिक ज्ञान से चिपके रहने का निर्देश देता है । माता-पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, इसका उत्तर केवल नैसर्गिक ज्ञान में मौजूद ।

अर्जित ज्ञान ने मनुष्य को अंतरिक्ष की सैर करा दी, हज़ारों मील दूर बैठे लोगों को पलक झपकते एक-दूसरे के सामने कर दिया, लेकिन इसके लिए उसने नैतिक गुणों को त्याग दिया । अपने उपकारक और अपने रचयिता को भुला दिया और भौतिक समृद्धि को ही सब कुछ समझने लगा । पश्चिमी देशों ने अपनी नयी पीढ़ी को धार्मिक ज्ञान से बहुत दूर रखा । यूरोप में ईसाई धर्म को केंद्रीय स्थान प्राप्त है, लेकिन सामाजिक जीवन में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है । ईसाइयत केवल क्रिसमस और ईस्टर तक सीमित होकर रह गयी है । अब तो संडे प्रेयर का चलन भी समाप्त होता जा रहा है ।

जब लोगों ने अपने रचयिता और पालनहार को भुला दिया तो उसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि माता-पिता के लिए भी उनके मन में कोई जगह नहीं रह गयी । एक समय बीतने के बाद जब माता-पिता वृद्ध हुए और उनकी ज़िम्मेदारी बनने लगे तो वे इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए और माता-पिता को वृद्धाश्रमों में शरण लेनी पड़ी ।

यूरोप में नैतिक शिक्षा के नाम पर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें बाज़ार की नैतिकता का उल्लेख तो है । स्कूल या ऑफ़िस में और पब्लिक प्लेस पर लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए यह बताया गया है, लेकिन उसमें ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि माता-पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, बड़ों के क्या अधिकार हैं, नातेदारों से कैसे मिला जाए आदि । यही कारण है कि पश्चिमी देशों में पारिवारिक ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है । वहां बच्चों और माता-पिता के बीच वह स्वाभाविक संबंध बन ही नहीं पाता जो अपेक्षित है, इसलिए बच्चे भी बड़े होने के बाद माता-पिता को वह स्थान नहीं दे पाते जो वांछित है ।



यूरोप में रहने वाले एशियाई मूल के लोग उस असभ्यता से दूर थे, लेकिन अब वे भी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। यह सिलसिला अब भारत में भी शुरू हो गया है। शहरों में रहने वाले लोग अपने बूढ़े माता-पिता को साथ रखना नहीं चाहते हैं। कुछ शिक्षित महिलाएं भी पति के माता- पिता को साथ रखना नहीं चाहती हैं। इसका एक कारण यह है कि दोनों पति-पत्नी काम करते हैं, इसलिए माता-पिता की सेवा करने का समय उन्हें नहीं मिलता है। तीसरा कारण यह है कि शहरों में लोगों के पास सामान्यत: बड़े घर नहीं होते, इसलिए भी लोग अपने बूढ़े माता-पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। लेकिन ये सब बहाने हैं, माता-पिता को अलग करने का तो कोई विकल्प ही नहीं है।

हमारे देश में ऐसी धर्म विमुखता नहीं पायी जाती है, और न ही हमारे यहां पारिवारिक बंधन ढीले पड़े हैं। सच पूछिए तो हमारे देश में वृद्धाश्रमों के पक्ष में माहौल ही नहीं है फिर भी यह बुराई कृत्रिम रूप से हमारे देश के महानगरों में घुस आयी है।

इसकी शुरुआत ग़ैर-महसूस ढंग से होती है। भौकितवादी मानसिकता के कारण, परिवार में वरिष्ठ जनों की अनदेखी की जाने लगती है। उन्हें समय पर खाना भी नहीं मिलता। पैसा बचाने के चक्कर में उनका इलाज नहीं करवाया जाता, उन्हें दर्द निवारक गोलियों पर टर्ख़ा दिया जाता है। इन सब से कष्टदायक यह कि घर के मामलों में उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती है, अगर वे कोई सलाह दें भी तो अप्रासंगिक कहकर उसे रद्द कर दिया जाता है। बुजुर्गों को इसकी अनुमति भी नहीं है कि वे बच्चों को उनकी ग़लतियों पर टोक सकें।

यह सही है कि हर नयी पीढ़ी पुरानी की तुलना में अलग सोच रखती है। यह स्वाभाविक भी है और अच्छा भी, लेकिन इसके बावजूद पहले बड़ों के विचारों को महत्व दिया जाता था। बुजुर्गों की ऐसी बातों को भी चुपचाप सुना जाता था, जो नापसन्द होती थीं। बड़ों के सम्मान का पाठ परिवार की चारदीवारी से शुरू होकर मुहल्लों, बस्तियों से होता हुआ छोटे-बड़े कार्यालयों और सदनों तक पहुंचता था, अपने से बड़े का हर जगह सम्मान था। इस विषय में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि बड़ों को भी अपने चलन का जायज़ा लेना चाहिए। किसी भी परिवार में ऐसे बुजुर्गों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता है जो हर समय आलोचना में लगे रहते हैं, हर चीज़ में कमी निकालते हैं और हर मामले में अपनी राय थोपना चाहते हैं। उन्हें नयी पीढ़ी के लोगों में दोष ही दोष दिखायी पड़ता है, कोई गुण दिखायी नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि नयी पीढ़ी में ऐसी बहुत-सी कमज़ोरियां नहीं हैं जिनका वे बुजुर्ग शिकार रहे हैं और उनके अन्दर ऐसे कई गुण हैं जो उन बुजुर्गों के पास नहीं थे।

आज वह माहौल इसलिए नहीं रहा कि आज की दुनिया नैतिक मूल्यों की दुनिया नहीं रही। यह दुनिया सब कुछ को भैतिकता के पैमानों से मापने की दुनिया है। भौतिकता और स्वार्थ के इन पैमानों में बुजुर्गों का कोई वज़न नहीं है। यहां तक कि नैतिकता के आधार पर अच्छे समझे जाने वाले लोग भी बुजुर्गों के साथ सद्व्यवहार में खोटे साबित होते हैं। हम अपनी नैतिक परंपराओं से खुद को जोड़कर इसका मुक़ाबला कर सकते हैं। ज़रूरत है इसके लिए जागरूकता पैदा करने की। नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने और लोगों को अपनी परंपराओं से अवगत करने की।

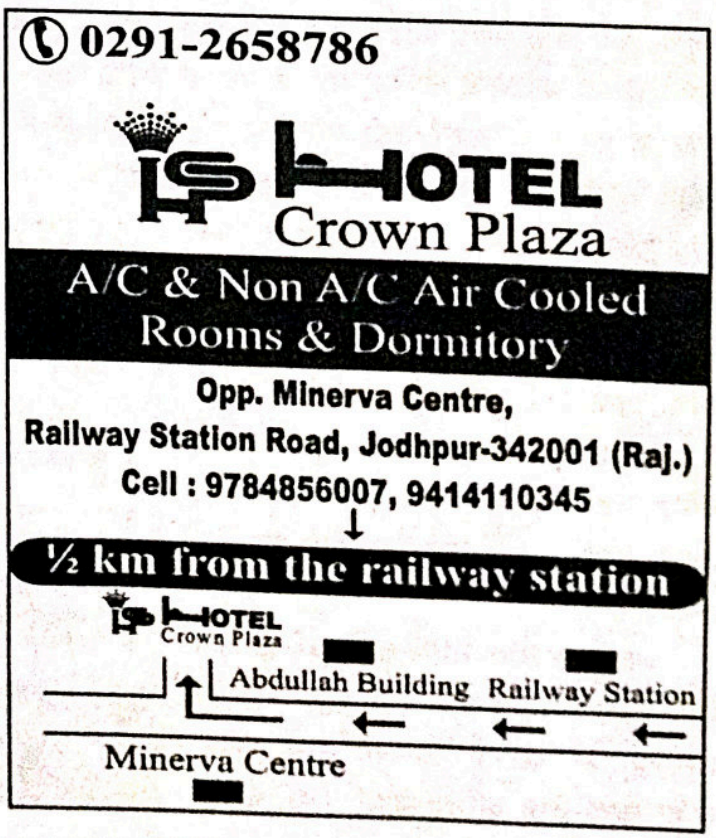

वृद्ध मां-बाप : बोझ या हमारी ज़िम्मेदारी ?

■ रचना शर्मा

''माली'' जो अपनी बगिया सजाता है अपने हाथों से एक नन्हा-सा बीज बोता है, दिन-रात उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, खाद देता है ताकि वह एक नन्हा-सा बीज सूख न जाए । देखते ही देखते एक दिन वह नन्हा-सा बीज पौधे में तब्दील हो जाता है । माली फिर उस एक बीज से जन्मे पौधे का पूरा ख़याल रखकर उसे एक फलदायी व उपयोगी वृक्ष में तब्दील कर देता है । ऐसा करने में माली को कई वर्ष लग जाते हैं, मगर माली जी-जान से उसकी हिफ़ाज़त और देखभाल में जुटा रहता है ये सोचकर कि एक दिन यह वृक्ष बड़ा होगा जिसकी छांव में माली सुकून से अपने बुढ़ापे को व्यतीत करेगा । क्या आप जानते हैं वह माली और वृक्ष कौन है ? हमारे घर के बुज़ुर्ग माता-पिता जो हमें पाल-पोसकर वृक्ष जैसा मज़बूत और फलदायी बनाते हैं यह सोचकर कि एक दिन वह हमारी छांव में सुकून से अपनी वृद्धावस्था को गुज़ारेंगे ।

वृद्धावस्था ज़िंदगी का एक ऐसा अंतिम पड़ाव है जिसमें मनुष्य को सिर्फ़ प्यार चाहिए होता है । बुज़ुर्गों को केवल अपने बच्चों का साथ चाहिए होता है कि वो हमेशा उनके पास रहें ताकि वो अपनी बूढ़ी आंखों से उन्हें फलते-फूलते देखते रहें जिसके सहारे वे अपने बुढ़ापे कि नैया को पार लगा सकें । पर क्या अस्ल में ऐसा हो पाता है ? क्या माली समान हमारे पता-पिता जिन्होंने हमें एक फलते-फूलते वृक्ष में तब्दील किया, क्या वो हमारी छांव में बैठ पा रहे हैं ? यह सवाल कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक प्रश्न है जिसका जवाब हमारी 21वीं सदी कि पीढ़ी को देना होगा ।

आज नन्हे बीज समान बच्चे बड़े हो जाते हैं, पौधे से वृक्ष बन जाते हैं या कहा जाए की समझदार हो जाते हैं तब वह माली समान अपने माता-पिता को ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि बोझ मान बैठते हैं । वे भूल जाते हैं कि मां-बाप जो एक माली कि तरह दिन-रात एक करके उनको खाद और पानी देता रहा तो क्या वो अपने बुढ़ापे में अपने ही हाथों बोये हुए उस वृक्ष की छांव तले बैठ भी नहीं सकता । जिसकी सहायता से हम शिशु से एक वयस्क इन्सान के रूप में बड़े हुए, जिनकी दया से हम क़ाबिल बने हैं, क्या हम उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे । आख़िर क्यों हमें अपने ही माता-पिता एक समय के बाद बोझ लगने लगते हैं ? क्या सिर्फ़ इसलिए कि वो हमारी आधुनिकता कि कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते या फिर उनकी और हमारी सोच मेल नहीं खाती । ऐसे तमाम प्रश्न अनायास ही मन में आने लगते हैं जब मैं देखती हूं की एक असहाय बुज़ुर्ग कैसे अपने ही पुत्र व पुत्रिओं द्वारा घरेलु हिंसा का शिकार हो रहा है ।

समाज में तेज़ी से बढ़ते हुए Old Age Homes (वृद्धाश्रम) इस बात का प्रमाण है कि बुज़ुर्ग हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि एक बोझ है । आज-कल कि भागती-दौड़ती ज़िंदगी में बुज़ुर्ग हेय कि दृष्टि से देखा जाने लगा है । वो माली जिसने हमें सींचा और खड़े होने लायक़ बनाया उसे हम यह कहने से भी नहीं कतराते कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है । कुछ तो ऐसे भी ताने मारते हैं कि बच्चे पैदा करना और उनको पालना तो माता-पिता का कर्तव्य है इसमें नया

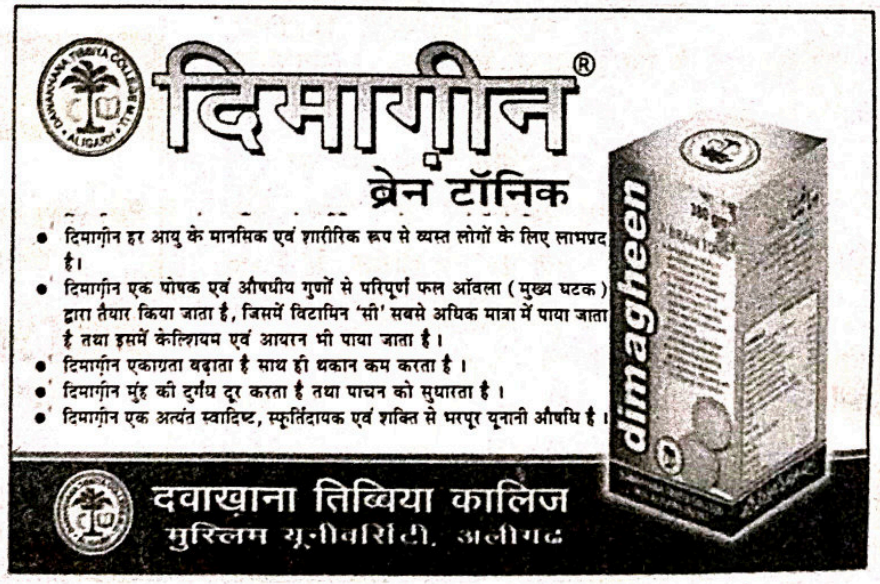



क्या है, ये तो उन्हें करना ही था परन्तु दुख इस बात का है कि माता-पिता का कर्तव्य देखने वाले बच्चे क्या वो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं ।

आजकल बुजुर्गों कि ऐसी दयनीय स्थिति है कि आज बुजुर्ग घर के एक कोने में पड़ा रहता या वो वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है । क्या हम अपने माता-पिता की देखभाल नहीं कर सकते ? उनका भरण-पोषण नहीं कर सकते ? जिन्होंने हमें सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया । बेटा, बहु, नाती-पोते उनसे बात तक नहीं करना पसंद करते हैं क्योंकि वे उनको Old Man; Old Women लगते हैं । बुजुर्ग अपने बच्चों को सलाह तक नहीं दे सकते क्योंकि उनका कुछ कहना दख़लअंदाज़ी हो जाता है और वो दख़ल न बेटा बर्दाश्त करता है न ही घर कि बहू जिसकी वजह से घरेलू तनाव उत्पन्न होते हैं जो हिंसा का भी रूप ले लेते हैं । भारत में बुजुर्गों पर अत्याचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं चाहे एक छोटा शहर हो या दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर हर जगह बुजुर्गों से जुड़े आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं ।

घरेलू हिंसा, वैचारिक मतभेद और फिर संपत्ति विवाद को ध्यान में रखकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई अहम फ़ैसले लिए जो बुजुर्गों के हित में है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए हुए फ़ैसलों ने सच में बुजुर्गों को राहत पहुंचाई है, मगर फिर भी अपराध में कुछ ख़ास कमी नहीं आयी । यहां मैं उन अधिकारों को दिखाना चाहूंगी जिसे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुजुर्गों को प्रदान किये हैं ।

भारतीय संविधान में बुजुर्ग पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए क़ानून भी बनाए गये हैं आइये ग़ौर करते है ।

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007

संतान अपने माता-पिता की संपत्ति पर ग़ैर-क़ानूनी रूप से क़ब्ज़ा नहीं कर सकता है ऐसा करना दंडनीय होगा और उनकी देखभाल न करने पर उन्हें तीन माह की क़ैद तथा 5000 रुपये जुरमाना देना होगा ।

1. माता-पिता या एक वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं की अपनी कमाई या उसकी स्वामित्व वाली संपत्ति से ख़ुद के रख-रखाव में असमर्थ हैं, वह अपने बच्चों पर अपने रख-रखाव का दावा कर सकता है ।

2. इस अधिनियम में आगे यह कहा गया है कि यदि रख-रखाव का दावा करने वाला दादा-दादी या माता-पिता है और उनके बच्चे या पोता-पोती अभी नाबालिग़ है तो वह ये दावा अपने रिलेटिव पर भी कर सकते हैं जो उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी होगा ।

3. दायित्व की सीमा-यह अधिनियम एक वरिष्ठ नागरिक के रिश्तेदारों पर इसे पूर्ण दायित्व बनाने की कोशिश नहीं करता है । अधिनियम में कहा गया है कि जिन रिश्तेदारों से इस तरह के रख-रखाव का दावा किया जा रहा है उनमें ऐसे दावेदार के देखभाल के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए । इसके अलावा, इस अधिनियम में यह भी एक प्रावधान शामिल है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, या वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा । केवल उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर रिश्तेदार को वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करने के लिए कहा जा सकता है । अधिनियम में एक और प्रावधान है, जिसमें सभी रिश्तेदारों द्वारा आनुपातिक भुगतान के बारे में बताया गया है, यदि रिश्तेदार एक से अधिक हो और सभी वरिष्ठ नागरिक

की संपत्ति का वारिस होने के हक़दार हैं तो रख-रखाव इस तरह के रिश्तेदारों द्वारा अनुपात में देय होगा ।

4. ऐसी परिस्थिति में जब वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी के नाम कर चूका है पर इस शर्त पर कि वह उसकी आर्थिक एवं शारीरिक ज़रूरतों का भरण-पोषण करें । यदि संपत्ति का अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो देयकर्ता (माता पिता या वरिष्ठ नागरिक) अपनी संपत्ति वापस ले सकता है ।

5. सरकार ने यह आदेश दिया है कि प्रत्येक राज्य के हर ज़िले में कम से कम एक वृद्धाश्रम हो ताकि वह वरिष्ठ नागरिक जिनका कोई नहीं है उनका रख-रखाव बेहतर तरीक़े से वृद्धाश्रम में हो सके ।

6. सरकारी अस्पतालों में बुज़ुर्गों के उपचार का अलग से प्रावधान है उनके लिए अलग से पंक्तियां व्यवस्थित की गयी हैं ताकि उन्हें अधिक समय तक क़तार में इन्तिज़ार न करना पड़े, उनके उपचार के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है । हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो संतान अपने माता-पिता के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं तो उस माता-पिता को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने संतान को अपनी संपत्ति से बेदख़ल कर सकता है ।

क़ानून तो है पर अब सवाल उठता है कि फिर भी बुज़ुर्गों के साथ ऐसा क्यों होता है ? जानकारी का अभाव में, सामान्यत: हमें अपने क़ानूनी अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है और छोटे-छोटे शहरों और गांवों में लोगों की क़ानून तक पहुंच नहीं होती है, और होती भी है तो कई बार मां-बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनके द्वारा किये गये दुर्व्यवहार को भी सह लेते हैं ताकि उन्हें कोई दिक़्क़त न हो । बुज़ुर्ग माता-पिता अपने बच्चों के अत्याचारों के ख़िलाफ़ कड़े क़दम नहीं उठाते हैं और बच्चे भी निश्चिंत होते हैं कि मां-बाप कभी भी उनके ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं लेंगे ।

पर ज़रा सोचिये ऐसी स्थिति ही क्यों आती है कि बच्चे ऐसा करें और माता-पिता को ऐसी दयनीय स्थिति से गुज़रना पड़े । माता-पिता ही अपनी संपत्ति के अधिकारी हैं वह अपनी मर्ज़ी से इसका उपयोग खुद के लिए करें अपने बच्चों को पूरी तरह न सौंपें उन पर निर्भर न बनें । यदि अपनी संपत्ति बच्चों के नाम करते भी हैं तो अब उनको पूर्ण अधिकार है कि वह दी हुई अपनी संपत्ति को पुन: वापस ले सकते हैं । हर भारतीय नागरिक को आवश्यकता है अपने क़ानूनी अधिकारों को जानने की और बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ हो रहे अत्याचारों के ख़िलाफ़ सख़्त क़दम उठाने की ।

एक और बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि भारत भूमि जहां माता-पिता को ऊंचा का दर्जा दिया जाता है उन्हें सम्मानीय माना जाता है, ज़रूरत है इन संस्कारों को अपने बच्चों को सिखाने की, सिर्फ़ सिखाने की ही नहीं, बल्कि हम सब अपने बच्चों के सामने खुद एक उदाहरण बनें । आप और मैं जैसा व्यवहार अपने माता-पिता से करेंगे वैसा ही व्यवहार आपके और मेरे बच्चे भी सीखेंगे ।

माता-पिता बोझ नहीं हैं वह हमारी प्राथमिक ज़िम्मेदारी हैं । ज़रा सोचिये अगर उन्होंने भी हमें बोझ समझ कर हमारा ख़याल नहीं रखा होता तो आज हम वह न होते जो आज हम हैं, उन्हें समझिये, उनका ख़याल रखिये, उन्हें प्यार दीजिये, उन्हें सिर्फ़ आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं । माता-पिता और बेटा-बेटी के बीच माली और पौधे का रिश्ता है । मैं यह चाहूंगी कि माली यूं ही अपने हाथों से पौधे को सींचता रहे ताकि एक दिन वह पौधा वृक्ष का रूप लेकर अपने माली समान मां-बाप को अपनी छांव में बिठा सके जिससे कि उनकी लंबी थकान दूर हो सके ।

25 yrs. Service (Regd.)
AL KAUSAR HOLY HERBAL
HOSPITAL & RESERCH CENTRE
(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)
Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**
Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)
Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India
Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)
Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days
(Rooms available)
Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

हमारे देश में मानवाधिकारों की व्यवस्था

■ प्रवीण कुमार सहगल

प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसो ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था, ''मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वह ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है ।'' अपनी इस सूक्ति में रूसो ने शोषण तथा असमानता के बंधनों में जकड़े हुए जनसाधारण की स्वाधीनता, आज़ादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था । वास्तव में, अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिक आन्दोलन बहुत समय से मनुष्य को उन ज़ंजीरों से मुक्त कराने का, जिनमें वह जकड़ा रहा है, उन्हें उन अधिकारों का उपभोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे हैं जिन्हें रूसो स्वाभाविक, अभिन्न तथा अविभाज्य समझते थे ।

मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इन्सान होने के कारण मिलते हैं । ये नगरपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क़ानून तक क़ानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित हैं । मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं इसलिए ये हर जगह और हर समय लागू होते हैं । मानवाधिकार मानदंडों का एक समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है । नगर निगम के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क़ानून में क़ानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित, इन अधिकारों को अनौपचारिक मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है जिसका एक व्यक्ति सिर्फ़ इसलिए हक़दार है क्योंकि वह एक इन्सान है ।

सामान्य जीवन-यापन के लिए प्रत्येक मनुष्य के अपने परिवार, कार्य, सरकार और समाज पर कुछ अधिकार होते हैं, जो आपसी समझ और नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं । इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता दी गयी, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं । मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं । यह

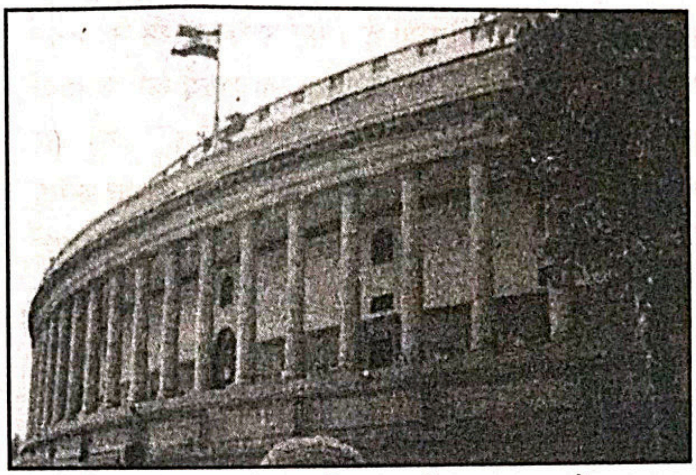

सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गये हैं और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, जिसकी भारतीय संविधान न केवल गारंटी देता है, बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों को अदालत सज़ा भी देती है । वैसे तो भारत में 28 सितम्बर, 1993 से मानव अधिकार क़ानून अमल में लाया गया था और 12 अक्तूबर, 1993 में ''राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग'' का गठन किया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को घोषणा पत्र को मान्यता दिये जाने पर 10 दिसम्बर का दिन मानवाधिकार दिवस के लिए निश्चित किया गया ।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा भारतीय संविधान में समानता व न्याय के मूल्यों को शामिल किया गया है । आज़ादी के बाद भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित कई उपाय किये गये हैं । भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किये हैं तथा मानव गरिमा व उसके अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतायी है । समय-समय पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित सभी संधियों पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिये हैं । भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद का सदस्य है तथा सक्रिय भूमिका निभा रहा है ।

भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा अल्पसंख्यकों

के विशेष अधिकारों को शामिल किया गया है । भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को स्थान दिया गया है तथा एक समतापूर्ण समाज की स्थापना का संकल्प लिया गया है । 1993 में संसद के एक क़ानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी है । मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं । यह आयोग उल्लंघन के मामलों की जांच कर सरकार को उचित कार्यवाही हेतु अपनी संस्तुति प्रस्तुत करता है । आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है । आयोग का मुख्य कार्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना तथा उनके संरक्षण के लिए सिफ़ारिश करना है ।

वर्तमान में आयोग ने बच्चों के मानवाधिकार विशेषकर बाल श्रमिकों की समस्या, महिलाओं के मानवाधिकार की समस्या, सफ़ाई कर्मचारियों के अधिकारों की समस्या, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्पीड़न व विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों के मुद्दों को अपने कार्यों में प्राथमिकता दी है । मानवाधिकारों में वे मूल अधिकार शामिल हैं जो हर जाति, पंथ, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किये बिना हर इन्सान को दिये जाते हैं । सार्वभौमिक मानवाधिकारों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है–

1. ज़िन्दगी जीने, आज़ादी और निजी सुरक्षा का अधिकार ।
2. समानता का अधिकार ।
3. सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा बचाव का अधिकार ।
4. क़ानून के सामने व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार ।
5. भेदभाव से स्वतंत्रता ।
6. दासता से स्वतंत्रता ।
7. अत्याचार से स्वतंत्रता ।
8. मनमानी गिरफ़्तारी और निर्वासन से स्वतंत्रता ।
9. अपराध सिद्ध न होने तक निर्दोष माने-जाने का अधिकार ।
10. उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार ।
11. आंदोलन की स्वतंत्रता ।
12. गोपनीयता, परिवार, गृह और पत्राचार में हस्तक्षेप से स्वतंत्रता ।
13. अन्य देशों में शरण का अधिकार ।
14. राष्ट्रीयता को बदलने की स्वतंत्रता का अधिकार ।
15. विवाह और परिवार के अधिकार ।
16. शिक्षा का अधिकार ।
17. ख़ुद की संपत्ति रखने का अधिकार ।
18. शांतिपूर्ण सभा और एसोसिएशन बनाने का अधिकार ।
19. चुनावों में भाग लेने का अधिकार ।
20. विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता ।
21. सही तरीक़े से रहने और जीने का अधिकार ।
22. समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार ।
23. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार ।
24. वांछनीय कार्य और ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार ।
25. अवकाश और विश्राम का अधिकार ।
26. ऊपर दिये अधिकारों में राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता ।

जहां हर इन्सान मानव अधिकार का हक़दार है वहीं इन अधिकारों का अब भी अक्सर उल्लंघन किया जाता है । इन अधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब राज्य द्वारा की गयी कार्रवाइयों में इन अधिकारों की उपेक्षा, अस्वीकार या दुरुपयोग होता है । मानव अधिकारों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना की गयी है ।

कई राष्ट्रीय संस्थान, ग़ैर-सरकारी संगठन और सरकार भी यह सुनिश्चित करने के लिए इन पर नज़र रखती हैं कि कहीं किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है । ये संगठन मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में काम करते हैं ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके । उन्होंने अमानवीय प्रथाओं के ख़िलाफ़ भी विरोध किया है । इन विरोधों के कारण कई बार कार्रवाई देखने को मिली है जिससे स्थिति में सुधार हुआ है ।

मानवाधिकार, व्यक्तियों को दिये गये मूल अधिकार हैं, जो लगभग हर जगह समान हैं । प्रत्येक देश किसी व्यक्ति की जाति, पंथ, रंग, लिंग, संस्कृति और आर्थिक या सामाजिक स्थिति को नज़रअंदाज़ कर इन अधिकारों को प्रदान करता है । हालांकि कभी-कभी इनका व्यक्तियों, समूहों या स्वयं राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है । इसलिए लोगों को मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन के ख़िलाफ़ ख़ुद आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ।

क्या हों अपराध उन्मूलन के अन्य विकल्प ?

■ इंजीनियर जेड॰ ए॰ मंसूरी

(गतांक का शेष)

अपराध घटित हो जाने के बाद ही अपराध-निरोधक तंत्र कार्यान्वित हो सकता, और होता है तथा इसका अंतिम लक्ष्य अपराधी को दंड देना होता है । इस तंत्र की अपनी कुछ त्रुटियां और दोष, और कुछ सीमाएं हैं जिनके कारण यह अपराधी को पकड़ने में कभी सफल होता, कभी असफल रहता है । कभी उसे दंड देने में भी सफल, कभी असफल रह जाता है । कभी अपराध की गंभीरता व जघन्यता के अनुकूल दंड देने में असफल रहता है । लेकिन अपराध घटित होने से पहले के, तीन चरणों में, आगे अपराध न होने देने में यह क़ानून-दंड व्यवस्था लगभग पूर्णत: असफल सिद्ध होती है । इन कमियों का जिनमें कुछ स्वाभाविक हैं और कुछ मानव-निर्मित, समाधान क्या है, अगली पंक्तियों में इस पर विचार किया जाएगा ।

मनुष्य की प्रवृत्ति में, उसके रचयिता ने बहुत सारे नैतिक गुणों के साथ अनेक बहुमूल्य मानवीय मूल्य पैदा किये हैं जिनके कारण वह सृष्टि का उत्तम व श्रेष्ठ प्राणी बना है । इसके साथ ही उसके अस्तित्व में प्राकृतिक रूप से कुछ दोष भी डाल दिये गये हैं । गुण और दोष के बीच सदा एक संघर्ष की स्थिति मनुष्य के अंत:करण में व्याप्त रहा करती है । मनुष्य को स्रष्टा ने अन्य जीवधारियों की तुलना में यह आज़ादी दी है कि वह अपने विवेक से प्रेरित होकर चाहे तो गुणवान और चरित्रवान बने, चाहे तो दुष्ट, पापी, अपराधी और चरित्रहीन बन जाए । यह आज़ादी दरअस्ल उसके पूरे जीवन को एक 'परीक्षा' और संसार को परीक्षा-स्थल बना देती है ।

इस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए जिस मनुष्य का विवेक शिथिल पड़ जाता है, मानवीय मूल्य इतने दब जाते हैं कि उसकी मानसिकता के नकारात्मक तत्व, सकारात्मक तत्वों पर भारी पड़ने लगते हैं, तब वह अन्याय, अनाचार, अपराध और अनैतिकता की ओर अग्रसर हो जाता है ।

अत: व्यक्तिगत स्तर पर तथा सामूहिक व सामाजिक स्तर पर आपराधिक मानसिकता के निवारण और आपराधिक घटनाओं के समाधान का आरंभ-बिंदु यह है कि इन्सान के अंत:करण में पहले से मौजूद मानवीय मूल्यों और नैतिक गुणों का पोषण और उत्थान हो और इतना सशक्त हो कि नकारात्मक अवगुणों, दोषों, त्रुटियों तथा बुरी इच्छाओं और आपराधिक इरादों पर ये गुण व मूल्य भारी पड़ जाएं, उन्हें दबाकर रख दें, उभरने न दें ।

यह एक सर्वविदित व सर्वमान्य तथ्य है कि मनुष्य को, संसार के अन्य जीवधारियों से जो चीज़ उत्कृष्ट व श्रेष्ठ बनाती है वह यह 'अन्तर' है कि अन्य समस्त जीवधारी दो प्रमुख तत्वों से बने हैं...शरीर और प्राण । जबकि मनुष्य का अस्तित्व तीन तत्वों से सृजित है...शरीर, प्राण और आत्मा । मनुष्य उसी समय श्रेष्ठ प्राणी रहेगा जब इन तीनों तत्वों में सामंजस्य एवं यथार्थ अनुकूलता मौजूद रहे और साथ ही सक्रियता भी । यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका अपराध-नियंत्रण में अत्यंत सफल योगदान होगा ।

जिस प्रकार शरीर के भौतिक अस्तित्व को स्वस्थ व रोगमुक्त रखने के लिए अनेकानेक स्वास्थ्यदायक व स्वास्थ्यपोषक पदार्थों की आवश्यकता अनिवार्यत: होती है उसी प्रकार उसके आध्यात्मिक अस्तित्व को भी स्वस्थ व गुणवान रहने के लिए किसी अनदेखे कारक का होना अपरिहार्य है । उस 'अनदेखे कारक' की अनुभूति मनुष्य को जो वस्तु कराती है उसे प्रचलित परिभाषा में 'धर्म' कहा जाता है । बिना इस अनुभूति के आध्यात्म का प्रभाव बहुत ही सीमित और संकुचित ही रहता है, मनुष्य के अस्तित्व की अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बड़ी हद तक प्रभावहीन और अक्षम रह जाता है । यही कारण है कि बड़े-बड़े आध्यात्मिक केन्द्र, अपराधों के अड्डे भी बन जाया करते हैं । आध्यात्मिकता को, जो मूलत: एक सकारात्मक मूल्य है, वस्तुत: नकारात्मक आयाम मिल जाने का मूल कारण क्या है ? ग़ौर करने से विदित होता है कि Abstract sprituality को मानव-जीवन में सकारात्मक व रचनात्मक भूमिका निभाने योग्य बनाने के लिए धर्म का प्रबल व प्रभावकारी योगदान हो सकता था, लेकिन धर्म यह भूमिका निभाने में असमर्थ है ।

इस आलेख का विषय 'अपराध-उन्मूलन' है । इस संबंध में, यहां धर्म की भूमिका पर विचार किया जा रहा है

तथा यह वस्तुस्थिति सामने है कि धर्म इस दिशा में सक्षम भूमिका निभाने में समर्थ था फिर भी असमर्थ क्यों रह गया! भौतिकता और भौतिकवाद की तार्किक त्रुटि का समाधान धर्म या धार्मिकता के द्वारा होना तर्कसंगत है फिर भी इसमें धर्म की असफलता के कारण क्या हैं ! गंभीर और निष्ठापूर्ण चिंतन-मनन के बाद कुछ कारण निम्नानुसार सामने आते हैं–

● धर्म की एक ढीली-ढाली परिकल्पना प्रचलित है जो लगभग विश्व भर में, और समस्त देश में व्याप्त है । 'ढीली-ढाली' से अभिप्राय यह है कि धर्म के मूलाधार क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, किन वस्तुओं और कामों की किन-किन लाभकारिताओं के आधार पर धर्म उन्हें धारण करने तथा उन पर चलने की अनुमति और आदेश-निर्देश देता है, और किन्हें उनकी हानिकारिता के आधार पर वर्जित व निषिद्ध करता है ? बहुत बड़ी हद तक धर्म इन महत्वपूर्ण बातों को सुनिश्चित नहीं करता ।

● धर्म का मूल-स्रोत क्या है, इसमें विरोधाभास है । कहीं इसका स्रोत ईश्वर है, तो कहीं स्वयं कुछ मनुष्यों के मस्तिष्क से निकली विचारधाराएं ।

● मनुष्य दोषरहित व त्रुटिरहित कभी नहीं हो सकता, इसलिए मानव-कृत धर्म में ऐसे दोषों और त्रुटियों का पाया जाना स्वाभाविक है, जो मानव-समाज की गंभीर समस्याओं– जैसे अपराध-का समाधान करने में उसे असमर्थ रखती है । अत: धर्म को 'ईश-केन्द्रित' होना अनिवार्य है ।

● ईश-केन्द्रित धर्म भी मनुष्य तथा समाज की गंभीर समस्याओं का समाधान इस स्थिति में कर सकने में अक्षम होगा जब 'ईश्वर' और 'मनुष्य' में तथा 'सृष्टि' में आपसी संबंध तथा इस संबंध के तक़ाज़े भी सुनिश्चित न हों ।

● धर्म का ईश-सृजित, ईश-आयोजित, ईश-संचालित न होना, मानवकृत अन्य विचारधाराओं तथा व्यवस्थाओं की भाँति, धर्म को व्यावहारिक स्तर पर इन्सानी समाज की छोटी-बड़ी अनेक...बल्कि समस्त समस्याओं के समाधान में असफल कर देने का कारण बनता है ।

● धर्मों में परस्पर भी और किसी धर्म-विशेष में आंतरिक तौर पर इतने अधिक विरोधाभास और विषमताएं हैं कि इनके रहते हुए समाज में गहराई तक तथा व्यापकता के साथ फैले हुए अपराधों के नियंत्रण की क्षमता धर्म में बहुत बड़ी हद तक ख़त्म हो जाती है ।

धर्म मानवीय मूल्यों की रक्षा करके, नैतिक गुणों का पोषण करके, आध्यात्मिकता को सत्कर्मों में ढालकर मनुष्य को उसके जीवन के मक़सद का बोध कराके तथा उसे उस परिस्थिति में भी किसी महान व प्रबल सत्ता के प्रति उत्तरदायित्व का अडिग विश्वास दिलाकर, ताकि उसे दृढ़ यक़ीन हो जाए कि वह अपराध करके समाज की निगाहों से, पुलिस की पकड़ से, अदालती प्रक्रिया से और दंडस्वरूप कारावास से तो बच सकता है लेकिन 'ईश-केन्द्रित धर्म' के 'ईश्वर की सत्ता' से हरगिज़ नहीं बच सकता, समाज को काफ़ी हद तक अपराध मुक्त कर सकता है ।

इसके लिए पूरी शिक्षा प्रणाली से लेकर घर और परिवार की दुनिया तक, मानव-निर्माण की एक सर्वांगीण प्रक्रिया अपनाना पूर्णरूपेण प्रभावकारी होगा और अपराधों का स्तर गिरते-गिरते अगर शून्य तक नहीं, तो 2-3 प्रतिशत तक गिर जाना संभव हो जाएगा । इस प्रक्रिया की अनुकूलता में धर्म के विषय पर प्रचलित विचारधारा में एक Paradigm Transformation की ओर अग्रसर होना होगा । इसके अनुसार–

● धर्म का ईश-निर्मित, ईश-संचालित, ईश-केन्द्रित होना अनिवार्य हो ताकि इन्सानी बुद्धि की सीमाओं, दोषों, त्रुटियों से धर्म, अप्रभावित, स्वतंत्र व मुक्त रहे ।

● इन्सानों को, धर्म यह बोध कराए कि वे पशु-पक्षियों की भाँति स्वच्छंद नहीं बनाए गये हैं, बल्कि ईश्वरीय सत्ता उनका निरीक्षण कर रही होती है और मरणोपरांत जीवन में वे ईश्वर के समक्ष अपने समस्त कर्मों तथा गतिविधियों के उत्तरदायी होंगे ।

● परलोक जीवन में सांसारिक जीवन के समस्त कर्मों का लेखा-जोखा सर्वशक्ति-सम्पन्न ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । बेलाग न्याय होगा क्योंकि उस समय 'महान्यायाधीश' स्वयं ईश्वर होगा । कर्मों के आधार पर ही या तो स्वर्ग प्राप्त होगा या नरक का भागी बनना होगा ।

● मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए दयानिधि, कृपालु ईश्वर ने ईश-ग्रंथ अवतरित किये हैं । इन्सान अपने ज्ञान, विवेक और सत्यनिष्ठा द्वारा जांचे-परखे कि कौन-सा ग्रंथ 'सत्य' के मापदंड पर पूरा उतरता है । उसे स्वीकार कर लिया जाए । इस प्रकार, अपराध-नियंत्रण का एक सक्रिय व सक्षम विकल्प की, मानवजाति को प्राप्ति हो सकती है ।

''इस्लाम ने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया''

❖ वसीमा वली

दक्षिण अफ़्रीक़ा के प्रथम अश्वेत और दिवंगत राष्ट्रपति और वहां दशकों तक चले रंगभेद विरोधी अभियान में 27 वर्ष जेल की सज़ा काट चुके नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता ! पूरी दुनिया में वह रंगभेद के विरुद्ध आंदोलनों का प्रतीक बन गये थे । पूरी दुनिया में उनका नाम बड़े आदर व सम्मान से लिया जाता है ।

ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले मंडेला परिवार के साथ पूरी दुनिया उस समय आश्चर्यचकित रह गयी जब 2015 में उनके पौत्र मांडला मंडेला ने अपना धर्म परिवर्तित कर इस्लाम स्वीकार करने की घोषणा की । हर तरफ़ से उनकी निंदा की जाने लगी और उन पर दबाव बनाया गया की वे ईसाई धर्म में वापस आ जाएं, क्योंकि यही उनके परिवार और समाज का धर्म रहा है । इसके जवाब में मांडला का कहना है कि इस्लाम से वापस जाना अब संभव नहीं, क्योंकि इस्लाम ने सांसारिक जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है और मैं इस्लाम के नियमों का पालन कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता हूं ।

6 फ़रवरी 2016 को मांडला मंडेला ने एक मुसलमान युवती राबिया क्लार्क से विवाह कर लिया और एक प्रकार से दुनिया को यह संदेश दिया की अब वे इस्लाम से पलटने वाले नहीं हैं । यह उनका चौथा विवाह था । उनका पहला विवाह 2004 में तांडो मबूना मंडेला से हुआ था परन्तु यह ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और उनकी पत्नी ने तलाक़ की अर्ज़ी दाख़िल कर दी जिसका केस अभी भी कोर्ट में है । उनका दूसरा विवाह 2010 में एक फ्रेंच युवती से हुआ जिससे एक बेटा भी हुआ परन्तु 2012 में उन्होंने अपनी पत्नी को यह कहते हुए अलग कर दिया की यह बेटा उनका नहीं है ।

42 वर्षीय मंडेला दक्षिण अफ़्रीक़ा अबाउथेम्बु क़बीले में मावेजो के प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो उनके दिवंगत दादा से विरासत में मिला है । इसलिए इनके इस्लाम ने दक्षिण अफ़्रीक़ा में पारंपरिक नेताओं को काफ़ी आहत किया है और सबने इस स्थिति से अपना असंतोष व्यक्त किया और वे इसको बदलने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उनका यह धर्म परिवर्तन मात्र राबिया क्लार्क से विवाह के लिए है । लोगों द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि वर्तमान ज़िम्मेदारियों को निभाने में इस्लाम रुकावट बनेगा और इससे सबको क्षति पहुंचेगी । इन ज़िम्मेदारियों में अपने पूर्वजों के लिए धन्यवाद अनुष्ठान की अगुवाई करना भी शामिल हैं, जिसमें प्रार्थना के समय उनके सामने जानवरों का वध करके पेश करना होता है ।

बी॰बी॰सी॰ से बात करते हुए, दक्षिण अफ़्रीक़ा के कांग्रेस के पारंपरिक नेताओं (कांट्रालेसा) के मुख्य प्रवक्ता, मावेलो नोनकोनेन ने स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''एक पारंपरिक नेता के लिए यह कुछ भी ग़लत नहीं है कि वह किसी भी आस्था का चयन करे, लेकिन हम इस बात से चिंतित हैं कि क्या वह एक प्रमुख के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना जारी रख पाएंगे ?'' उन्होंने आगे कहा कि मंडेला का राबिया से विवाह अन्य कारणों से दक्षिण अफ़्रीक़ा के रीति-रिवाजों के अनुरूप नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि, ''हमारी परम्परा तो यह रही है कि विवाह के उपरांत पत्नी स्वयं को पति के अनुसार परिवर्तित कर लेती है । इसलिए जब राबिया ने मांडला के विवाह-प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उन्हें अपने पति के परिवार की परम्परा को अपनाना चाहिए था । क़बीले के कुछ लोग दबी ज़ुबान में यह भी कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अब उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए इसलिए की मावेजो क़बीले के लोग मुसलमान नहीं हैं और उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

इन समस्त आलोचनाओं के बीच अपने विवाह समारोह में मांडला मंडेला अपने निर्णय पर जमे रहे और इन आलोचनाओं से वह कदापि विचलित नहीं हुए । उन्होंने कहा कि, ''यह सच है कि राबिया और मैं दो बिल्कुल भिन्न संस्कृति और धर्म में पले-बढ़े हैं, पर हम दोनों में एक बात सामान्य है, और वह यह कि हम दोनों दक्षिण अफ़्रीक़ा से हैं ।'' अपने विवाह के समय मांडला मंडेला ने कहा, ''मैं केप टाउन में राबिया क्लार्क से अपनी शादी की घोषणा से सम्मानित और ख़ुश हूं । मैं राबिया के माता-पिता, उसके समस्त परिवार और मुस्लिम समुदाय का दिल से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करना चाहता हूं ।''

पपीता स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी ?

■ डॉ॰ विभा खरे

पपीता के गुण

आयुर्वेद विशेषज्ञों ने पपीते को कई महत्वपूर्ण गुणों का आधार बताया है । उनके अनुसार कच्चा पपीता मल रोधक, कफ़ और वात को नष्ट करने वाला होता है । अत: पके फल का ही सेवन करना चाहिए । अच्छी तरह पका फल खाने में मधुर रुचिकारक, पित्तनाशक, भारी और स्वादिष्ट होता है । ज्यों ही आम पकता जाता है इसके विटामिन कम होते जाते हैं । परन्तु पपीते में विटामिन बढ़ते ही जाते हैं । पके पपीते में 68 से 100 किलोग्राम तक विटामिन सी रहता है ।

पपीता का उपयोग

न केवल फल के रूप में बल्कि अन्य कई तरह से भी पपीते का हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है । कच्चे फल से सूखी सब्ज़ी, रसदार सब्ज़ी तथा रायता एवं आचार बनाया जाता है । अन्य सब्ज़ियों की तरह ही इसको सुखा कर बेमौसम में भी इसकी सब्ज़ी का आनंद लिया जा सकता है । पपीते की खीर तथा हलवा पौष्टिक और रुचिकारक भोज्य पदार्थ भी माने जाते हैं ।

कच्चे फल के दूध को एकत्रित करके पापेन के रूप में सुरक्षित किया जाता है । पापेन ऊनी तथा सूती वस्त्रों को सिकुड़ने से भी बचाता है । कई महत्वपूर्ण औषधियों में भी इसे काम में लाया जाता है । आजकल पापेन की मांग अधिक है । विदेशी मुद्रा कमाने का यह महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है ।

पके फल के गूदे को दूध चीनी में घोल कर या नींबू के साथ इसका शरबत बनाकर गर्मी में पीने से काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है । यह शरबत सस्ता तो पड़ेगा ही, काफ़ी गुणकारी भी रहेगा । अच्छे पके फल के टुकड़े सेव, ककड़ी, संतरा के साथ नमक, काली मिर्च और नींबू या संतरे का रस मिलाकर आप स्वादिष्ट सलाद भी बना सकते हैं । इनके अतिरिक्त इसके जैम, जैली, तेल तथा सिरके साथ अचार भी बनाए जा सकते हैं ।

पपीते के फल को नियमित रूप से प्रतिदिन ख़ाली पेट खाते रहने से सौंदर्य में निखार आता है । इसका गूदा चेहरे पर प्रतिदिन रगड़ कर धो डालने से मुंहासे, झाइयां, आदि दूर होकर सुन्दरता निखरती हैं । इससे त्वचा पर सुकुमारता और कांति आती है । सौंदर्य वृद्धि का यह सस्ता उपाय है ।

पपीता का औषधि रूप में प्रयोग

महत्वपूर्ण रोग निवारक तत्वों के भंडार होने के कारण कई रोगों में इसका उपयोग आप औषधि के रूप में भी कर सकते हैं । हमारे दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य बीमारियों में पपीते के माध्यम से निम्न सरल उपचार संभव हैं । समय आने पर आप भी इनका प्रयोग करके सहज ही पपीते के गुणों से लाभ उठा सकते हैं ।

(1) दाद, खुजली तथा अन्य चर्म रोगों पर कच्चे पपीते का ताजा रस (दूध) कुछ दिन लगातार लगाते रहने से उनमें मुक्ति पा सकते हैं । चर्म रोगों को जड़ से मिटाने में यह दूध काफ़ी गुणकारी है ।

(2) बच्चों के यकृत के बढ़ जाने पर पपीते का रस 5-7 बूंद पानी के साथ मिलाकर दिन में तीन बार देते रहना चाहिए ।

(3) रक्ताल्पता की वजह से अधिकांश स्त्रियों को दूध कम हो जाया करता है । ऐसे रोगियों को ताज़े, अच्छे पके हुए पपीते लगातार दस-पन्द्रह दिन तक खिलाना चाहिए । इससे दूध बढ़ेगा और रक्त की कमी तथा अन्य उदर रोग भी नष्ट होंगे ।

(4) यकृत रोगों, पीलिया, वात व्याधि में पपीते का रस 5 से 10 बूंद तक बताशे में रखकर खाना बहुत फ़ायदेमन्द रहता है ।

(5) पेट में कीड़े पड़ जाने पर या निरंतर अजीर्ण की स्थिति बने रहने पर पपीते के बीजों का रस अथवा कच्चे पपीते का रस पेट के कीड़े नष्ट करने में बड़ा लाभकारी रहता है ।

(6) बवासीर के मस्सों पर कच्चे, ताज़े पपीते का रस लगातार कुछ दिन लगाने पर मस्से कट कर गिर जाते हैं, और रोगी चंगा हो जाता है ।

आधा कम्बल

❖ अबरार मुहसिन

जमील साहब बड़े आदमी थे । अपनी मेहनत और अक़्लमंदी के बल पर उन्होंने काफ़ी ऊंचा ओहदा हासिल कर लिया था और वह भी कम उम्री में । शादी भी एक ऊंचे घराने में हुई । बड़े घर की लड़की इतना सामान लायी कि उनका घर भर गया । उनके वालिद किसी महकमे में मामूली-सी नौकरी करते थे । अपनी छोटी-सी तनख़्वाह में बेटे को पढ़ा-लिखाकर बड़ा अफ़सर बना दिया, मगर ज़िन्दगी की इस सख़्त मेहनत और भाग-दौड़ के बाद अब वे एक थके-मांदे, बूढ़े इनसान थे–हड्डियों का पंजर, दमे के मरीज़ !

घर में अब उनकी जगह उस फ़र्नीचर जैसी थी जिसे बेकार समझकर कोने में फेंक दिया जाता है । एक जदीद क़िस्म के बंगले में जो कि हर तरह के ऐशो-आराम के सामानों से सजा था जिसमें एक बीमार बूढ़े की मौजूदगी बेमेल ही तो थी । इसका सबसे ज़्यादा एहसास जमील साहब की बेगम को था ।

उन्होंने शादी के चन्द दिन बाद ही जमील साहब से कहा था–"आप इतने बड़े ओहदे पर हैं और बड़े-बड़े लोगों का यहां आना-जाना लगा रहता है । आपके अब्बा दिन-रात पलंग पर पड़े खांसते और कराहते रहते हैं । बड़ी शर्म की बात महसूस होती है ।"

जमील साहब ने जवाब दिया, "मैं क्या कर सकता हूं? आख़िर बाप हैं, और कोई दूसरा अज़ीज़ भी तो नहीं, जिसके पास भेज दूं ।"

"अजी, तो मैंने कब कहा कि उन्हें चलता कर दीजिए," बेगम भिन्ना गयीं, "मगर इतना तो कीजिए कि हमारी बेइज़्ज़ती न हो । कम-से-कम आने-जाने वालों की नज़र तो न पड़े उन पर । देखिए कलुवा माली की कोठरी ख़ाली है । उनके अकेले के लिए काफ़ी है । क्या ज़रूरी है कि सिर पर सवार रहें ? मैं कहती हूं, वहां आराम से रहेंगे, और अब उन्हें रहना ही कितने दिन है ?"

"कलुवा माली की कोठरी !"

जमील साहब को एक लम्हे के लिए झुरझरी-सी आ गयी, लेकिन बात बड़े घर की लड़की की थी । चूं न कर सके और शायद करना भी नहीं चाहते थे । बीमार बूढ़े से बंगले की ज़ीनत बिगड़ रही थी, और फिर अब्बा जान को तो सिर्फ़ चारपाई पर ही पड़े रहना था । माली की कोठरी भी ठीक ही थी । कम-से-कम छत तो थी । उसका मरम्मत के क़ाबिल हिस्सा भी बरसात आने से पहले ठीक करा देंगे ।

जब बाप के सामने यह बात रखी तो उन्होंने कराहकर जवाब दिया, "बेटा ! जहां मुनासिब समझो मेरी चारपाई डाल दो ।"

उनके जाने के बाद बूढ़ी आंखों में से जाने कहां से सोते फूट पड़े ।

चारपाई माली की कोठरी में जाने के बाद बंगला अच्छी तरह धुलवाया गया । काफ़ी लम्बा-चौड़ा बंगला था । मियां, बीवी और आठ साल का एक लड़का–बहुत जगह थी उनके लिए ।

दोनों वक़्त का खाना नौकर के हाथ बड़े मियां को पहुंचा दिया जाता था, बल्कि नौकर ही उनका खाना पकाता था । बेगम ने नौकर से कह रखा था–

"हम लोग वक़्त बे-वक़्त घर आते हैं । जब तू अपना खाना पकाया करे तो दो रोटियां उनके लिए भी डाल लिया कर । अब उनकी वजह से बावर्चीख़ाना चौबीस घंटे तो खुला नहीं रह सकता ।"

बेगम तो कभी माली की कोठरी का रुख़ भी नहीं करती थीं, क्योंकि उसमें वैसे भी सीलन (नमी) थी । डॉक्टर ने उन्हें मना कर रखा था कि सीलन की जगहों से दूर रहें वरना छीकें आने का अंदेशा था । जमील साहब कभी-कभार चंद लम्हों के लिए रस्मन वहां झांक आते थे । जब भी जाते कोठरी में बड़े मियां की दुआएं उनका स्वागत करतीं–"जीते रहो बेटा, ख़ुदा तुम्हें सभी सुख दे ।"

और वह बस हूं-हां करके उलटे पैरों वापस आ जाते थे ।

बेगम ने बच्चे को सख़्ती से हिदायत कर रखी थी कि कभी उस कोठरी में क़दम न रखे, मगर वह मौक़ा पाकर

दादा के पास चला ही जाता था ।

एक दिन बेगम ने पकड़ लिया । दादा की गोद में बैठा कहानी सुन रहा था । वह आपे से बाहर हो गयीं । बच्चे को दादा की गोद से घसीट कर दो थप्पड़ लगाए और ससुर से कहा–"अक़्ल मारी हुई है तुम्हारी, बच्चे को भी दमे का रोग लग गया तो ? ख़ुद तो क़ब्र में पैर लटकाए बैठे ही हो, मेरे बच्चे पर तो रहम करो !"

"बहू !" बड़े मियां ने कुछ कहना चाहा, मगर वह पैर पटकती और यह बड़बड़ाती हुई चली गयी–"न जाने इस वबाल से कब जान छूटेगी ?"

शाम के वक़्त जमील साहब घर आए तो बेगम ने साफ़-साफ़ कह दिया, "आप करते रहें चोंचले बाप के, मगर उनसे कह दीजिए, ख़बरदार ! जो मेरे बच्चे को पास बुलाया । अपना ख़तरनाक रोग उसे भी लगाना चाहते हैं ।"

जमील साहब ने भी बाप को काफ़ी सख़्त सुस्त कहा– "अब्बा, आप तो मेरी निगाहें नीची कराते हैं । सठिया गये हैं । जब आप से मना कर दिया गया था तो फिर आपने ऐसा क्यों किया ? मुझे ज़लील कराके आपको ख़ुशी होती है ना ?"

बूढ़ी आंखों से फिर सोते फूट पड़े, मगर ज़बान से यही निकला–"जीते रहो बेटा ! ख़ुदा तुम्हें तमाम सुख दे ।"

बेगम ने बेटे पर सख़्त पहरा बिठा दिया ।

माली की कोठरी और बंगले के ड्राइंग रूम के बीच एक आंगन था । दो बूढ़ी आंखें हर वक़्त ड्राइंग रूम ही की तरफ़ लगी रहती थीं । दो धुंधली आंखें जैसे बुझते हुए दो चिराग़–मायूस, दुख से लबरेज़ । ड्राइंग रूम में क़हक़हे गूंजते, लॉन पर दावतें दी जातीं । उन दो वीरान आंखों के सामने वह बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया था ! अभी कल ही की बात है कि बाप के कांधों पर चढ़ा घूमा करता था । मां तो बचपन ही में मर गयी थी, बाप ही ने पाला-पोसा था । अपने सीने पर लिटाकर थपक-थपककर सुलाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, फिर हाथ पकड़कर लिखना सिखाया । अच्छा ख़ासा बड़ा होने पर भी बाप के हाथों से ही खाना खाता था और आज वही पेड़ इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया था कि बाप को साया भी न दे सकता था । कहा जाता है कि जो पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उनका साया उतना ही कम होता है ।

एक बार की बात है । जाड़ों की शाम थी । बारिश काफ़ी देर बरसकर थमी थी और धूप निकल आयी थी । कड़ाके की सर्दी थी । दांत से दांत बज रहे थे । जमील साहब, बेगम और बच्चा तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे । हीटर ने कमरे को गर्म कर रखा था और कॉफ़ी का दौर चल रहा था । माली की कोठरी से खांसी की आवाज़ और कराहों के दरमियान एक कमज़ोर-सी आवाज़ आ रही थी ।

"सर्दी में अकड़ा जा रहा हूं, ज़रा पलंग धूप में रखवा दो ।" जमील साहब सुन रहे थे । सोच रहे थे नौकर आ जाए तो पलंग धूप में रखवा देंगे । मगर बेगम का कहना था कि धूप दो घड़ी की मेहमान है, कोठरी ही में रहने दो ।

"स...सरदी..हो...हो...हो...हो...हाय...मैं...मरा !"

जमील साहब ने बेगम से कहा–"भई वह पुराना कम्बल ऊपर वाली कोठरी में फ़र्श पर बिछा हुआ है, उसे अब्बाजान के ऊपर डाल आऊं ?"

"फिर फ़र्श पर क्या बिछेगा ?" बेगम बड़बड़ाई, ठीक है, जैसा चाहो करो ।" जमील साहब न जाने क्यों बेगम के सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे ! बेटे से बोले–"जाओ, कम्बल दादा के ऊपर डाल आओ ।"

लड़का झपटकर ऊपरवाली कोठरी में गया और कुछ देर बाद कम्बल लिए वापस आया ।

"वहां ठहरना नहीं !" बेगम ने सख़्ती से बच्चे को ताकीद की । लड़का कम्बल लेकर माली की कोठरी की तरफ़ गया और फिर ख़ाली हाथ वापस आ गया । जमील साहब ने पूछा–"उढ़ा आए दादा को कम्बल ?"

"जी हां...और जी नहीं ।"

"क्या बकता है ?" बेगम ने त्योरी चढ़ाकर कहा । जमील साहब भी हैरान होकर बोले, "क्या मतलब ? जी हां ...और जी नहीं ?"

लड़का बोला–"उढ़ाया तो है, मगर कम्बल नहीं– आधा कम्बल ।

"आधा कम्बल !" दोनों ने एक साथ कहा ।

फिर जमील साहब ने कहा, "अरे, एक तो वह था ही फटा-पुराना जिसमें जगह-जगह सूराख़ थे, और तू उसमें से भी आधा ले गया !"

बेगम ने पूछा, "बाक़ी आधा कहां है ?"

"वहीं, ऊपर वाली कोठरी में पड़ा है", लड़का बोला, "मैंने कैंची से दो बिल्कुल बराबर हिस्से कर दिये हैं ।"

जमील साहब हंसने लगे । "कमाल है भई ! मैं पूछता

हूं, बाक़ी आधे का क्या करेगा ? तेरे किस काम का है ?''

लड़का बोला, ''वह आधा भी काम आएगा ।''

मां-बाप दोनों खिलखिलाकर हेस दिये । जमील साहब ने कहा, ''अजीब है यह लड़का भी, कहता है वह आधा भी काम आएगा, किसके ?''

लड़के ने तड़ाक से जवाद दिया, ''आपके ।''

जमील साहब और बेगम ने हैरत से कहा, ''क्या बक रहा है ?''

''ठीक ही तो कह रहा हूं ।'' लड़के ने मासूमियत से कहा । ''दादाजान को भी क्या पता था कि वह पुराना कम्बल उनके काम आएगा ।''

''तो फिर अब्बा जान ! हो सकता है सर्दियों की एक ऐसी ही शाम हो । मैं बड़ा होकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में हीटर के पास बैठा होऊँ । अब्बा जान आप माली की कोठरी में अकेले पड़े हों–अकेले, क्योंकि दादी की तरह अम्मी भी ख़ुदा के पास जा चुकी हों । हां, तो अब्बा जान आप सर्दी में कांप रहे हों, चिल्ला रहे हों । उस वक़्त मैं इस आधे कम्बल को अपने हाथों से आपको उढ़ा आऊंगा । यह आधा कम्बल मैंने आपके लिए रखा है । देखिए, मैं आपसे कितना प्यार करता हूं ।''

जमील साहब और बेगम पर बिजली-सी गिर पड़ी । वे अचानक खड़े हो गये । आंखें फटी रह गयीं । ज़ेहन में भूचाल आने लगे, आंधियां उठने लगीं, बिजलियां कड़कने लगीं और उनके धमाके सालों से अंधेरे पड़े और ख़ुदग़र्ज़ी के जालों से अटे रूह के गोशों तक पहुंचने लगे । एक तूफ़ान-सा उठा जिसने एक ही लम्हे में बेहिसी की इमारत को बुनियादों से ही उखाड़कर फेंक दिया । उन्हें कुछ पता नहीं कि आगे क्या हुआ ?

जब होश आया तो देखा उनके आंसू बीमार बूढ़े बाप के पैरों को धो रहे थे ।

जमील साहब पैरों को आंखों से लगाए हिचकियों के बीच कह रहे थे–''मैं गुनहगार हूं, अब्बा माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, पागल हो गया था । मैंने बड़ाई का मतलब ऊंचा ओहदा और बंगला समझा था । मगर अस्ल बड़ाई तो इन क़दमों में है । हमें सज़ा दीजिए, ठोकरें मारिए ।''

बाप की ज़बान पर वही अल्फ़ाज़ थे–''जीते रहो बेटा, ख़ुदा तुम्हें तमाम सुख दे ।''

और जमील साहब की आंखें बाप के तलवों को धोती रहीं ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया–''ऊंट की तरह एक ही बार में पानी मत पियो । दो या तीन सांसों में पानी पियो और सांस के बाद अल्लाह का नाम लो तथा आख़िर में भी अल्लाह का नाम लो ।''

(तिरमिज़ी)

★★★★★★★

A Well Wisher

PATNA (BIHAR)

मेयारी तालीम ही बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत है

बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत के पेशे-नज़र स्कूलों और मदरसों के लिए

इस्लामी तर्ज़ पर तैयार निसाबी किताबें

उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इस्लामियात और अन्य विषयों की पाठ्य-पुस्तकें अंग्रेज़ी, उर्दू और हिन्दी तीनों भाषाओं में उम्दा काग़ज़, बेहतरीन प्रकाशन, मतन से हम आहंग दीदाज़ेब तस्वीरों के साथ पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने वाला

हिन्दुस्तान भर में मशहूर पहला इशाअती इदारा

भारत सरकार के क़ौमी दर्सियात (C.B.S.E & N.C.E.R.T) के ख़ाके के तहत बच्चों के स्वभाव और दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए मुसलसल जांच (C.C.E) के नये तक़ाज़ों के मुताबिक़ नामवर शिक्षण-संस्थाओं से जुड़े अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार की गयी पाठ्य-पुस्तकों के लिए संपर्क करें।

हम सारे तालीमी इदारों से भरपूर तआवुन की अपील करते हैं और अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि हम सबकी इस कोशिश को क़ुबूल फ़रमाए। आमीन!

इस्लामी पाठ्य-पुस्तकों का पहला इशाअती इदारा। उर्दू, हिन्दी मीडियम स्कूलों और मदरसों के लिए

Pioneer in Islamic Oriented Books for Urdu/Hindi Medium Schools & Madarsas

AL QALAM
Publications Pvt.Ltd.

Al Qalam

اَلْقَلَم پبلیکیشنز
پرائیویٹ لمیٹیڈ

Regd. Office : 344, Gali Garhaiyya, Bazar Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-110 006.
Phone : (Off.) 011-2324 1481, 2326 1481 (Godown) 011- 23631481
website : alqalampublications.com e-mail : alqalambooks@gmail.com



To place orders please e-mail us on : alqalambooks@gmail.com or WhatsApp : 9136393030

एकेश्वरवाद का मानव-जीवन पर प्रभाव

■ डॉ॰ सैयद शाहिद अली

ख़ुदा को एक और अकेला मानना

एकेवरवाद के मानने का मतलब निम्नलिखित बातों का मानाना है–

- मनुष्य और सृष्टि का बनाने वाला और चलाने वाला एक ख़ुदा है ।
  वह अत्यन्त शक्तिशाली है, सब उसके सामने मजबूर और मुहताज हैं, उसकी मर्ज़ी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता ।
- वह किसी पर निर्भर नहीं है, सब उस पर निर्भर रहते हैं ।
- उसकी न कोई औलाद है और न वह ख़ुद किसी की औलाद है ।
- वह अकेला और एकता है, कोई उसका साझी नहीं । उसका न कोई आदि है, न अंत । जब कुछ नहीं था, तो वह था । वह हमेशा से था, हमेशा रहेगा ।
  वही सबका पालनहार और उपास्य (रब और माबूद) है । सब उसके दास हैं ।
- वह सब कुछ जानने वाला है । वह कुछ भी कर सकता है । उसके लिए कुछ असंभव नहीं ।
- वह अत्यंत कृपा करने वाला और दया करने वाला है । वह न्याय और इन्साफ़ करने वाला है ।
- जो कुछ है सब उसी का पैदा किया हुआ है ।
- उस जैसा कोई नहीं । वह बिल्कुल आज़ाद है । सब उसके सामने मजबूर हैं ।
- वह तमाम ताक़त का मालिक, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व ताक़तवर है ।
- ख़ुदा सब कुछ जानता है । वह हर जगह मौजूद है । कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर नहीं ।
- वह हमें देखता है, सुनता है, वह हमसे क़रीब है । मगर हम उसे नहीं देख सकते ।
- वह निस्पृह (बेनियाज़) है । उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मगर इन्सान को उसकी ज़रूरत है ।
- वही और सिर्फ़ वही इबादत (उपासना) के लायक़ है। कोई उस जैसा नहीं । वह हमें ज़िन्दगी देता है और वही हमें मौत देता है ।
- सफलता और असफलता, सम्मान और अपमान, अमीरी और ग़रीबी, खुशी व दुख, स्वास्थ्य और रोग, सबका देने वाला या न देने वाला या देकर वापस लेने वाला वही एक ख़ुदा है ।

व्यक्ति और समाज की सभी बुराइयों की जड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है और वह है एकेश्वरवाद को न मानना अर्थात यह नहीं मानना कि ख़ुदा है, देख रहा है और सबको उसका सामना करना है । एकेश्वरवाद के सिलसिले में समाज में चार तरह के लोग पाए जाते हैं–

1. पहला वर्ग उन लोगों का है जो एक ख़ुदा का इन्कार करते हैं ।
2. दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो एक ख़ुदा का ज़बान से इक़रार करते हैं, मगर दिल में यक़ीन नहीं रखते ।
3. तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो ज़बान से एक ख़ुदा का इक़रार करते हैं और दिल में यक़ीन भी रखते हैं, मगर उसके आदेशों को नहीं मानते ।
4. चौथा वर्ग उन लोगों का है जो ज़बान से एक ख़ुदा का इक़रार करते हैं और दिल में यक़ीन भी रखते हैं और उसके आदेशों को भी मानते हैं । एकेश्वरवाद को मानने का लाभ तब होता है, जब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख़ुदा को माना जाए । इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं । मान लीजिए, हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है जो झाड़-झंकार, कंकर-पत्थर से भरा हुआ है और हम वहां गेहूं उगाना चाहते हैं । अगर हम ज़मीन तैयार किये बिना उसमें बहुत उत्तम क़िस्म का बीज डाल दें, तो हमें अच्छी फ़सल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए ।

हमें सबसे पहले झाड़-झंकार और कंकर-पत्थर से ज़मीन को साफ़-सुथरा करना चाहिए और अच्छी तरह ज़मीन तैयार करनी चाहिए । फिर उसमें बीज बोना चाहिए, तब हम अच्छी फ़सल की उम्मीद कर सकते हैं ।

यही मामला इन्सान के मन-मस्तिष्क का भी है । अगर उसमें एक ख़ुदा के अलावा दूसरे ख़ुदा भी मौजूद हों, तो फिर एकेश्वरवाद का पूरा लाभ नहीं मिलता और उसके पूरे प्रभाव इन्सान की ज़िन्दगी पर नहीं पड़ते । एकेश्वरवाद का मानना इन्सान की ज़िन्दगी में केन्द्रीयता लाना है, न कि

संकट और बिखराव ।

मानव जीवन पर एकेश्वरवाद के प्रभाव

इस्लाम के अनुसार, इन्सान एक इकाई (Unit) है । उसकी ज़िन्दगी के सभी पहलू एक-दूसरे से मिले हुए और परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए (Interrelated) हैं । इन्सान के सामाजिक जीवन का आर्थिक जीवन पर, आर्थिक का राजनैतिक पर, राजनैतिक का सामाजिक पर, सामाजिक का मनोवैज्ञानिक पर, मनोवैज्ञानिक का नैतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है । केवल किसी एक पहलू के सही होने से इन्सान का सही होना संभव नहीं ।

इन्सान जब एकेश्वरवाद अर्थात एक और यकता ख़ुदा को मानता है, तो उसकी ज़िन्दगी के सभी पहलू प्रभावित होते हैं । एकेश्वरवाद के प्रभाव इन्सान के जीवन के सामाजिक पहलू, व्यक्तिगत पहलू, आर्थिक पहलू, नैतिक पहलू, राजनैतिक पहलू, मनोवैज्ञानिक पहलू अर्थात इन्सान की ज़िन्दगी के हर पहलू पर पड़ते हैं ।

इन्सान के ध्यान का एक बिन्दु पर केन्द्रित होना

एकेश्वरवाद का मानना इन्सान को एकाग्रचित्त बनाता है । इस तरह इन्सान की सभी योग्यताएं बढ़ जाती हैं । जैसे सूरज की किरणें बिखरी होती हैं, मगर जब वे एक उन्नतोदर दर्पण या मुहद्दब शीशे (Sunglass) में से पास होती हैं, तो एक बिन्दु पर केन्द्रित होकर आग लगा देती हैं या इसे दूसरे उदाहरण द्वारा इस तरह समझ सकते हैं कि पानी का एक जहाज़ हो, जिसका कोई कप्तान न हो और एक दूसरा जहाज़ हो, जिसका कोई कप्तान हो । नतीजा यह होता है कि बिना कप्तान का जहाज़ समन्दर की लहरों और हवा के थपेड़ों पर हिचकोले लेता रहता है और अपनी मंज़िल से भटक जाता है, जबकि वह जहाज़ जिसका कप्तान हो, अपनी मंज़िल तक पहुंच जाता है । एकेश्वरवाद एक पतवार वाले नांव के समान है, जो एकेश्वरवादी इन्सान को अपने गंतव्य और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है ।

सम्पूर्ण सृष्टि के साथ एकता का एहसास

इन्सान और सृष्टि का एक बनाने और चलाने वाला है । इस बात से इन्सान में एकत्व (Oneness) का एहसास पैदा होता है । वह सब चीज़ों को अपनी ही तरह एक मालिक की मिलकियत या एक स्रष्टा की सृष्टि मानकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है । एकेश्वरवाद इन्सान को व्यापक दृष्टि वाला और विशाल एवं उदार हृदय वाला बनाता है । ऐसा इन्सान अपने लिए जो पसन्द करता है, वही दूसरों के लिए भी पसन्द करता है । वह सबको बराबर समझता है । वह सभी को इज़्ज़त और मुहब्बत का हक़दार समझता है, और किसी को तुच्छ या हक़ीर नहीं समझता ।

आत्मविश्वास और आत्मसम्मान

एकेश्वरवाद अर्थात यह मानना कि सब ख़ुदा पर निर्भर हैं और ख़ुदा किसी पर निर्भर नहीं, इन्सान को आज़ादी और इज़्ज़त दिलाता है और ख़ुद्दार बनाता है ।

पैदा करने वाले से सीधे तौर पर संपर्क

यह मानना कि ख़ुदा हर इन्सान के क़रीब है, उसे देखता और सुनता है, इन्सान को इन्सान की दासता से आज़ाद करता है और बिचौलिए की अवधारणा या कल्पना से आज़ादी देता है । इन्सान हर तरह के अंधविश्वास से आज़ाद हो जाता है ।

ख़ुदा का डर

डर दो तरह के होते हैं–

1. ख़ुदा का डर ।
2. ग़ैर-ख़ुदा का डर ।

अर्थात अंधेरा, भूत, जानवर, हानि, दुर्घटना और मौत इत्यादि का डर ।

ग़ैर-ख़ुदा का डर इन्सान पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और उसे डरपोक और कमज़ोर बनाता है और ख़ुदा का डर इन्सान पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और उसे बहादुर तथा ताक़तवर बनाता है । जब इन्सान यह मानता है कि सफलता और असफलता, दुख और सुख, अमीरी और ग़रीबी, ज़िन्दगी और मौत, सम्मान और अपमान, हानि और लाभ, स्वास्थ्य और रोग, बल और निर्बलता सबका देने या न देने या देकर वापस लेने वाला एक ख़ुदा है, तो इन्सान एक बहादुर सिपाही, हिम्मत वाला व्यापारी, ईमानदार टीचर, सही डॉक्टर, भला इंजीनियर बनता है ।

विनम्रता और सज्जनता

एक बेहद ताक़तवर और हमेशा रहने वाले ख़ुदा को मानने का नतीजा यह होता है कि इन्सान अपनी ताक़त को उसकी ताक़त के सामने कम और अस्थायी समझने लगता है । इसका असर यह होता है कि ऐसा इन्सान जान लेता है कि ख़ुदा कमज़ोर का भी साथी है । इसका नतीजा यह निकलता है कि हक़ के रास्ते में वह कमज़ोर को ताक़तवर और ताक़तवर को कमज़ोर समझने लगता है और न्याय और इन्साफ़ की दृष्टि से काम करता है । इस तरह समाज से अत्याचार घटता है, बल्कि अत्याचार का ख़ात्मा हो जाता है

और इन्सान में विनम्रता पैदा होती है । लोग अत्याचार इसलिए करते हैं कि वे खुद को बहुत ताक़तवर और अपनी ताक़त को हमेशा रहने वाली समझने लगते हैं ।

घमंड न करना

एकेश्वरवाद का मानना यह है कि इन्सान समझे कि ख़ुदा ही देने, न देने और देकर वापस लेने वाला है । इस बात का प्रभाव इन्सान पर यह पड़ता है कि वह अपनी दौलत, ताक़त, योग्यता, क्षमता और औलाद पर घमंड नहीं करता, बल्कि शुक्र करता है, अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा बनकर रहता है और सारे इन्सानों का हितैषी बनने की हर संभव कोशिश करता है ।

ख़ुदा इन्सान को उसके अपने घर में ही अपमानित कर सकता है । उसके अपने बिस्तर और शरीर में क़ैद कर सकता है । उसके अपनों को ही उसका दुश्मन बना सकता है । इन्सान को ख़ुद उसकी अपनी ताक़त को ही उसके लिए मुसीबत बना सकता है । इस बात का मानना इन्सान को घमंडी होने से रोक देता है ।

एकेश्वरवाद को मानते हुए इन्सान जब सजदा करता है और अपनी नाक ज़मीन पर रखता है, तो व्यावहारिक रूप से ख़ुदा की बड़ाई के सामने अपनी तुच्छता या कमतरी का इज़हार करता है ।

बेहद उम्मीदें

दुनिया की सारी तरक़्क़ियों और आविष्कारों के पीछे एक चीज़ होती है और वह है उम्मीद, कामयाबी की उम्मीद । प्रत्येक वैज्ञानिक उम्मीद के सहारे अपनी खोज एवं शोध की शुरुआत करता है, जान-तोड़ कोशिश करता है, जो उसे कामयाबी तक ले जाती है । जितनी ज़्यादा उम्मीद, उतनी ज़्यादा जान-तोड़ कोशिश और उतनी ज़्यादा कामयाबी ।

उम्मीद इन्सान को काम करने के लिए प्रेरित करती है–किसान को फ़सल की उम्मीद, रोगी को सेहत या स्वास्थ्य की उम्मीद, व्यापारी को लाभ की उम्मीद, विद्यार्थी को सफलता की उम्मीद और सैनिक को जीत की उम्मीद ही जान-तोड़ कोशिश के लिए उभारती है ।

इन्सान जब एकेश्वरवाद को मानता है, तो फिर वह एक ऐसे ख़ुदा को मानता है जिसके कंट्रोल में हर चीज़ है । कोई भी उसके क़ाबू से बाहर नहीं । वह जब चाहे और जो चाहे कर सकता है । वह कभी और किसी भी असफलता को सफलता में, दुख को ख़ुशी में और ग़रीबी को अमीरी में बदल सकता है । इस तरह एकेश्वरवाद का मानने वाला इन्सान कभी निराश नहीं होता, निराशा का शिकार नहीं होता । वह हमेशा आशावान रहता है, आशा एवं उत्साह से भरा (Optimistic) रहता है, निराशा, उदासी और विषाद (Depression) से सुरक्षित रहता है और आत्महत्या कभी नहीं करता ।

एकेश्वरवाद को मानने वाला व्यक्ति अपनी सभी सफलताओं और असफलताओं का श्रेय ख़ुदा को देता है । नतीजा यह होता है कि वह सफलता पर घमंड नहीं करता और असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि सफलता पर ख़ुदा शुक्र अदा करता और असफलता पर धीरज रखता है ।

ख़ुदा की चेतना

एकेश्वरवाद का मानने वाला यह मानता है कि ख़ुदा है और वह सब कुछ देख और सुन रहा है । यह एहसास उसे सारी बुराइयों से बचा लेता है और उसे हर तरह की अच्छाइयां करने के लिए उभारता है । ऐसा इन्सान अपने हर वादे को ख़ुदा से किया हुआ वादा जानता और मानता है ऐसा इन्सान अपनी कथनी और करनी में पूरा उतरने की कोशिश करता है, ऐसा इन्सान लोगों का पूरा-पूरा हक़ अदा करने वाला बनता है, जिससे समाज में आपसी विश्वास और सामाजिक न्याय और शुभेच्छा पैदा होती है ।

ख़ुदा के साथ होने का एहसास (Presence of God) इन्सान को हर समय होशियार रखता है ।

ख़ुदा हर चीज़ को जानता है, यह एहसास इन्सान के मामलों को बदल देता है । आज दुनिया में जो संकट या समस्या नज़र आती है, उसका कारण कहीं अत्याचार है और कहीं अत्याचार की प्रतिक्रिया–कभी ताक़तवर की तरफ़ से और कभी कमज़ोर की तरफ़ से ।

ख़ुदा के होने का एहसास इन्सान को न्याय और अन्याय के वर्गों में सोचना सिखाता है अर्थात न्याय क्या है और अन्याय क्या, इससे इन्सान को यह एहसास अच्छी तरह वाक़िफ़ कराता है, न कि मेरा लाभ और मेरी हानि, मेरी पसन्द और मेरी नापसन्द के वर्गों में ।

आज दुनिया शान्ति और सलामती की बात करती है, न्याय और इन्साफ़ की नहीं, जबकि शान्ति और सलामती नतीजा है न्याय और इन्साफ़ का । सिर्फ़ एकेश्वरवाद (तौहीद) का एहसास ही इन्सान को न्याय और इन्साफ़ करने वाला बनाए रखता है और हमेशा बनाए रख सकता है ।

सच्चाई

एकेश्वरवाद को मानकर इन्सान सच्चाई को पसन्द

करने वाला बन जाता है । वह हमेशा सच बोलता है, क्योंकि उसका ख़ुदा सच्चाई को पसन्द करता है । सच्चा इन्सान सही बात कहता है, चाहे वह उसके अपने मां-बाप के ख़िलाफ़ ही क्यों न हो । सच्चाई इन्सान को उसूली या सिद्धांतप्रिय इन्सान बनाती है । इस तरह व्यक्ति और फिर समाज कपटाचार या मुनाफ़िक़त से मुक्त हो जाता है ।

इच्छाओं को क़ाबू में करना

इन्सान और उसकी इच्छाओं के बीच दो में से एक ही रिश्ता हो सकता है–या तो इन्सान इच्छाओं को कंट्रोल करे या इच्छाएं इन्सान को कंट्रोल करें । जब इन्सान एकेश्वरवाद (तौहीद) अर्थात एक और सिर्फ़ एक ख़ुदा को मानता है तो ख़ुदा की मर्ज़ी के सामने अपनी मर्ज़ी और इच्छाओं को त्याग देता है । इस तरह उसकी इच्छाएं उसके क़ाबू में रहती हैं ।

ग़ुस्से को क़ाबू करना

इन्सान और उसके ग़ुस्से के बीच दो में से एक ही रिश्ता होता है–इन्सान ग़ुस्से को कंट्रोल करे या ग़ुस्सा इन्सान को कंट्रोल करे । जब इन्सान ऐकेश्वरवाद को मानता है, तो ख़ुदा के आदेश को मानता है ।

ख़ुदा भले और अच्छे बन्दों के बारे में कहता है–

"जब उन्हें ग़ुस्सा आता है, तो माफ़ कर देते हैं ।"

(क़ुरआन, 42:37)

अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा–

"जिस किसी (आदमी) ने अपने ग़ुस्सा को रोका, अल्लाह क़ियामत (महाप्रलय) के दिन उससे अपनी यातना (अज़ाब) को रोक लेगा ।" (बैहकी : शोबुल-ईमान)

समाज को ग़ुस्से के कारण बहुत हानि पहुंचती है । भरे हुए जेलख़ाने, अदालतें और अस्पताल इसके उदाहरण हैं ।

मानसिक स्वास्थ्य

इन्सान की सोच का उसके आचरण और काम पर प्रभाव पड़ता है । सोच और आचरण का रिश्ता ऐसा है, जैसे बैल और बैलगाड़ी का; जिधर बैल जाएगा, उधर गाड़ी भी जाएगी ।

दिमाग़ एक बाग़ की तरह होता है । जब उसकी देख-भाल नहीं की जाती तो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है । नकारात्मक सोचों (Negative Thoughts) के साथ रचनात्मक और सकारात्मक काम नहीं हो सकता ।

जब हम एकेश्वरवाद को मानते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हम मानसिक प्रदूषण भी नहीं फैलाते; क्योंकि ख़ुदा चुग़ली, दोषारोपण और लंबी-लंबी छोड़ने को नापसन्द करता है । ख़ुदा किसी के प्रति अच्छा विचार रखने को पसन्द करता है । टोह लेने, भ्रम, ग़लत धारणा आदि बुरी बातों को ख़ुदा नापसन्द करता है । हम इनसे बचते हैं और सेहतमन्द रहते हैं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गयी स्वास्थ्य की परिभाषा

"शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक (धार्मिक) दृष्टि से सही होने की संतुलित सतह का नाम स्वास्थ्य है, न कि बीमारी के न होने का ।"

विश्वास का संकट

आज की दुनिया में बुराई का अनुपात अच्छाई के मुक़ाबले में लगातार बढ़ रहा है और समाज में विश्वास का संकट पैदा हो रहा है ।

बाप ने अपने बच्चे से कहा, "झूठ मत बोलो ।" फिर अगर कोई मिलने आता है, तो ख़ुद कहता है कि कह दो, "घर पर नहीं हैं ।" शिक्षक कहता है, "ईमानदार बनो ।" मगर ख़ुद क्लास नहीं लेता । नेता कहता है, "अपने देश के लिए क़ुरबानी दो ।" और वह ख़ुद देश को अपने ऊपर क़ुरबान कर रहा है । इन परिस्थितियों में नयी पीढ़ी के सामने कोई 'आदर्श प्रतिरूप' (Role Model) या 'आदर्श लक्ष्य' नहीं है । नतीजा यह होता है कि वह भोग-विलास और मनोरंजन को ही अपना आदर्श बना लेती है ।

कथनी और करनी का यह विरोधाभास विश्वास के संकट का कारण बन गया है । लेकिन एकेश्वरवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है; क्योंकि एकेश्वरवाद का मानने वाला जानता है कि ख़ुदा उससे कहता है–

"वह बात क्यों कहते हो, जो करते नहीं।"

(क़ुरआन, 61:3)

धरती पर स्वर्ग

दुनिया में बहुत-सी विचारधाराएं पैदा हुईं और उनके अनुसार अनगिनत व्यवस्थाएं (Systems) अस्तित्व में आयीं और अनेक प्रकार के दर्शन पैदा हुए । जैसे–साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद इत्यादि । इन सबका लक्ष्य 'संसार में स्वर्ग स्थापित करना' अर्थात एक ऐसा समाज बनाना था, जिसमें पूर्ण न्याय हो; शान्ति हो; ख़ुशी हो, ख़ुशहाली हो; मगर आज तक ये सारी कोशिशें असफल रही हैं, यहां तक कि आज दुनिया में एक विचारधारा-संबंधी शून्य पैदा हो गया है । इसका कारण क्या है ? इसका कारण एकेश्वरवाद

से लोगों की दूरी है; क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ एकेश्वरवाद ही एकमात्र विचारधारा है, जिसे मानकर और जिस पर चलकर संसार को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इन्सान जितना ज़्यादा एकेश्वरवाद को मानेगा, उतनी ज़्यादा बुराई दुनिया से ख़त्म होगी।

एकेश्वरवाद को मानने वाले का उद्देश्य ख़ुदा की ख़ुशी हासिल करना होता है और ख़ुदा को राज़ी करने के लिए इन्सान को झूठ बोलना छोड़ना होगा, दुनिया से झूठ कम होगा। ख़ुदा को राज़ी करने के लिए इन्सान को घूस लेना छोड़ना होगा, दुनिया से घूस कम होगा; ख़ुदा को राज़ी करने के लिए इन्सान को अन्याय और अत्याचार बन्द करना होगा, दुनिया से अन्याय और अत्याचार कम होगा। ख़ुदा को राज़ी करने के लिए इन्सान को भ्रष्टाचार छोड़ना होगा, दुनिया से भ्रष्टाचार कम होगा।

जवाबदेही और ज़िम्मेदारी का एहसास

एकेश्वरवाद को मानने का मतलब यह है कि यह माना जाए कि ख़ुदा ने इन्सान को पैदा किया और उसकी ज़िन्दगी को दो हिस्सों में बांटा–मौत से पहले की ज़िन्दगी और मौत के बाद की ज़िन्दगी और इनके बीच में मौत को रखा। पहली ज़िन्दगी परीक्षा के लिए है और यह अस्थायी और क्षण-भंगुर है और दूसरी ज़िन्दगी सज़ा या इनाम के लिए है और वह हमेशा रहने वाली है और दोनों के बीच मौत एक स्थानांतरण है।

ख़ुदा है, देख रहा है और उसका सामना करना है। वह इन्सान के विचारों को अवचेतन में, इन्सान की बातों को आवाज़ की लहरों में और इन्सान के कामों को ऊर्जा की लहरों के रूप में रिकॉर्ड कर रहा है।

यह मानना इन्सान में ज़िम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास पैदा करता है और वह दूसरों का भला चाहने और हक़ और अधिकार देने वाला और अन्याय और अत्याचार न करने वाला बनता है।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा–

"परलोक (आख़िरत) में हर आदमी को चार सवालों का जवाब देना होगा : ज़िन्दगी कहा गुज़ारी ? जवानी कहां गुज़ारी ? दौलत कैसे कमाई ? दौलत कहां ख़र्च की ?"

उम्मीद और डर

एकेश्वरवाद का मानना अर्थात यह मानना है कि ख़ुदा अत्यंत दयावान है, माफ़ करने वाला है; मगर न्याय और इन्साफ़ करने वाला और कठोर सज़ा देने वाला भी है। यह बात इन्सान को उम्मीद और डर के बीच रखती है; क्योंकि अगर केवल उम्मीद ही उम्मीद हो, तो इन्सान ढीठ हो सकता है और बेझिझक गुनाह कर सकता है; लेकिन अगर केवल डर ही डर हो तो इन्सान निराशा का शिकार हो सकता है।

उम्मीद और डर के बीच वाली स्थिति हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) के कथन से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है–

"अगर आसमान से आवाज़ आये कि एक आदमी दुनिया में से नरक में जाएगा, तो मैं समझूंगा कि वह मैं हूं और अगर आसमान से आवाज़ आए कि एक आदमी दुनिया में से स्वर्ग में जाएगा, तो मैं समझूंगा कि वह मैं हूं।"

हर समय सतर्क

एकेश्वरवाद का मानने वाला यह मानता है कि ख़ुदा मालिक है और मैं दास। तब उसकी पूरी ज़िन्दगी इबादत अर्थात दासता (Slavery) बन जाती है। इस तरह वह हर समय ख़ुदा के संपर्क में रहता है। इस्लाम इन्सान के लिए कोई पार्ट टाइम चीज़ नहीं है, बल्कि यह इन्सान की पूरी ज़िन्दगी पर छाया हुआ होता है, ऐसा आदमी हमेशा सतर्क और सावधान रहता है।

इन्सानों का सुधार

इन्सान का दो तरीक़ों से सुधार किया जा सकता है–अन्दर से बाहर की तरफ़ और बाहर से अन्दर की तरफ़।

एक तरीक़ा यह है कि क़ानून, ताक़त या सज़ा का डर पैदा करके इन्सान को बुराई करने से रोका जाए और दूसरा तरीक़ा यह है कि अन्दर अर्थात अक़ीदा (धर्म के प्रति आस्था एवं विश्वास) के द्वारा (ख़ुदा है, देख रहा है और उसका सामना करना है)। इस्लाम इसी दूसरे तरीक़े को अपनाता है; क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो बेहद ताक़तवर हैं, जिन्हें क़ानून और ताक़त आदि किसी चीज़ का डर नहीं होता। उन्हें केवल एकेश्वरवाद की धारणा ही ठीक रख सकती है। यह धारणा अथवा आस्था सामाजिक चेतना पैदा करती है। एकेश्वरवाद का मानने वाला एक ज़िन्दा ख़ुदा को मानता है। इसलिए वह कभी लाल बत्ती नहीं तोड़ता, सरकारी सम्पत्ति को बरबाद नहीं करता। एकेश्वरवाद का मानने वाला एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा मैनेजर, अच्छा नेता, अच्छा व्यापारी, अच्छा सैनिक, अच्छा शिक्षक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर और अच्छा क्लर्क साबित होता है।

इस्लामी तालीमात

❖इस्लाम-दर्शन	डॉ०गणेशदत्त सारस्वत, पी०एच०डी०	45.00
❖इस्लाम धर्म	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	60.00
❖इस्लाम भविष्य की आशा	सय्यद .कुत्ब	24.00
❖इस्लाम में औरत का स्थान और मुस्लिम पर्सनल लॉ	प्रो० उमर हयात खाँ ग़ौरी	72.00
❖इस्लाम में उदारता	मतीन तारिक़ बाग़पती	40.00
❖इस्लाम में पति पत्नी के अधिकार	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	55.00
❖इस्लाम में मानव-अधिकार	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
❖इस्लाम संदेहों के घेरे में	मुहम्मद .कुत्ब	130.00
❖इस्लामी अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त और उद्देश्य	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	9.00
❖इस्लामी जिहाद की वास्तविकता	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	20.00
❖इस्लामी ज़िन्दगी	नसरुल्लाह ख़ां अज़ीज़	60.00
❖इस्लामी तालीमात	मौलाना सुलैमान क़ासमी	35.00
❖इस्लामी शरीअत	माइल ख़ैराबादी	90.00
❖इस्लामी संदेश और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी		10.00
❖उदारता का सही अर्थ	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	8.00
❖उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा(रज़ि)	माइल ख़ैराबादी	65.00
❖ऊंच-नीच, छूत-छात	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	8.00
❖एक इंसान दो किरदार	माइल ख़ैराबादी	12.00
❖एक ईश्वर की धारणा	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	40.00
❖क़ुरआन सबके लिए	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	28.00
❖क्रान्ति-दूत हज़रत मुहम्मद सल्ल०	नईम सिद्दीक़ी	90.00
❖एकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	35.00

Customer Care No : 7290092403 E-mail: info@mmipublishers.net :آرڈر کے لیے رابطہ کریں

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave
Jamia Nagar New Delhi-110025
Phone:26981652,26984347 Mob: 7290092401
E-mail:info@mmipublishers.net,mmipublishers@gmail.com
Website:www.mmipublishers.net

चोर पकड़ा गया

■ प्रभुदयाल श्रीवास्तव

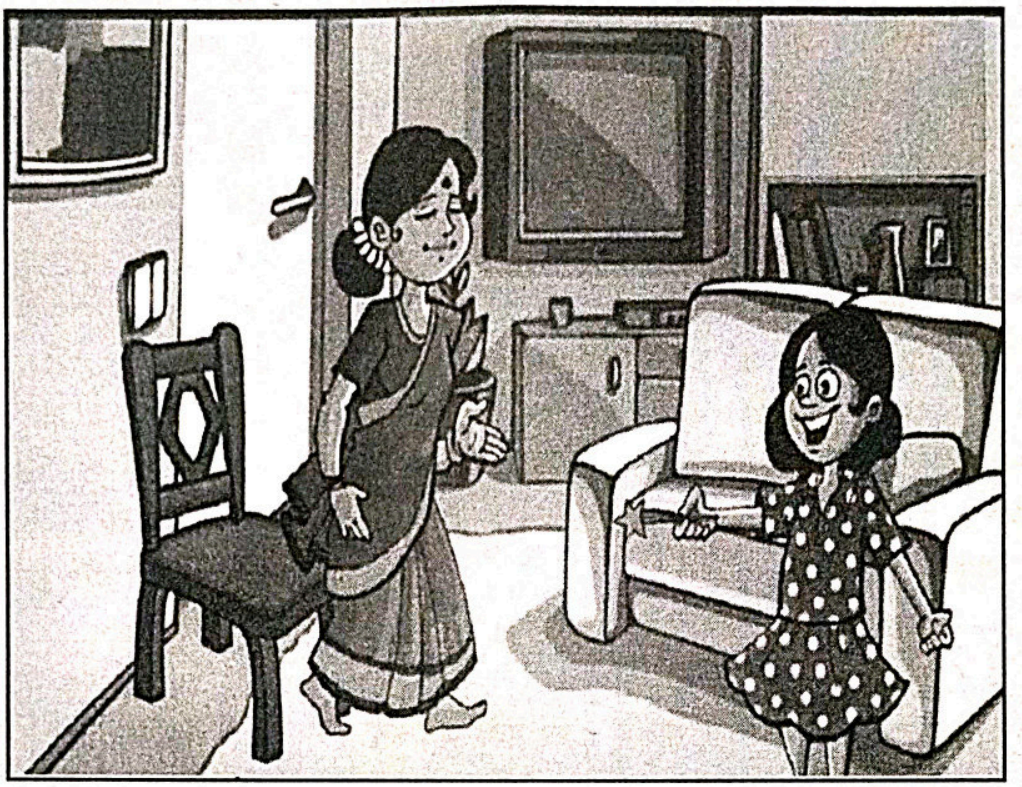

'दरियां ले लो..., दरियां..., रंग-बिरंगी मज़बूत टिकाऊ दरियां।'

जैसे ही टीना ने आवाज़ सुनी, वह बस्ता जस का तस छोड़कर बाहर की तरफ़ भागी।

अम्मा चिल्लाईं, 'अरे कहां भाग रही है, पढ़ाई तो पूरी कर ले ?' परंतु टीना को तो भागना ही था दरी वाले की आवाज़ पर।

'पता नहीं क्या हो गया है इस टीना को ? दरी वाले की आवाज़ आती है तो सब काम छोड़कर भाग जाती है।' अम्मा मन ही मन बुदबुदातीं। उन्होंने टीना के बापू से शाम को इस बाबत चर्चा की।

परंतु बाबू जमनालालजी ने हंसकर कहा, 'तुम भी कहां की बातें ले बैठती हो, अरे बच्ची है, दरी वाले की आवाज़ सुनकर दरी देखने दौड़ जाती है तो इसमें क्या बुराई है ? मैं भी तो बचपन में ठेले वालों की आवाज़ सुनकर खाने की थाली छोड़कर भाग जाता था।'

बात तो सच थी। वह भी तो जब छोटी थी तो आसमान में हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर बाथरूम में से आधी नहाई ही बाहर दौड़ पड़ती थी। ख़ैर, बात आयी-गयी हो गयी।

दूसरे दिन मोहल्ले में हल्ला मचा कि रतनलालजी के घर में चोरी हो गयी। पुलिस की गाड़ी हूटर बजाती हुई आयी और चोरी वाले घर के सामने भीड़ लग गयी। रतनलालजी एक दिन पहले ही से नागपुर गये थे और सुबह ही वापस आये थे। घर का सारा सामान उन्होंने बिखरा पाया और अलमारी का ताला टूटा पड़ा था। चोरों ने अलमारी की नक़दी और सोने-चांदी के जेवरों पर हाथ साफ़ कर दिया था। पुलिस अपनी काग़ज़ी खानापूर्ति करके चली गयी थी।

'मैं जानती थी आज कहीं-न-कहीं चोरी होगी', टीना धीरे-धीरे बड़बड़ा रही थी।

'क्या कह रही है बिटिया, क्या बुदबुदा रही है ?' अम्मा नीलू ने प्रश्न किया तो वह बोली, 'कुछ नहीं अम्मा, बाद में बताऊंगी।'

नीलू सोच रही थी कि टीना को जाने क्या हो गया है ? कुछ तो बड़बड़ाती रहती है।

उस दिन रविवार था। जमनालालजी का आज अवकाश था। कभी-कभी वे अवकाश के दिन भी कार्यालय चले जाते थे। काम ही इतना ज़्यादा था कि छुट्टी के दिन भी कार्यालय में बैठना पड़ता था किंतु आज उनका मूड था कि घर पर ही पत्नी और बच्चों के साथ रहकर वे थोड़ा मनोरंजन करें। खाना खाया और टीना के साथ लूडो खेलने बैठ गये।

अचानक दरी वाले की आवाज़ सुनायी पड़ी। टीना कुछ चौंकी और उठकर बाहर भागने लगी, परंतु कुछ सोचती हुई वापस पलटी और जमनालालजी से बोली, 'बापू

आज आप भी चलिए न दरी वाले को देखने ।'

'क्या, मैं चलूं, क्यों, क्या मैं बच्चा हूं ?' वे ठहाका मारकर हंसने लगे । 'जा, तू ही जा, उस दरी वाले को देखने ।' इतने सारे प्रश्न सुनकर पहले तो वह कुछ नर्वस हुई किन्तु तुरंत संभल गयी ।

'नहीं बापू कुछ ख़ास बात है, मैं आपको...कुछ बताना चाहती हूं ।' वह थोड़ा झिझकी और उनका हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगी । आख़िर जमनालालजी थे तो एक बेटी के बाप ही, उठकर खड़े हो गये ।

'कहां ले चलती है चल, ये लड़की भी...' यह कहते हुए उसके पीछे चल दिये ।

बाहर उन्हें वह दरी वाला दिखायी दिया । दूसरी गली की ओर वह मुड़ रहा था । टीना उन्हें घसीटकर दूसरी गली के किनारे तक ले गयी । धीरे से बोली, 'बापू यह गली तो आगे बंद है, इसमें से ही किसी घर में आज चोरी होगी ।'

'क्या पागलों-सी बातें करती है ? क्या तू सी॰आई॰डी॰ है ? तुझे कैसे पता ?'

'बापू, मैं सच्ची कह रही हूं । इस गली का कोई घर मालिक ज़रूर ताला लगाकर बाहर गया होगा । उसके यहां चोरी होगी ।'

जमनालालजी को याद आया कि इस गली में रहने वाले उसके एक मित्र रतनलालजी सुबह ही नागपुर एक विवाह समारोह में गये हैं ।

उन्होंने पूछा, 'तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगाया कि आज यहां चोरी होगी ?'

'बापू, मैं तीन माह से इस दरी वाले को देख रही हूं । जब भी यह आता है और जिस गली में जाता है, वहां चोरी होती है ।'

'मगर तुम गारंटी से कैसे कह सकती हो ? अंदाज़ा ग़लत भी हो सकता है । किसी पर शक करना...?' वे वाक्य पूरा कर पाते, इसके पहले ही टीना चहक उठी ।

'बापू, अपने घर के सामने पुलिस अंकल रहते हैं, तो उन्हें बताने में क्या हर्ज है', टीना ने अपनी छोटी-सी बुद्धि का गोला दागा ।

शाम को जमनालालजी ने अपने पड़ोसी पुलिस इंस्पेक्टर शुक्लजी को टीना की बातों से अवगत कराया । उन्होंने सादी वर्दी में एक पुलिस वाले को उस गली के आसपास तैनात कर दिया । रात को तो कमाल ही हो गया । दो चोर रंगे हाथों घर के फाटक के भीतर घुसते हुए पकड़े गये ।

दूसरे दिन उस दरी वाले को भी पकड़ लिया गया । थाने में ले जाकर जब उसकी पिटाई हुई तो उसने दो दर्जन चोरियों का खुलासा किया, जो पिछले तीन साल से शहर में हो रही थीं और पुलिस पकड़ने में नाकाम रही थी ।

पुलिस इंस्पेक्टर शुक्ला ने टीना से पूछा, 'बेटी, तुमने कैसे जाना कि इस दरी वाले का चोरियों से कुछ संबंध है ?'

'अंकल, अपने मुहल्ले में जब लगातार दो चोरियां हुईं तो मैंने अनुभव किया कि चोरी उसी दिन होती है, जब यह दरी वाला आता है । फिर अगली बार जब यह दरी वाला आया तो मैंने उसका चोरी से पीछा किया । उसी दिन उस गली में चोरी हुई, जिस गली में वह फेरा लगाने भीतर तक गया था । फिर तो यह निश्चित हो गया कि चोरी और इस दरी वाले के बीच कुछ तो संबंध है और मैं अपने बापू को साथ ले गयी ।'

टीना की सूझ-बूझ से चोरियों का भंडाफोड़ हो गया ।

अब दरी वाला नहीं आता । आएगा कहां से ? वह तो हवालात में है । टीना की अम्मा को भी अब टीना के बाहर भागने की चिंता नहीं सताती ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

KANTI
Current A/c. No. :0990839195
IFS Code : IDIB000J029
Indian Bank, Jamia Millia Islamia branch
New Delhi 110025
कृपया पैसा जमा करने के बाद फोन न. 011-26949430, मोबाइल न. 9818799223 या ई मेल : managerkantidelhi@gmail.com पर अवश्य सूचित करें।

مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور ہاتھ سے
مسلمان محفوظ رہیں۔
(بخاری:10)

Seahath Canning Company

Plot No. 8, Margoa Industrial Estate
St. Jose de Areal. Post Curtorium
Margo, Goa 403709, INDIA
Tel.: +91-832-2860412 / 6481562
Email: info@seahath.com | www .seahath.com

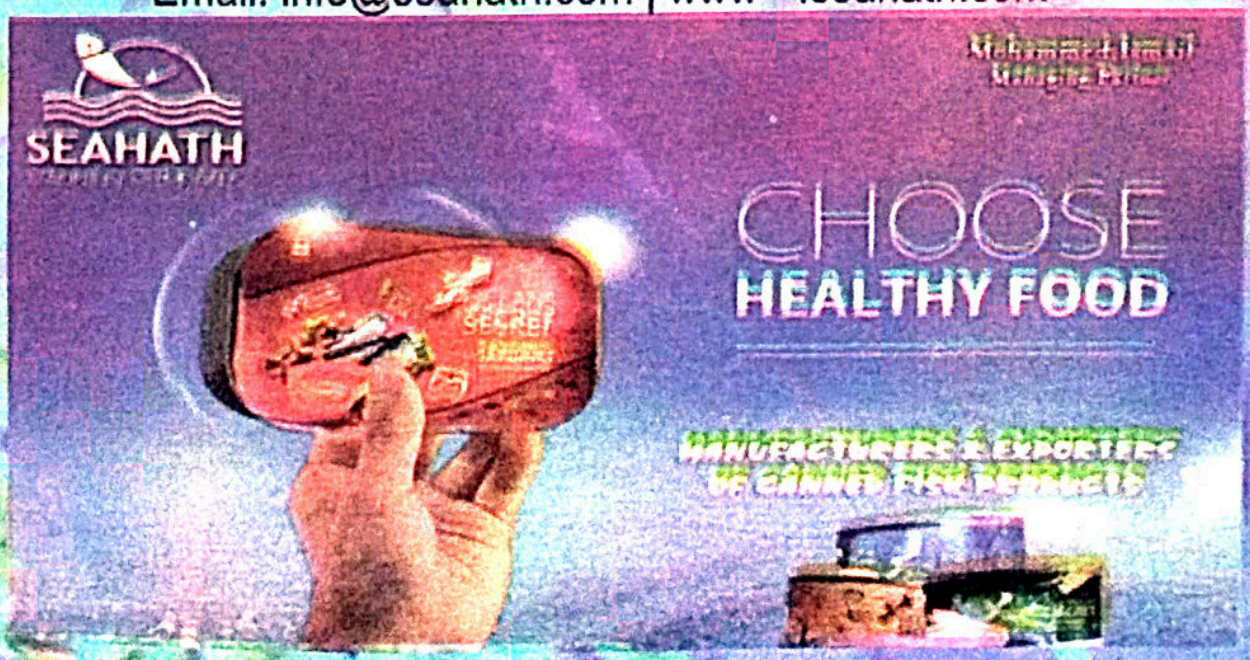

Posted on 20-21 August 2019
September 2019
Posted Delhi RMS Delhi-110006
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.08.2019
Total pages 52 with Cover

कान्ति
NEW DELHI-110025

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

With Best Compliments From

HINDUSTAN GROUP
A various Industries Under One Name
Group

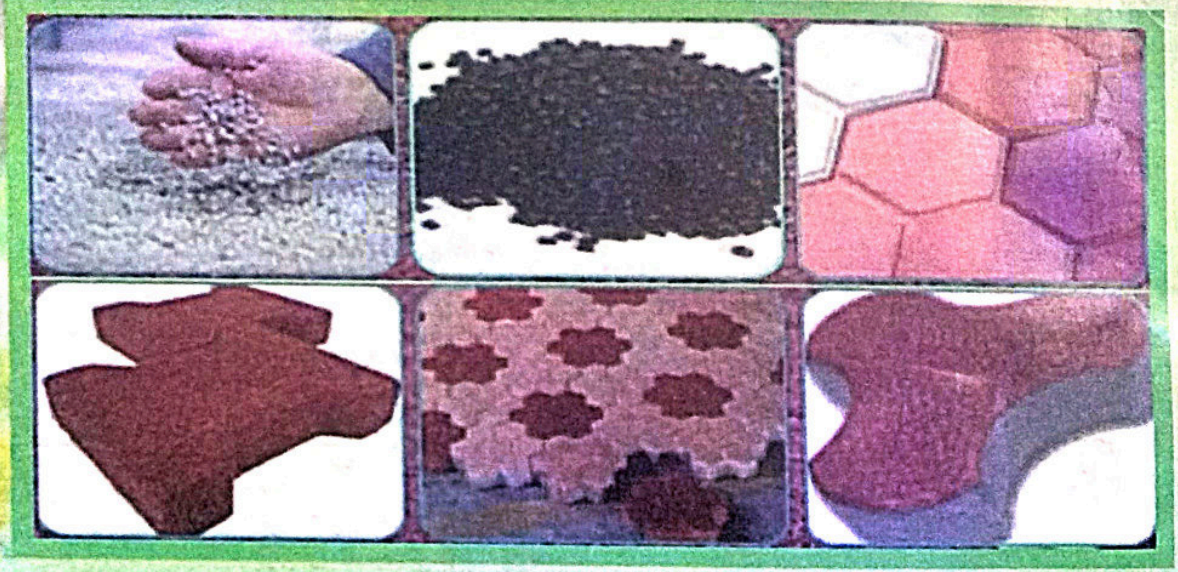

HINDUSTAN INDUSTRIES

MANUFACTURING UNIT FOR
PAVERS, TILES & BLOCKS

AT
Plot No. S-2, COLVALE INDUSTRIAL ASTATE
COLVALE, BARDEZ,GOA, INDIA

HEAD OFFICE
NH-17, Kraswada, Mapusa, Goa
Ph.: 22577900, 2257793, 2257700
www.hindustangroupgoa.com